खण्ड-120, अंक-7
गुरूवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(12 मार्च, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 120 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १२ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अपराह्न श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३३)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसराइल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केश भान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
छेवा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
तारा चन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसी राम, श्री
तुला राम, श्री
तुला राम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाता राम, श्री
दीन दयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नन्द कुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेक राम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाश वती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू लाल, कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनगोपाल उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मही लाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सम्मादत अली खां, राजा
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती

रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतन लाल, जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम, श्री
राजा राम किसान, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधा कृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर सिंह, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह ,श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय, शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामशुभग वर्मा, श्री

रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेद्र विक्रम सिंह, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह, कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीता राम, डाक्टर
सीता राम शुक्ल, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्य बली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

वन विभाग के कर्मचारियों का वेतन

*१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बन विभाग के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों जैसे क्लर्कों, रेंजरों, डिप्टी रेंजरों, फारेस्टरों, फारेस्ट गार्डों को अलग अलग क्या क्या वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधायें मिलती हैं?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—भिन्न भिन्न कर्मचारियों का वेतन क्रम एक सूची में दिया हुआ है जो मेज पर रक्खी है। अन्य सुविधायें जो इन कर्मचारियों को दी जाती हैं फारेस्ट मैनुअल फाइनेंशियल हैन्ड बुक भाग ३ और फाइनेंशियल हैन्ड बुक भाग ७ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५० पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह जो वेतन क्रम की सूची दी हुई है यह ४७ की पे कमेटी की सिफारिशों के अनुसार है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उसकी सिफारिशों के अनुकूल ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी के पास फारेस्ट सर्विसेज मन असोसियेशन और कुमायूं अनजुमन चपरासियान की ओर से कोई चिट्ठी आई है, जिनमें यह कहा गया है कि पे कमेटी की सिफारिश का पालन इस वेतनक्रम में नहीं हो रहा है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उनकी कुछ ऐसी चिट्ठियां आई थीं कि पे कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जो वेतन गवर्नमेंट उनको दे रही है उससे वे संतुष्ट नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने प्रश्न नम्बर १ में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के उदाहरण दिये हैं। विभिन्न श्रेणी में चपरासी भी आ जाते हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह सूची जो है उसमें फारेस्ट गार्ड्स का वेतन क्रम दिया हुआ है। इसी श्रेणी में यह चपरासी वगैरह भी आते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल आने के बाद जंगलात विभाग के कर्मचारियों के वेतन क्रम में कितनी वृद्धि हुई है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अलग अलग श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन क्रम ब्योरेवार बताने के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन जैसे फारेस्ट गार्ड्स को ले लीजिये तो उनको १३,१६,१९ रुपये मिलते थे वे बढ़ा कर २५-१-४० रुपये हो गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी जंगलात विभाग को आमदनी का विभाग मानते हुये जंगलात विभाग के निम्नश्रेणी के कर्मचारियों जैसे चपरासियों आदि का वेतन बढ़ाने का विचार रखते हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि पे कमेटी की सिफारिशों के अनुसार उनका वेतन बढ़ाया जा चुका है।

*२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास वन विभाग व कन्जरवेटरों के कार्यालयों के क्लर्कों, चपरासियों आदि की कोई ऐसी शिकायतें आयी हैं जिनमें सन् १६४७ की पे कमेटी रिपोर्ट उन पर लागू न किये जाने का दावा किया गया है? अगर हां, तो सरकार ने उपर्युक्त शिकायतों को दूर करने के हेतु क्या कार्यवाही की है?

*३-४—श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी नहीं।

श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)—[६ अप्रैल, १६५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*५—श्री नारायणदत्त तिवारी—[६ अप्रैल, १६५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*६-७—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—[७ अप्रैल, १६५३ के लिये संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*८—श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ ४६८ पर।)

*६-११—श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)—[२७ मार्च, १६५३ ई० के लिये सं० ३६-३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

फारेस्ट ऐक्ट का लागू होना

*१२—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रदेश के कितने और किन जिलों में फारेस्ट ऐक्ट लगाया गया है कि हरे पेड़ न कटें?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का प्रयोजन इंडियन फारेस्ट ऐक्ट से है या यू० पी० प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट से। इंडियन फारेस्ट ऐक्ट केवल उन क्षेत्रों में लागू है जो सरकारी जंगल हैं। प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत निजी जंगलों और बागों को सुरक्षित रखने के लिये कुछ निर्दिष्ट किस्मों के पेड़ों का काटना मना किया गया है। इन पेड़ों की सूची मेज पर रक्खी है। यह ऐक्ट केवल उस भूमि को छोड़ कर जिसका उल्लेख उसकी धारा २ में है, सारे उत्तर प्रदेश में लागू था, परन्तु जमींदारी उन्मूलन के बाद उन निजी जंगलों में, जो सरकार में निहित हो गये हैं, लागू नहीं रहा है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५५१ पर)

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट लागू किया गया है उनमें हरे पेड़ों को काटने के लिये सरकार की तरफ से किसी किस्म का लाइसेंस दिया जाता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, अनुमति पत्र गवर्नमेंट से दिया जाता है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—यह लाइसेंस जिले कि किस अधिकारी द्वारा दिया जाता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जंगलात विभाग के स्थानीय कर्मचारी जाकर पहले वहां का निरीक्षण करते हैं और अगर वे समझते हैं कि पेड़ फलदार नहीं हैं या बेकार हैं तो उनके काटने की इजाजत के लिये सिफारिश करते हैं फिर चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट की ओर से उनको अनुमति-पत्र दे दिया जाता है।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में अधिकतर पेड़ काटे जा रहे हैं उन जिलों में उनका कटना रोकने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस ऐक्ट के अनुसार हरे पेड़ काटना जुर्म है और अगर कोई ऐसा जुर्म करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को मालूम है कि प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के कारण किसानों को और दूसरे लोगों को आज्ञा प्राप्त करने में बड़ी भारी कठिनाई हो रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—गवर्नमेंट इस बात को समझती थी और वह इस पर विचार कर रही है कि गांव सभा को मुर्दे वगैरह जलाने या ऐसे ही और आकस्मिक कामों के लिये २ पेड़ तक काटने की आज्ञा देने का अधिकार दिया जाय और उससे ऊपर के लिये दूसरे लोग आज्ञा दे सकेंगे। पहले भी किसानों को सहूलियतें देने के लिये इस प्रकार की सुविधायें दी गयी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के निदेशों के विरुद्ध पेड़ काटने के जुर्मों में कितने लोगों को प्रांत में सजायें और दंड दिये गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सारे प्रांत की इस प्रकार की सूची देने के लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

*१३—श्री बाबू नन्दन—[९ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया ।]

टेहरी-गढ़वाल के विलीनीकरण के पश्चात् पुलिस डी०एस०पी० की नियुक्ति

*१४—श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टेहरी-गढ़वाल के विलीनीकरण के पश्चात् वहां के पुलिस डी०एस०पी० में से किस-किस को यू० पी० सर्विस में, किस-किस पद पर और किस आधार पर लिया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—टेहरी-गढ़वाल के विलीनीकरण के समय वहां निम्नलिखित व्यक्ति डी० एस० पी० के पद पर काम कर रहे थे:—

१—श्री ललिता प्रसाद पांडेय
२—श्री वृजेन्द्र सिंह विष्ट
३—श्री राजेन्द्र सिंह बुटोला
४—श्री राम प्रसाद रतूही
५—श्री राणा हरिश चन्द्र जंग
†६—श्री रघुवीर प्रसाद पैनोली

इनमें से पी०एस०सी० की सिफारिश के आधार पर श्री ललिता प्रसाद पांडेय और श्री रघुवीर प्रसाद पैनोली को यू०पी० पुलिस सर्विस में डी० एस० पी० के पद पर नियुक्त किया गया । बाकी व्यक्तियों को कमीशन की सिफारिश के अनुसार सबार्डिनेट पुलिस सर्विस में निम्नलिखित पदों पर नियुक्त किया गया:—

श्री वृजेन्द्र सिंह विष्ट	..	सी० आई०
श्री राजेन्द्र सिंह बुटोला	..	पी० आई०
श्री राम प्रसाद रतूडी	..	एस० आई०
श्री राणा हरिश चन्द्र जंग	..	एस० आई०

†वे उस समय रियासत की तरफ से पी०टी० सी० मुरादाबाद में ट्रेनिंग पा रहे थे।

*१५—श्री सत्य सिंह राणा—क्या यह सही है कि कतिपय डी०एस०पी० लोगों को उनकी समुचित सर्विस रेकार्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश (approval) के बावजूद भी (Dy. S. P.) पद पर न लेकर इन्सपेक्टर के ग्रेड में लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी नहीं ।

श्री सत्य सिंह राणा—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन लोगों का इंटरव्यू पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने कब हुआ और पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सरकार के पास भेजी थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने इंटरव्यू कब हुआ, यह तो मालूम नहीं है और रिपोर्ट कब भेजी गयी, उसकी भी तारीख मेरे सामने इस समय नहीं है ।

श्री सत्य सिंह राणा—क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट में, जो दो डी० वाई० एस० पी० लिये गये थे उनके अलावा किसी और भी सिफारिश की थी, किन्तु सरकार ने इस किस्म के सुझाव उनको दिये कि वे अपने निर्णय में सुधार करें जिससे वे लोग पुलिस सबार्डिनेट सर्विस में लिये गये ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यह सही है कि उनकी नियुक्ति जिस तरह से हुई है वह इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों की रजामन्दी से और उनसे मशविरा करके की गयी है ।

श्री सत्य सिंह राणा—क्या यह सही है कि ऐसे लोगों ने कुछ रेप्रेजेन्टेशन सरकार के पास भेजे ह और क्या सरकार उन पर विचार करने की कोशिश कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सरकार के पास उनके रेप्रेजेन्टेशन आये और सरकार ने उन पर विचार किया और विचार करके यह समझा कि इसी तरह उनकी नियुक्ति करना ठीक होगा ।

राज्य का शरणार्थियों पर व्यय

*१६—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में कितने शरणार्थी आये हुये हैं ?

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)—उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग ४,७५,७७२ उद्वासित व्यक्ति आये हुये हैं ।

*१७—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि प्रान्त के समस्त शरणार्थियों की शिक्षा तथा मकान आदि पर कितना व्यय किया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—उद्वासितों की सहायता तथा पुनर्वासन में आरम्भ से लेकर वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के अन्त तक लगभग ७,७८,५६,३३७ रुपये व्यय हुआ है । आज तक के व्यय के आंकड़े बतलाना तुरन्त सम्भव नहीं है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आये हुये शरणार्थी केवल शहरों में रखे जाते हैं या देहातों में भी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—दोनों जगह ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कितने पुरुषार्थी भाई ऐसे हैं जिन्हें अब तक कोई काम नहीं दिया जा सका ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जहां तक उनको काम देने का ताल्लुक़ है सरकार सब को काम नहीं देती। अलबत्ता यह हुआ है कि उनको क़र्जा दिया गया है। कहीं-कहीं उनको खेत दिये गये हैं, कुछ रुपये दिये गये हैं। इस तरह से वे बसाये गये हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि क़र्जे के लिये कितने लोगों ने दरख्वास्तें दीं और उनमें से कितने लोगों को कर्जे नहीं मिले ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो खर्चा शरणार्थियों पर किया गया है उसमें कितना रुपया सेन्टर से ग्रान्ट के तौर पर मिला है और कितना रुपया इस सूबे के कोष से खर्च किया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह तो बतलाया जा सकता है कि उन पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ लेकिन यह कि यह खर्चा प्राविन्शियल कोष से कितना हुआ और सेन्टर से कितना हुआ इसके लिये सूचना की जरूरत होगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अभी तक कितने शरणार्थी बसाये गये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जितने लोग यहां पर आये यानी ४७५७७२ यहां पर आये और उनमें से ४३२९२४ रजिस्टर्ड हुये उसमें से क़रीब ९०,९५ फीसदी लोगों का इन्तजाम हो चुका है।

श्री श्रीचन्द—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में अभी तक शरणार्थियों के लिये कितने क्वार्टर्स बनाये जा चुके हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इस वक्त तक १३२५६ मकान बनाये गये हैं और ३१४१ स्टाल बनायी गयी हैं, १०३१ दुकानें बनायी गयी हैं, ८३१ रेजिडेन्शियल फ्लैट्स बनाये गये हैं और १८ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनी हैं और एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या यह बात सही है कि जो शरणार्थी गांव में जाकर बसे और खेती करने लगे उनके लिये सरकार ने मकान बनाने की व्यवस्था नहीं की ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जगह जगह मदद दी गयी है। उनको क़र्जा दिया गया कि वह अपने आप इन्तजाम कर लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन शरणार्थियों में से कितने शरणार्थी पंजाब से आये और कितने बंगाल से आये ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—हमारे यहां जो आये हैं वह ज्यादातर पंजाब सिन्ध, बिलोचिस्तान और नार्थ वेस्ट फ्रान्टियर से आये हैं।

*१८—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)—[२४ मार्च, १९५३ के लिये सं० ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१९—**श्री बाबूनन्दन**—[९ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*२०-२१—**श्री मान्धाता सिंह** (जिला बलिया)—[९ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

काकोरी केस में फांसी पाये हुये व्यक्तियों के परिवारों को सहायता

*२२—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि सुप्रसिद्ध काकोरी षड़यंत्र केस में फांसी पाये हुये सर्व श्री रामप्रसाद बिस्मल, अशफाकउल्ला खां और रोशन सिंह (तीनों शाहजहांपुर जिले के) और राजेन्द्र लाहिड़ी (बनारस) के परिवारों को वह कोई सहायता कर रही है? यदि हां, तो क्या?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मांगी हुई सूचना संलग्न सूची में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५५२ पर)

* * * *

अवलियापुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के गन्ने का सट्टा

*८—श्री राम नारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम कि इस साल अवलियापुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के किसानों के गन्ने का सट्टा समय के अन्दर नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां। इसका कारण यह है कि सट्टे के उचित समय पर उक्त गांव के किसान अपने गन्ने की सप्लाई के लिये अनिच्छुक थे। लेकिन बाद को जब उन्होंने सट्टे के लिये प्रार्थना की तब उनके गन्ने का सट्टा कर लिया गया।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ने का सट्टा करने के लिये कौन सा वक्त मुक़र्रर है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—गन्ने का सट्टा सीजन के पहले होता है इसलिये कि यह मालूम हो जाय कि गन्ना कितना है और कितनी ऊख मील में खर्च होगी।

श्री गेंदा सिंह—मैंने यह पूछा कि गन्ने का सट्टा करने का कोई वक्त मुक़र्रर है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मैंने उसी का जवाब दिया कि जब मिलें चलती हैं उससे काफ़ी पहले सट्टे किये जाते हैं, उस की ठीक तारीख़ तो नहीं बतलायी जा सकती लेकिन आमतौर से दो तीन महीने पहले यह काम शुरू हो जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि उस अवलियापुर गांव का सट्टा किस महीने में किस तारीख़ को हुआ।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जनवरी के आखिरी हफ्ते से सप्लाई शुरू हुई थी और यह सट्टा भी उसके कुछ दिनों पहले ही हुआ होगा, यह नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन पहले हुआ।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आयव्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—समय का विभाजन इस प्रकार होगा कि अनुदान संख्या १३ दोपहर तक चलेगा और फिर सवा दो बजे से अनुदान संख्या ४३ जो सदस्य उसमें कटौती का प्रस्ताव लायेंगे उनके लिये १५ मिनट समय रहेगा और बाक़ी लोगों के लिये दस मिनट।

नोट—तारांकित प्रश्न ८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय ने पूछा।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १३–लेखा शीर्षक २५–कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३–कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (लेखा शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत २,६६,०७,१०० रुपये की मांग मंजूर की जाय ।

इस संबंध में भी मैं सदन का ज्यादा समय इस वक्त लेना उचित नहीं समझता । जब इस पर भाषण हो जायंगे, तब मुझे जो कुछ कहना होगा वह मैं पेश करूंगा, क्योंकि मैं यथासंभव चाहता हूं कि सदन को समय अधिक मिले जिससे हमें सुझाव मिल सकें और हम फ़ायदा उठा सकें ।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान में एक रुपये की कटौती पेश करता हूं । कारण यह है कि कमिश्नरों के संबंध में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल जवाब भी दिया था, मैं समझता हूं कि चाहे हम कड़े शब्दों में आलोचना करें या नम्रता के साथ आलोचना करें इस सरकार के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है । मुझे मालूम है कि जब यही लोग बृटिश गवर्नमेंट के जमाने में विरोधी दल में यहां पर थे और हम सब कांग्रेसी चीख़ चीख़ कर इस बात के लिये चिल्लाते थे कि कमिश्नरों की जगह बिलकुल फ़जूल हैं और यह जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिये लेकिन कल जो कुछ भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा उस से तो यह दृढ़ निश्चय हो गया कि अब वह हमेशा ही बने रहेंगे और उनकी जगहें टूटने वाली नहीं हैं । यानी यह जो ख़र्च ५,१३,७०० रुपये का है वह बना ही रहेगा चाहे उसका उपयोग कुछ हो या न हो । हम समझ सकते हैं कि पहले जमाने में गवर्नर महोदय का दोस्त या फ़ेवरिट कोई होता था तो उसको कमिश्नर बना दिया जाता था और उनका यही काम था । लेकिन आज कल के जमाने में मैं नहीं समझता हूं कि यह कोई हमारे गवर्नर महोदय के लिये रखे जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि यह जो इस उत्तर प्रदेश की निर्धन जनता के ख़जाने पर लोग रखे जा रहे हैं यह ठीक और मुनासिब बात नहीं है । कारण मैं यह भी बता सकता हूं कि अब उनका काम सिवा जैसा कि बहस के सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि जिस तरह से और मुहकमों में देखभाल के लिये लोग रखे जाते हैं, नहर के मुहकमे में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रखे जाते हैं, इसी तरह से यह भी एक जगह है । उस का नाम चाहे कमिश्नर कह लो या निरीक्षक कह लो, या कोई और चीज कह लो । तो मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि अगर यही है कि हर एक मुहक़मे में इस तरह से हम कहीं भी ख़र्चे को कम नहीं करने जा रहे हैं बल्कि और दूसरे उदाहरण ले कर ख़र्चे को बढ़ा रहे हैं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है और आज कल जो कुछ भी कमिश्नर महोदय करते हैं वह भी आप से छिपा नहीं है । इसी देवरिया जिले या गोरखपुर जिले में जो भी, आप ओले पड़ने की बात कह रहे थे, मैं बतलाऊं कि जो कुछ भी रिपोर्ट जिलाधीश देंगे उसके ऊपर वह भी अपनी एक क़लम लगा देंगे कि यह उतना उनका नुक़सान नहीं हुआ, उनको कुछ इमदाद नहीं मिलनी चाहिये । तो मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि उस जमाने में जब माननीय मुख्य मंत्री जी जोरों से कहते थे कि यह जगह बिलकुल रिडडेंट है, ख़त्म हो जानी चाहिये । आज वह क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं ?

एक बात मैं और भी बताऊं कि जो रेवेन्यू वर्क के लिये कमिश्नर्स रखे गये, अभी अभी जो जमींदारी उन्मूलन हुआ, और इसके बाद में जो कागजात बनाने के लिये दे दिये गये जो छः महीने में भी नहीं बनेंगे फिर भी उन पर वह कमी नहीं कर रहे हैं, कमिश्नर बैठे हुये हैं । और आगरे में वह कमिश्नर जो कुछ भी मैं जानता हूं, कोई अपील वगैरह की सुनवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि छः महीने तक जब तक कागजात न तैयार हो जायं तब तक उनको मुफ्त की तनख्वाह देना ही है । तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ग़ैरमुनासिब ख़र्चा है इस प्रदेश की निर्धन जनता के सिर पर और यह हट जाना चाहिये ।

[श्री मलखान सिंह]

दूसरी तरफ जो जिले का प्रशासन है जिसमें जिलाधीश वग़ैरह सभी हैं, मैं एक बात विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछूंगा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन की सब से बढ़िया खूबसूरत और सुन्दरता तो यह होनी चाहिये कि उसमें जो ग़रीब हैं, दुखी हैं उसकी आवाज सुनी जाय। उसके साथ इंसाफ हो। लेकिन मैं यह सब कह सकता हूं कि यहां भी, जितनी दरख्वास्तें माननीय मुख्यमंत्री के पास जाती हैं, एक छपा हुआ कागज है, उसके साथ चली जाती हैं कि तुम्हारी अर्जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दी गयी। अब उन्हीं के पास आप पत्र-व्यवहार करें। और जब वह जिलाधीश के पास जाती है, जिलाधीश जो कुछ भी कार्यवाही करते हैं, आज तक कोई दुखिया चाहे पुरुष हो या देवी हो किसी को भी संतोष इस गवर्नमेंट के इस प्रशासन के जरिये से जो जिलाधीश महोदय करते हैं नहीं मिला। ग़रीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं आपके सामने एक मामला रखूं। इगलास तहसील के चपरासी का मामला है। तहसील-दार साहब चाहते थे कि वह हमारा हुक्का भरा करे, रोज उसमें पानी डाल कर। लेकिन जैसे बहुत से आदमियों को नफरत होती है तम्बाकू छूने से भी वह इस तरह की तबियत का आदमी था। उसने यह कहा कि यह काम मुझसे नहीं होगा। तो उसको उसी दिन तहसीलदार साहब ने ६ सात जगह की तामीलें दीं। वह २२ को दी गयीं और कहा गया कि २५ तारीख तक आप इसकी वापसी करिये। वह सब जगह से बाक़ायदा तामील करा के २५ को लौटा तहसीलदार साहब के यहां। वहां दारोग़ा जी भी बैठे हुये थे। तो जब वह आया उसने कहा कि मैं तामील कर आया।

श्री अध्यक्ष---मुख्तसर में आप उदाहरण दें।

श्री मलखान सिंह---मैं कहना यही चाहता हूं कि उस ग़रीब ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी अर्जी भेजी हैं, जिलाधीश के पास और पं० जवाहरलाल जी नेहरू के पास भेजी है, लेकिन कोई सुनवाई उस दुखिया चपरासी की नहीं हुई है।

दूसरी तरफ मैं आपको बतलाऊं कि बुलन्दशहर के जिले में एक लैंड एक्विजीशन का काम भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हुक्म से किसी एस० डी० ओ० के सुपुर्द था। उन्होंने पहले तख़मीना दिया ५,००० रुपये का और फिर बाद में जमीन वाले से मिल मिला कर ५५ हजार रुपये का तख़मीना भेजा गया। गवर्नमेंट को जब पता चला कि क्या मामला है तो उनका ट्रांस्फर बुलन्द-शहर से उरई कर दिया गया। क्या ऐसे मामले में, जो पहले ५ हजार का तख़मीना दे और फिर ५५ हजार का भेजे, यह काफी सजा है कि उसको बुलन्दशहर से उरई भेज दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता।

मैं आप को यह भी बता दूं कि इस तरह के जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवालों पर लिख कर के आता है कि इसकी इजाजत नहीं है, हालांकि न वह नाम से है, न उसमें कोई और चीज है। सिकन्दराराउ की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन .....

श्री अध्यक्ष---आपने जो यह कहा कि सवाल के लिये इजाजत नहीं मिलती है, यह आक्षेप अध्यक्ष के ऊपर होता है। इस तरह के आक्षेप की इजाजत नहीं है।

श्री मलखान सिंह---मेरा मतलब अध्यक्ष के ऊपर नुक्ताचीनी करने का नहीं है। जहां तक मेरी इत्तला है अगर माननीय मंत्री महोदय इजाजत नहीं देते तो आपके यहां नहीं जाता।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, यह बात नहीं है। ३२ नियम में दिया हुआ है.....

श्री मलखान सिंह---३२ नियम को मैं जानता हूं, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं।

श्री मलखान सिंह—मैं रूल जानता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं, मैं स्पष्टीकरण किये देता हूं। नियम में यह है कि वैयक्तिक अगर कोई प्रश्न हो और किसी अफसर के बारे में पूछा जाय, चाहे नाम भी न लिया जाय, चूंकि पूरा मामला लिया जाता है इसलिये नाम का पता लग जाता है, इसलिये यह वैयक्तिक समझा जाता है और उसकी अनुमति नहीं दी जाती। इसके लिये गवर्नमेंट नहीं लिखती है कि यह वैयक्तिक है, इजाजत नहीं मिलनी चाहिये, इसका अध्यक्ष फैसला करता है कि इजाजत मिलनी चाहिये या नहीं मिलनी चाहिये।

श्री मलखान सिंह—खैर, मैं यह कह रहा था कि सिकन्दराराऊ म्युनिसिपैलिटी की तरफ से ९,००० रुपया का एक दरवाजा अलीगढ़ की ऐग्जिबीशन में बनवाया गया। तो क्या यह मुनासिब खर्चा है? क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोई कार्यवाही इस संबंध में करने जा रहे हैं?

मैं यह भी आप के जरिये से बता देना चाहता हूं कि उस सिकन्दराराऊ की चुंगी का जो स्टेशन वैगन है वह हर एक अफ़सर के लिये हर वक्त इस्तेमाल किया जाता है, यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी जब गंगा नहाने अनूपशहर जाते हैं तो उसी स्टेशन वैगन में जाते हैं। क्या इससे जिलाधीश की प्रेस्टीज बढ़ती है या गिरती है।

तो मैं आपके सामने यह कह देने के लिये आया हूं कि आज के एडमिनिस्ट्रेशन से ग़रीबों, और दुखियों का ज़रा सा रत्ती भर लाभ नहीं होता, उनकी सुनवाई नहीं होती। तो इस तरह से अभी आप उनको ३,५०,००० की जीपें दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वग़ैरह को, जिनके पास आल-रेडी हैं। यह उनके लिये कह सकते हैं कि ख़राब हालत हो गयी है, लेकिन हम जानते हैं कि क्या उनमें ख़राबी है और क्या नहीं है तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि यह जो ३५० हजार रुपया इस तरह से खर्च किया जा रहा है इसको जरा होशियारी से वह खर्च करें। जब तक कि यह जांच न कर लें कि अमुक जीप अमुक जिले वाले बिल्कुल ख़राब इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं तब तक वह न खरीदी जायं तो अच्छा होगा। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि आज कल जिलाधीश के पास तमाम देश भर के मुक़दमे हैं। प्लानिंग आफिस भी है और दूसरी भी चीजें हैं। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि जो इन्फार्मेशन आफिसर हैं अब इनसे प्लानिंग के संबंध में काम लिया जायगा और अगर वह वहां भी फेल हुये तब यह सोचा जायगा कि इनको निकाला जाय। मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस तरह से देश भर का तमाम काम वहां पर देने से एक दिन के लिये भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपने निजी काम को करने के लिये वहां कचहरी में जाना उनका नामुमकिन सा हो गया है। तो इसलिये मेरा कहना है कि इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाय कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इधर यहां मीटिंग में गये, उस दावत में गये, यह काम इस तरह से हुआ, सिवाय इन बातों के और कोई काम न करें तो यह कोई अच्छी बात नहीं है और अभी तक मैं आप से कह देना चाहता हूं कि यहां से बार बार प्रश्न करने पर भी बराबर माननीय मुख्य मंत्री जी के जवाब देने पर भी अभी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अन्दर ११ बजे तक पहुंचने की बात जो है आफिसर्स की वह पूरी नहीं हुई। अभी तक वह ठीक वक्त पर नहीं पहुंचते और उसके कारण यह होता है कि बहुत से मैजिस्ट्रेट्स छः-छः सात सात बजे तक शाम को बैठते हैं जिसकी वजह से गांव वालों को बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होती है लौटने में और शहर में रहने में तो और भी दिक्क़त है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वह जरा कड़ाई से काम लें और यह देखें कि आया जो उनके हुक्म यहां से निकलते हैं वह कैरी आउट भी होते हैं या नहीं होते। मुझे केवल यही कहना है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर ग़ौर करेंगे और कार्य रूप में लायेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि केवल इस ओर से ही नहीं किन्तु दूसरी ओर से भी प्रारम्भिक धन्यवाद के पश्चात इसकी काफी आलोचना की जायगी। मैं अपने जिले के संबंध में सरकार का ध्यान कई बातों की ओर आकर्षित कर सकता हूं। मैं सरकार को यह साबित कर के दिखा सकता हूं कि जहां पहले टेहरी-गढ़वाल में एक महाराज थे आज टेहरी गढ़वाल में उनके स्थान पर एक महाराजाधिराज बैठे हुये हैं। मैं सरकार के सामने कई ऐसी घटनायें पेश कर सकता हूं जिससे कि सरकार को इस बात का पूर्ण विश्वास हो जायगा कि टेहरी गढ़वाल जिले की जनता खुश नहीं है। मगर इस समय इन बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक नहीं समझता। इसलिये नहीं कि यह बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं किन्तु इसलिये कि जिस प्रकार जो शिकायतें अपने पिछले वर्ष भर सरकार के सामने अभी तक रखी हैं और जो उनके ऊपर कार्यवाही की गयी, हमें भय है कि इस समय भी वही कार्यवाही की जायगी यानी जो जनता की शिकायत आज सरकार के सामने रखें उसकी जांच के लिये सरकार उसे उसी व्यक्ति के पास भेज देगी जिसकी शिकायत हम कर रहे हैं। ऐसी शिकायत की जांच करना न करना एक सा है। मैं यह मौका सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करने के लिये काम में लाता हूं जिसके संबंध में यहां काफी दफा चर्चा हो चुकी है यानी, क्या सरकार को डिसेंट्रेलाइजेशन की पालिसी बढ़ानी चाहिये या नहीं। डिसेंट्रेलाइजेशन के बारे में मैंने भी कुछ कहा था। इस बार फिर मैं सरकार से यह सिफारिश करूंगा कि जहां तक हो सके यह रिमोट कंट्रोल ऐडमिनिस्ट्रेशन यानी एक दूर जिले का शासन लखनऊ में बैठ कर करना उचित नहीं है। जहां तक हो सके जिले में जनता को अपनी देखभाल स्वयं करने का अधिकार दिया जाय। हमारे स्वशासन मंत्री का अनुभव है कि अभी तक इस प्रान्त की जनता अपनी देख भाल करने के योग्य नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत भी काफी हद तक यही साबित करती है कि, हालां कि यह एक जनता का राज्य है फिर भी जनता अभी अयोग्य ठहरायी गयी है। किन्तु इस संबंध में मैं यह आवश्यक समझता हूं कि मैं सरकार से यह कहूं कि हालांकि यह काफी हद तक सही है कि जनता अभी अपनी देखभाल करने में अयोग्य है फिर भी जमाने का तक़ाज़ा है और यह आवश्यक हो गया है कि जिस हद तक हो सके जनता को अपनी देख भाल करने का अधिकार दिया जाय। इसका मुख्य कारण यह है---लखनऊ में जनता की सरकार बैठी हुई है और जनता का बहुमत यदि यह चाहे कि जो मौजूदा सरकार हटाई जाय तो सैद्धांतिकरूप से यह संभव है। किन्तु लखनऊ में जो बैठी हुई सरकार है, हालांकि वह जनता की सरकार है, फिर भी उसका अधिक सम्पर्क जनता से नहीं है। लखनऊ की सरकार के जो जिलों में बैठे एजेंट हैं, यानी जिनके द्वारा लखनऊ की सरकार अपना काम कराती है, उनके साथ जनता का सम्पर्क अधिक है। इस जन-तंत्र राज्य में, जब कि जनता के हाथ में लखनऊ की सरकार को हटाने का अधिकार है, आज जिलों के कर्मचारियों के काम की रोक-टोक करने का जनता को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि जनता को यह अधिकार दिया जाय कि वह जिला के कर्मचारियों को हटाये, यह असंभव बात है, किन्तु मैं सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करूंगा कि जो सरकार जिलों में बैठी है, जिस व्यक्ति या कर्मचारी के द्वारा लखनऊ की सरकार अपना कर्तव्य पूरा कर रही है, उस व्यक्ति के काम का असर इस सरकार पर बहुत हद तक पहुंच रहा है। यदि कोई जिलाधीश या कोई और कर्मचारी अपना काम अच्छी तरह से करता है, उसका फल लखनऊ की सरकार को भी मिलता है। किन्तु यदि कोई जिलाधीश या कोई और कर्मचारी अपना काम योग्यता से नहीं करता है, तो उसका परिणाम उस व्यक्ति के ऊपर बिलकुल नहीं पड़ता बल्कि लखनऊ की सरकार पर पड़ता है। यह क्यों ? यह आश्चर्य की बात होगी, किन्तु यह सही है कि यदि जनता कर्मचारी से किसी बात की शिकायत करे तो कर्मचारी तुरन्त यह कहता है कि क्या करूं भाई मैं तो तुमसे पूर्णरूप से सहमत हूं किन्तु जिनको तुमने लखनऊ में बिठाया है वे प्लान्स, मीटिंग्स और भाषण देने में इतने व्यग्र हैं कि वे तुम्हारी कुछ नहीं सुनते। यानी जब जनता, जिलाधीश या और किसी कर्मचारी से शिकायत करती है, तो उस जिलाधीश या उस कर्मचारी के मुंह में केवल एक ही उत्तर है और वह लाचारी का है कि हमारे हाथ में कोई

अधिकार नहीं है। यदि मैं शिकायतें ऊपर पहुंचाता हूं तो वहां के जो तुम्हारे मंत्री हैं उनको इतनी फुर्सत नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह एक सत्य बात है कि जिलाधीश महोदय न हों तो कोई और कर्मचारी इस प्रकार बहाना हमेशा बनाते रहते हैं जिसका परिणाम और दुष्परिणाम यह होता है कि जनता यह समझ जाती है कि लखनऊ की सरकार को अपना कर्तव्य पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिये मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि डिसेन्ट्रलाइजेशन करना अति आवश्यक हो गया है। डिसेन्ट्रलाइजेशन दो ही रूप में किया जा सकता है। यह तो जनता को अपने राज्य में अधिक अधिकार दिये जायं, किन्तु जैसा मैंने कहा हमारे स्वशासन मन्त्री इसके पक्ष में नहीं हैं। यदि यह उचित नहीं समझा जाता तो इसको जो दूसरा रूप दिया जा सकता है वह यह एक व्यक्ति को यहां की सरकार पूर्णरूप में अधिकार दे, चाहे वह कर्मचारी हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो। लेकिन मैं जानता हूं कि इसका दुष्परिणाम विशेषकर हमारे जैसे जिले में यह होगा कि वह महाराजाधिराज और भी बड़ा बन जायगा किन्तु साथ ही साथ जनता को यह लाभ होगा कि वह व्यक्ति जनता को ऐसे बहाने नहीं दे पायेगा कि वह लाचार है कि उसके हाथ में कोई अधिकार नहीं है कि उसको इस प्रकार का उलटा आदेश मिला है कि कोई गोपनीय आदेश मिला है कि जो कुछ वह कर रहा है वह करता रहे। साथ ही साथ सरकार को भी कुछ फायदा होगा और वह यह है कि जो कर्मचारी संतोषजनक रूप से अपना काम नहीं करते उनकी बुरी कार्यवाइयों से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के नेता श्री मलखान सिंह जी का भाषण सुना। उन्होंने कमिश्नरों की प्रथा पर बड़ा एतराज किया। मुझे खेद है कि उन्होंने प्रशासन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। अगर वह इसको पढ़ते तो ऐसा भाषण नहीं देते। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम इन कमिश्नरों को अलग करना चाहते हैं। इस समय १२ से सात कर दिये गये हैं, तीन कमिश्नर और चार एडीशनल कमिश्नर। इस समय जैसा कानून (law) है उसमें रेवेन्यू अपील कमिश्नर के यहां जाती है। अगर इन कमिश्नरों को एक दम हटा दिया जाय तो यह अपीलें कहां जायंगी। वह कानून जो इस वक्त रिवाज में है जो चल रहा है उसकी अपील कहां जायगी। इसलिये यह आवश्यक है कि जब तक यह कानून है तब तक कमिश्नर रहें। इसके अलावा कमिश्नरों पर दो ही एतराज किये गये। एक एतराज यह था कि जिला के जो कलेक्टर हैं वह सीधे गवर्नमेंट के मातहत नहीं हैं। अब कमिश्नरों से यह हक़ूक निकाल लिये गये हैं। अब जिला आफिसर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सीधा संबंध गवर्नमेंट से है। कमिश्नरों के काम केवल दो हैं, एक तो निगरानी करना है और दूसरा अपील को सुनना है। जहां तक यह एतराज था कि जिला आफ़िसर का संबंध डाइरेक्टली गवर्नमेंट से नहीं था तो वह ख़त्म हो गया। रही ख़र्चे की बात अगर आप बजट में देखेंगे तो मालूम होगा कि वह ७ लाख से कम कर के ५ लाख कर दिया गया है। जैसे समय गुजरेगा यह भी कम हो जायगा। अगर मान लीजिये कि जो अपीलें कमिश्नर सुनते हैं वह हाईकोर्ट जाती हैं तो वहां भी उनको तय करने के लिये जज की जरूरत होगी। अभी पहले यह जाहिर हो चुका है कि हाईकोर्ट में काम बहुत ज्यादा है। अगर अपीलें वहां जायंगी तो वहां जज मुकर्रर करने होंगे। हाई कोर्ट के जज का वेतन कमिश्नर के वेतन से कहीं अधिक होता है। इसलिये बजाय कम ख़र्च होने के ज्यादा ख़र्च होगा। इसलिये जो आलोचना उन्होंने कमिश्नर के संबंध में की उसमें कोई तथ्य नहीं है। इस सरकार ने जिला मैजिस्ट्रेटों से सीधा सम्पर्क स्थापित करके प्रशासन में बड़ा भारी सुधार किया है।

इसके अतिरिक्त हमारे गजेटेड अफ़सरों में भी पहले के मुक़ाबले सुधार दिखाई देता है। जहां तक ईमानदारी और उनके जनता से सम्पर्क का सवाल है इन दोनों बातों में काफी सुधार हुआ है। अंग्रेजी राज्य में सरकारी अफ़सर जनता से बहुत दूर थे लेकिन अब जितना समय व्यतीत होता जाता है वे जनता के निकट आते जाते हैं।

[श्री रतनलाल जैन]

२६ जनवरी की श्रमदान योजना ने तो यह दिखला दिया कि ज़िलों के मैजिस्ट्रेट और अधिकारी अब वास्तव में सच्चे सेवक हैं न कि अधिकारी। इसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है और ख़ास कर मुख्य मंत्री। एक सुझाव मैं देना चाहता हूं। जहां तक छोटे कर्मचारियों की बात है उसमें यह अवश्य है कि सन् ४७–४८ की अपेक्षा जब से राज्य परिवर्तन हुआ, उसमें कुछ सुधार हुआ है। परन्तु अभी उसमें बहुत बड़ी कमी है। जो आवेदन-पत्र दिये जाते हैं वे जल्दी से नहीं निकलते हैं। या तो वे पड़े रहते हैं या खत्ती में चले जाते हैं। इसी प्रकार फ़ाइलों में बहुत देर लगती है। साथ में उनमें भ्रष्टाचार और अनैतिकता भी उसी तरह से है जैसी कि पहले थी। इसके लिये म यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह सरकार उनका निरीक्षण कड़ा करे। निरीक्षण के लिये आज जिला मैजिस्ट्रेट के पास इतना समय नहीं है, इतनी फ़ुरसत नहीं है कि वह इतना काम देख सके, उसके सुपुर्द बहुत से काम हो गये हैं। मैं यह कहूंगा कि ज़िले में जो ऊंचे अफसर हैं सबडिविजनल मैजिस्ट्रेट या और किसी शख्श को इस काम के लिये नियुक्त किया जाय कि वह प्रतिमास निरीक्षण किया करे। यह भी नियम बना दें कि आवेदन-पत्र या फ़ाइल इतने दिनों में समाप्त हो जावेंगी। अगर वे इतने दिनों में समाप्त नहीं होती हैं तो उनसे जवाब तलब किया जाये। अगर ऐसा होगा तो आवेदन-पत्र और फ़ाइलें जल्द निपट जावेंगी। इससे जनता की शिकायतें दूर होंगी। भ्रष्टाचार में भी कमी होगी। पब्लिक जो छोटे-छोटे कर्मचारियों को रिश्वत देती है वह इसलिये नहीं देती कि वह उनका काम बहुत बड़ा अच्छा कर दें। वह तो इस बात की देती है कि उनके काम में अड़चन न पड़े और वह जल्द हो जाय। अगर उनका काम निरीक्षण के जरिये जल्द होगा तो यह घूसखोरी कम हो जावेगी। इसलिये मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इस दृष्टि से वह जिला मैजिस्ट्रेट को यह हिदायत करे कि वह किसी खास अफसर को मासिक निरीक्षण के लिये नियुक्त करे।

यदि हमें छोटे कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को खोना है तो सरकार इन वकीलों से अपील करे कि वे देश को ऊंचा उठाने के लिये जो अब तक छोटी-छोटी रिश्वत देने का रिवाज मौजूद है उसे दूर कर दें। आज अदालतों में जो छोटे-छोटे कर्मचारी पैसा लेते हैं उसको उन्होंने हक़ कहना शुरू कर दिया है। वह उसको अब रिश्वत नहीं कहते हैं। वह इस बात का लेते हैं कि काम जरा जल्दी हो जाय। उसके जरिये से न्याय में अधिक फ़र्क़ नहीं पड़ता परन्तु यह एक रिवाज हो गया है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जहां सरकार बहुत से आन्दोलन कर रही है, बहुत से लोगों से अपील कर रही है जो हमारे देश का एक शिक्षित वर्ग है जिसको हम कानून पेशा लोग कहते हैं उनसे खासतौर से अपील की जाय कि देश के नैतिक स्तर को उठाने के लिये वे क़दम उठावें और इस रीति और रिवाज को बन्द करें।

इसके अलावा मैं एक सुझाव और दे देना चाहता हूं। ज़िलों में अक्सर बहुत से विभागों के इंस्पेक्टर्स हैं जैसे कृषि के सुपरवाइजर्स हैं, एक कोआपरेटिव का है, एक केन सोसाइटी का है, एक ग्राम सभा का है। इन सब के काम बहुत एक से हैं। मैं समझता हूं कि काम में बहुत ज्यादा हर्ज पड़ता है और बहुत सी मरतबे अड़चनें पड़ती हैं। इसलिये ऐसा काम किया जाय जिससे इतने अधिक इंस्पेक्टर्स न रहें और थोड़े हो जायं। इससे हमारे खर्च में भी कमी हो सकती है। इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ ऐसा कोआर्डिनेशन सहयोग हो जिससे एक प्रकार के काम करने वाले जितने इंस्पेक्टर्स हैं वह कई न हो कर थोड़े हो जायं।

मैं समझता हूं कि मेरे ये दोनों सुझाव जो मैंने अभी दिये हैं बहुत लाभकर सिद्ध होंगे और मैं उन दोनों सुझावों को माननीय मुख्य मन्त्री जी की सेवा में पेश करता हूं।

श्री नवलकिशोर (ज़िला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस अनुदान के संबंध में जितने भाषण अब तक हुये हैं उनको बड़े ध्यान से सुना। विरोधी दल की तरफ

से माननीय मलखान सिंह जी ने जिला प्रशासन की आलोचना करते हुये केवल तीन ऐसी मिसालें पेश कीं और उनके द्वारा यह साबित करने की कोशिश की कि जो जिला प्रशासन है उससे काफी असन्तोष जनता में है । यदि उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी का कल भाषण सुना होता तो उन्होंने जो आंकड़े दिये थे कि सन् ४६ से अब तक १२ हजार ५४६ व्यक्तियों के खिलाफ हमारी सरकार ने मुकदमा चलाया है। तो वे तो केवल तीन ही उदाहरण दे पाये जब हमारी सरकार की ओर से १६ हजार ५४६ व्यक्तियों के खिलाफ केसेज चलाये जा चुके हैं। उसके बाद माननीय बालेन्दुशाह जी ने भी कुछ आलोचना की । जहां तक माननीय बालेन्दुशाह जी का संबंध है हमारी सहानुभूति उनके विचारों के साथ है क्योंकि मेरा अपना ऐसा विचार है कि अबतक जो ढांचा उनके जिले में था और जिसको बदले हुये अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ उस नये ढाँचे में अपने को ऐडजस्ट करने में उनको समय लगेगा और यही कारण है कि वे अपने को उस नये ढांचे में अब तक फिट नहीं कर पाये हैं, उनको असंतोष होता है और उसी का प्रतिबिम्ब उनको वहां की जनता में भी दिखलाई पड़ता है।

इसके अलावा जहां तक जिला प्रशासन का संबंध है मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में यह कहना है कि अगर हम पिछले ६ सालों के आंकड़ों को देखें तो मेरा ऐसा विचार है कि हर जिले के अन्दर स्टाफ पांच या छै गुना हो गया है। जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता था और चार पांच एस० डी० ओज० होते थे। अब उसके बदले एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ-साथ दो-दो तीन-तीन ए० डी० एम्स० होते हैं, एस० डी० ओज० होते हैं, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, कलेक्शन आफिसर्स हैं और दिन पर दिन उनकी तादाद बढ़ती जाती है।

जहां तक इन्स्पेक्टोरेट का संबंध है मैं नहीं जानता कि कितने इंस्पेक्टर्स हैं और कितने किस्म के इंस्पेक्टर्स हर जिले के अन्दर मौजूद हैं। हालत यहां तक है कि आज आम जनता के अन्दर एक भावना सी बन गई है कि जो साहब सूटेड बूटेड होते हैं उनको ही इंस्पेक्टर साहब कहना शुरू कर देती है। आज इतने ज्यादा व्यर्थ के इंसपेक्टर्स हो गये हैं। मेरा अपना निजी विचार यह भी है कि आज भी सरकार के विभागों में डिपार्टमेंटलिज्म स्पष्टतः दिखाई देता है और कोआर्डिनेशन की कमी है यानी एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ जो सहयोग होना चाहिये उसमें काफी कमी मालूम पड़ती है। यही कारण है कि जनता के साधारण व्यक्तियों को आज भी काफी दिक्कतें सामने आती हैं क्योंकि वह नहीं जानते हैं कि किस विभाग से उनके काम का संबंध है और वह गरीब एक विभाग से दूसरे विभाग में मारा-मारा फिरता है और कोई भी ऐसा आदमी उसे नहीं मिलता जो उसको ठीक रास्ता बतला सके।

आज हमारे यहां प्रशासन की पहली कमी जो मैंने निवेदन की है वह यह है कि हमारे विभागों में आज सहयोग की कमी है और डिपार्डमेंटलिज्म भी अपनी जगह पर चालू है। दूसरी चीज जिसका मुझे अपना अनुभव है वह यह है कि सरकार की तरफ से जो योजना कार्यान्वित की जाती है, मैं नहीं जानता कि सरकारी कर्मचारियों का उसमें विश्वास और श्रद्धा भी होती है या नहीं। मेरा विश्वास है कि अच्छी से अच्छी योजना भी इसलिये सफल नहीं हो पाती कि सरकारी कर्मचारी उस भावना और प्रेरणा के साथ जिनको लेकर वह योजनायें बनाई जाती हैं, उनको चालू नहीं कर पाते। इसलिये मैं चाहूंगा कि कम से कम ऐसी चीज अवश्य होनी चाहिये कि जो सरकार की तरफ से चालू की जाय तो उसमें कम से कम सरकारी कर्मचारियों की श्रद्धा और विश्वास होना चाहिये, तभी हमारी योजनायें आगे चल सकती हैं और सफलता को प्राप्त हो सकती हैं।

तीसरी चीज जो बार-बार कही जा चुकी है और कल भी कही गई वह यह है कि इस बजट के अन्दर जो ७८ करोड़ का है २६ करोड़ रुपये किसी न किसी तरह से

[श्री नवल किशोर]

तनख्वाहों में खर्च किया जाता है और यह हमारे बजट का ३३ प्रतिशत है। इसके संबंध में बहुत से हमारे माननीय मित्रों ने यह कहा और मैं भी उससे पूर्णतया सहमत हूं कि देश के मौजूदा आर्थिक ढांचे को देखते हुये और कामन मैन की आमदनी को देखते हुये इतनी ज्यादा तनख्वाहें देना ठीक नहीं मालूम होता है। कोई भी दलील क्यों न दी जाय लेकिन यह सच है कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो तनख्वाहें हैं उनका और विशेष कर ऊंची तनख्वाहों का जनसाधारण की आय से अनुपात बहुत गैर मुनासिब है। इसके संबंध में जो दलील दी गई वह यह है कि पहली चीज यह है कि हमारे प्रदेश में उन कर्मचारियों की संख्या जो १,००० रुपये या उससे अधिक तनख्वाह पाते हैं बहुत ही कम है यानी ३३७ हैं। अगर हम उनकी तनख्वाहों में कमी कर भी दें तो भी कोई विशेष बचत नहीं होगी जिससे देश के आर्थिक ढांचे को बदला जा सके या जिन कर्मचारियों को कम तनख्वाह मिलती है उनको कुछ ज्यादा दे सकें। जहां तक दलील का संबंध है वह अपनी जगह पर ठीक है। परन्तु इससे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन तो हो ही जायेगा ।

दूसरी कठिनाई यह बतलाई जाती है कि हमारे प्रदेश की तनख्वाहों में और केन्द्रीय सरकार की तनख्वाहों में इतना बड़ा अंतर है कि अगर हम अपने कर्मचारियों की तनख्वाहों को कम कर दें तो उनको प्रलोभन होगा और वह केन्द्र में जा सकते हैं। जहां तक यह दलील है अपनी जगह पर यह भी ठीक है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जहां तक मुख्य मंत्री जी का संबंध है वह इस प्रांत के मुख्य मंत्री तो हैं ही पर इसके साथ-साथ वह हमारे सम्पूर्ण देश के मुख्य मंत्री कर्णधारों में भी हैं और यदि सारे देश को उन्हें आगे ले जाना है और यह हमारा सौभाग्य है कि आज एक ही पार्टी सारे देश में शासन करती है तो क्या यह संभव नहीं है कि सर्विसेज के लिये एक ऐसा नक्शा बनाया जाय जिससे तमाम प्रांतों की तनख्वाहें यूनीफार्म हो सकें और केन्द्र और प्रांत की तनख्वाहों में जो भेद है वह जितना कम से कम हो सके हो जाय। मौजूदा तनख्वाहों का अनुपात जो आज एक और १०० के करीब है वह १ और २० के करीब हो जाय। ऐसी मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा। मैं यह नहीं कहना चाहता कि सभी आफिसर्स अच्छे नहीं हैं या खराब हैं। हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति का, अपने कठोर परिश्रम तथा कर्मनिष्ठा का अच्छा सबूत दिया है। उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और उसके लिये हम उनके आभारी हैं लेकिन आज भी मालूम ऐसा होता है कि अधिकांश सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी तक मौजूदा प्रजातंत्र के ढांचे में जो कि बनने जा रहा है उसमें अपने आपको फिट नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से इस सरकार की बदनामी होती है और उसके लिये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमारे जिले के कर्मचारियों पर भी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अवश्य उस ओर ध्यान दिया है और वह उस ओर सतर्क हैं लेकिन मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो भी कदम हम उठायें उनको ठीक करने के लिये उसमें गति होनी चाहिये, उसको फौरन एक्सपेडाइट करना चाहिये। अमूमन यह होता है कि भ्रष्टाचार के मामले आते हैं और महीनों पड़े रहते हैं और उनका महत्व गिर जाता है । इन शब्दों के साथ जहां तक इस अनुदान का संबंध है उसका मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं और यह जो कमियां जिला प्रशासन में हैं उनकी ओर अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री हरिशचन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रदेश का सौभाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जैसे कुशल प्रबंधक इस वक्त इस प्रदेश के कर्णधार हैं। हमें विश्वास

है कि जिस तत्परता के साथ अपने इस कल्याणकारी राज्य के अपने उस उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हैं उसके ऊपर तेजी से और मजबूती से कदम आगे बढ़ाते जायेंगे।

माननीय बालेन्दु शाह जी ने अभी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले के स्तर पर शासन का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये। समय-समय के ऊपर इस भवन में शासन के विकेन्द्रीयकरण की बात कही जाती है। मैं तो समझ नहीं सकता कि आखिरकार शासन का विकेन्द्रीयकरण और किसको कहते हैं। जिले के स्तर पर हमारे यहां गांव सभायें, अदालती पंचायतें, म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं। अगर उन तमाम चीजों को हम शासन का विकेन्द्रीयकरण नहीं कह सकते तो शासन का विकेन्द्रीयकरण करने के लिये और किन चीजों की आवश्यकता है यह मैं समझ नहीं सकता। इसी के साथ बड़ी अजीब सी दलील हमारे सामने आती है। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि टीचर्स की हड़ताल अभी हुई। हर शख्स को टीचर्स की मांगों से सहानुभूति हो सकती है। लेकिन जब यहां पर शिक्षा मंत्री ने उत्तर दिया कि वे जिला बोर्ड्स के अधीन थे और जिला बोर्ड को फैसला करना चाहिये। फिर बार-बार इस सदन में यह सवाल उठाया गया कि सरकार को इस पर निर्णय करना चाहिये। जैब विकेन्द्रीयकरण की बात कही जाती है जो जिले के स्तर पर इस तरह की समितियां हैं और कहा जाता है कि शासन केन्द्रीयकरण की तरफ जा रहा है, हम सब चीजों को सेंट्रलाइज कर देना चाहते हैं लेकिन जब उन विकेन्द्रित संस्थाओं तक जाने की बात कही जाती है तो यह कहा जाता है कि नहीं, सरकार उसके लिये जिम्मेदार है, मिनिस्ट्री को उसे तै करना चाहिये और इस प्रकार केन्द्रीयकरण पर आप आ जाते हैं। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, इस तरह से काम नहीं चल सकता। हमें एक चीज अपने सामने रखनी होगी और वह यह है कि जिन चीजों को हमने विकेन्द्रीयकरण किया है उसका सही एग्रिसियेशन हमें करना होगा। माननीय बालेन्दुशाह जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिलों में काफी हद तक चीजों का विकेन्द्रीयकरण है।

मुझे सिर्फ एक बात और कहनी है और वह यह है कि आज जो जिले का प्रशासन है उसे हमें इस कसौटी के ऊपर कसना है कि जो हमने यह तै किया है कि हमें अपने यहां के वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बनाना है उस कसौटी पर वह कहां तक पूरा उतरता है। अपने इस शासन को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये, इस भावना को पूरी करने के लिये, अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमे यह देखना है कि हमारा जिले का प्रशासन जो है वह किस हद तक हमको सहयोग दे सकता है या उस कसौटी पर वह पूरा उतरता है या नहीं उतरता है। मैं माननीय साथी नवल किशोर जी से सहमत हूं कि जिले के प्रशासन में अधिकारियों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है मगर उनके जिस कोआपरेशन की जरूरत है जिससे हम अपने शासन को लोक कल्याणकारी राज्य के लिये तैयार कर सकें वह उनमें नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि नार्मल टाइम्स में फौज अपना रवैया जो लड़ाई के जमाने में वह अख्तियार करती है उसको बदलना नहीं चाहती है। इस तरह की चीज हम देखते हैं कि हमें प्रदेश में कल्याणकारी राज्य कायम करना है तो जिले के प्रशासन को हमें उस ढांचे में बदलना होगा और उसके अनुरूप बनाना होगा जिस तरह का कल्याणकारी राज्य हम लोग बनाना चाहते हैं। आज भी मैं देखता हूं कि जिले के प्रशासन में, रेडटेपिज्म के नाम से तो मैं उसको नहीं पुकारना चाहता, लेकिन शासन में जितनी देर होती है मामूली से मामूली बातों को करने के लिये वह प्रवृत्ति अब भी दूर नहीं हुई है। कल्याणकारी राज्य में तो काम जल्दी होना चाहिये और फैसले जल्द होने चाहिये। लड़ाई के जमाने में, एबनार्मल टाइम्स में तो यह है कि एक दूसरी परिस्थिति होती है लेकिन आज जबकि हम अपने प्रांत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं तो शासन को भी उसी ढांचे में डालने की आवश्यकता है। हम देश से गरीबी दूर करने की बात करते हैं, देश के अन्दर से अशिक्षा दूर करने की बात करते हैं, हमें प्रदेश के जिले में प्रशासन को उस ढांचे

[श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना]

में ढालना होगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि मेरे पास एक सुझाव है इस संबंध में और उसको मैं माननीय मुख्य मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि जिला प्रशासन में अधिकारी वर्ग के दृष्टिकोण को बदला जाय। मैं सब अधिकारियों के लिये नहीं कहता। अगर ऐसा होगा तो वह किसी उन्नतिशील प्रजातंत्र शासन के लिये गालिबन सबसे अच्छा प्रशासन होगा मगर जिस वक्त हमें भूख के खिलाफ, अनपढ़ और अविद्या के खिलाफ तथा ऐसी दूसरी चीजों के खिलाफ लड़ना है तो उसके लिये हमें अपने जिला प्रशासन में तब्दीली करनी होगी और कर्मचारियों में सेवा की भावना लानी होगी और उनको इस ढांचे में ढालना होगा जिससे वे कल्याणकारी राज्य के काम में सहायक हो सकें। मान लीजिये १०० गजटेड आफिसर किसी जिले के हेड क्वार्टर पर रहते हैं जो जिले के जरूरी काम करते हैं और उसका प्रशासन करते हैं। मेरा यह सुझाव है कि जिले में केवल १० या १२ आफिसर सुपरिन्टेन्डेन्ट कैपेसिटी या ऐडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करें तथा उनके नीचे गजटेड और नान-गजटेड आफिसर जिले के छोटे-छोटे टुकड़ों में काम करते रहें। उन लोगों में काम को इस तरह से बांट दिया जाय कि १०:१५ गांवों का एक यूनियन बना कर एक अधिकारी के सुपुर्द कर दिया जाय। उनको आज्ञा दी जाय कि वे गांवों में रहें तथा वहां रह कर गांवों के डेवलेपमेंट का काम करें। जब एक जिले का अफसर इस काबिल होता है कि वह तमाम जिले के ऊपर अच्छी तरह से सुपरविजन कर सकता है तो अगर १०:१०, १५:१५ गांवों के टुकड़े देकर उनसे कहा जायगा कि तुम डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट की जो योजनायें चल रही हैं तथा वेलफेयर स्टेट में जो कार्य उन्हें करना चाहिये वे उन कामों को करें तो मेरा विश्वास है कि लोगों में कंपीटीशन की भावना पैदा होगी और प्रत्येक १० गांवों का जो अधिकारी होगा वह दूसरे दस गांवों के अधिकारी से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसी चीज कर दी जायगी तो मेरा विश्वास है कि जो मौजूदा ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह उत्तम किस्म का हो जायगा। जब सरकार को नयी बदली हुई परिस्थितियों का सामना करना है तो उसे अपने इस ऐडमिनिस्ट्रेशन के तरीके को बदलना होगा। इसलिये मेरा माननीय मुख्य मंत्री को यह सुझाव है कि वे जिले के ऐडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से बदलें कि हमारी वेलफेयर स्टेट का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में वह सहायक हों। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री इस पर विचार करेंगे।

श्री त्रिलोकीनाथ कौल (जिला बहराइच)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव केवल इस गरज से है कि मैं कुछ सुझाव.....

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव तो आ चुका है, अब आप जो कुछ कहना चाहें उस पर कहें।

श्री त्रिलोकीनाथ कौल—मैं इस सिलसिले में केवल एक ही बात मुख्य मंत्री साहब और सदन के सामने लाना चाहता हूं और हमारे दोस्त मलखान सिंह जी ने उस बात का तजकिरा किया था। जिस वक्त हम यह सोचा करते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, नीचे के लोगों की तनख्वाहें कम हैं, यह जानते हुये भी हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें अपने खर्चे में कमी करनी चाहिये। कमी से मेरा मकसद कमिश्नरों के स्थानों से है जो मौजूदा निजाम में बिलकुल गैर जरूरी हैं और उनका रखना फिजूलखर्ची है। जिस वक्त हमारे देश में विदेशी लोगों की गवर्नमेंट थी तो पुरानी कांग्रेस ने जिसके एक सदस्य मलखान सिंह साहब भी थे बार-बार गवर्नमेंट की तवज्जेह इस बात की ओर दिलाई और पुराने कांग्रेस वाले बराबर इस बात की कोशिश करते रहे कि कमिश्नरों को हटा दिया जाय। इन जगहों को तो सिर्फ अंग्रेजों को बड़ी-बड़ी तनख्वाह देने के लिये कायम किया गया था। अब जब कि हुकूमत हमारे हाथ में आ गयी है अफसोस है कि हम अपनी बात पर कायम नहीं रह सके हैं।

वक्त कम है, मैं मुख्तसरन यह दिखलाना चाहता हूं कि कमिश्नर बेजरूरत क्यों हैं। आप देखें कि कमिश्नरों के सुपुर्द काम क्या हैं। कहा जाता है कि वे माल की अपीलें सुनते हैं। तो माल की अपीलें सुनने के लिये भी आपने हर जिले में एडिशनल कमिश्नर भेज दिया है जो महज अपीलें ही सुनते हैं। एक खर्च यह और बढ़ा। दूसरे माल की जो अपीलें हैं, अब तक चाहे जितनी रही हों, मैं बहैसियत एक वकील के यकीन दिलाता हूं कि वे आगे बहुत कम हो जायंगी। इस वजह से कि जो हजारों और लाखों बेदखली के मुकदमें हर साल पैदा होते थे वे करीब-करीब खतम हो गये और बकाया लगान के जो दावे होते थे उनकी अब कोई जरूरत बाकी नहीं रही। अब गवर्नमेंट लैन्ड रेवेन्यू के तरीके पर अपना लगान वसूल करेगी। लगान इस कदर कम हमारी सरकार ने रखा है कि उसे अदा करने में काश्तकारों को कोई दिक्कत नहीं पड़े। जब वे अपना पूरा लगान अदा कर देते हैं तो लगान के मुकदमे भी खतम हो गये। इसी तरह से बटवारे के लिये भी जो कानून बना है उसमें भी एक खास हद्द मुकर्रर कर दी गयी है जिससे उससे कम खेत का बटवारा हो ही नहीं सकेगा। इस तरह से बटवारे के मुकदमे भी कम हो जायेंगे। इसी तरह से जमींदारी एबालिशन हो जाने के बाद दीवानी के मुकदमे भी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत कम हो गये हैं। उसकी वजह से रेहन, व्यय, बटवारे और टाइटिल के जितने सूट्स दीवानी में थे वे ज्यादातर जमींदारी के मुताल्लिक होते थे। ऐसी सूरत में दीवानी का काम भी पहले के मुकाबिले में बहुत कम हो गया है और होता जा रहा है। यानी मेरा ख्याल यह है कि एक चौथाई रह गया है। तो ऐसी सूरत में कोई मुश्किल बात नहीं है। जरा सी कानून में तब्दीली से वे अपीलें जो आज कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर सुनते हैं जिनको आपने नया इसी काम के लिये मुकर्रर किया है। उसको दीवानी के सिविल जज, सेशन सबार्डिनेट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो हर जिले में रहते हैं या ये तीनों आदमी इस कदर काम कम हो जाने के बाद बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोर्ट आफ वार्ड्स करीब-करीब खत्म हो ही गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और गवर्नमेंट के बीच जो बहुत से दरमियानी जरिये थे वे भी अब उड़ गये। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स के मामले रह गये। मेरे ख्याल से कमिश्नरों के नजदीक उनके मामले जाने से और भी दिक्कतें और देर हो जाती है। एक दफा यहां पहुंचा, फिर वहां से गवर्नमेंट के पास पहुंचा, फिर गवर्नमेंट के पास से कमिश्नर के पास पहुंचा और कमिश्नर के पास से तब उनके पास पहुंचा और अगर बीच में कोई और बात पैदा हो गयी तो फिर उनको इसी तरह से वापस भेजना पड़ा। तो जो मामले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स के होते हैं वे कमिश्नरों के जरिये आने से बजाय आसानी से तय होने के मेरे नजदीक उनमें देर लगती है और असुविधा होती है। लिहाजा मेरी राय में कतई नजर इस बात के कि यह सुझाव विरोधी दल की तरफ से आया है इसका खयाल नहीं करना चाहिये। यह एक ऐसी मद है जिसमें गवर्नमेंट बहुत आसानी से किफायत कर सकती है। यों ऐसे आप देखें, हर जिले के हमारे यहां मिनिस्टर इन्चार्ज और डिप्टी मिनिस्टर्स मौजूद हैं। मैं मानता हूं कि काम हमारे यहां ज्यादा बढ़ गया है मगर कभी भी हिन्दुस्तान और यू० पी० की तवारीख में इतने ज्यादा मिनिस्टर नहीं रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि इतने न रहें मगर मैं यह कहता हूं कि उनकी मौजूदगी में बीच के दरमियानी दर्जे की जरूरत बाकी नहीं रहती। अंग्रेजों के जमाने में जब कमिश्नरों की शिकायत की जाती थी और उनको हटाने के लिये कहा जाता था कि यह सीगा बेकार है तो अंग्रेजों के जमाने में उनको वाच डौग्स् कहा जाता था। वह जिलों में साल भर में एक बार दौरा किया करते थे। मगर अब आपको इन वाच डाग्स् की क्या जरूरत है। अब तो आपको हवाई डाक से हर एक चीज की खबर मिलती रहती है और वहां से वह खबर देते रहते हैं। कोई खबर ऐसी नहीं होती जो मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर तक न पहुंचती हो। अलावा इसके हमारी पब्लिक भी अब इतनी जागृत हो गयी है कि जिससे यह सब आसान हो गया है। हर

[श्री त्रिलोकीनाथ कौल]

मामले में उस वक्त तो कमिश्नर वगैरह से मुलाक़ात करना मुश्किल होता था। अब तो हर एक शख्स पहुंच सकता है। अगर आपकी नियत खर्चे में कमी करने की है तो इससे उम्दा और कोई सीग़ा नहीं हो सकता। इसमें आसानी से कमी हो सकती है। बस अब ज्यादा वक्त सदन का लेना नहीं चाहता। केवल यह बात अर्ज करनी थी और दूसरे कामों के मुताल्लिक़ बाक़ी हमारे लायक दोस्त जो खामियां हैं उनको बतला चुके हैं। मेरा खयाल यह है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और हो रहा है। यों तो कोई न कोई बात किसी सीग़े में इतने बड़े प्रदेश में पैदा हो जाना मामूली बात है लेकिन आमतौर पर बहुत काफी तरक्की हुयी है और वह काफ़ी अच्छे तरीके पर चल रहा है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से जिला संबंधी जो अनुदान पेश किया गया है और उसके ऊपर मलखान सिंह जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही जिले के प्रशासन का बजट हमारे सामने पेश होता है यकायक हमारा ध्यान उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जिन्होंने अंग्रेजी राज्य में जिले के प्रशासन के अन्दर रहने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का शासन देखा था। मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि माननीय मुख्य मंत्री की इच्छा यह होगी कि जिले के शासक उसी रास्ते का अनुकरण करें जो कि अंग्रेजों के राज्य में करते थे। किन्तु मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि जिस प्रकार से अंग्रेजी शासन में जिले के प्रशासक गैर कानूनी कामों को करते थे उसी तरीक़े से उसी रास्ते का अनुकरण आज भी वह करते हैं और मैं यह समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री और उनकी सरकार उन सारी बातों को सही मानती है जो कि जिले के अधिकारी सरकार के पास खबर देते हैं। मैं उस समय नत मस्तक हो जाता हूं जिस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता या किसी दूसरी राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गैर कानूनी हमला किया जाता है। यही नहीं प्रदेश के बहुत से कार्यकर्ताओं को अपने हाथ से थप्पड़ मारते हैं। तो कहा नहीं जा सकता कि वह अधिकारी जो स्वयं मारा है वह प्रार्थी के साथ किस तरह से न्याय करेगा। श्रीमन्, अभी मुझे बहराइच जाने का मौक़ा मिला था। प्रान्तीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त मंत्री श्री बेणी प्रसाद माधव को बहराइच के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने माननीय स्वशासन मंत्री के सामने, आज वह इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनके सामने थपेड़ा मारा। इसलिये कि श्री माधव ने उनसे कहा था कि सरकारी स्टेट के जो साधन (कारें) हैं उनको चुनाव के लिये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके मुताल्लिक वहां पर १२,१३ दिन से वह अनशन कर रहे थे और कलही उनका अनशन टूटा है। मेरा यह ख्याल है कि बहराइच की इस घटना का मंत्रिमंडल को पता होगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बहराइच के ऊपर कुछ किया गया है। मेरा खयाल है कि यह सरकार ही छद्मवेषी है। इस तरह की रिपोर्ट छः तारीख के तार द्वारा मेरे जिले से आई है। हमारे यहां के कार्यकर्ता को श्री इन्द्रदेव चौहान को हाकिम के सामने सब इंस्पेक्टर पुलिस घोसी ने थप्पड़से मारा है, ठोकरें लगाया है और हवालात में बन्द किया। मैं समझता हूं कि गांवों में सब जगह सारे प्रदेश में इस तरह की घटनायें होती हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को इस तरह का आदेश देना चाहिये कि राज्य के कर्मचारी या अधिकारी चोरी, बदमाशी करने वाले व्यक्तियों को अवश्य दंड दें। परन्तु किसानों और मजदूरों को संगठित करके ग़ैरकानूनी कामों को रोकने वाले कार्यकर्ताओं को अधिकारियों को थपेड़ा नहीं मारना चाहिये। दिनों दिन जिलों में अफ़सरों की तादाद बढ़ती जा रही है लेकिन वहां न्याय नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का प्रस्ताव था कि हम न्याय और शासन को अलग कर देंगे लेकिन न्याय और प्रशासन का कोई बिलगाव नहीं हुआ। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या परगना हाकिम वगैरा जो ग़ैर क़ानूनी काम करते हैं वह उन कामों को नहीं कर सकते थ अगर उनको डर होता कि उनको भी न्यायालय में सजा मिल जायेगी लेकिन जो ग़ैरकानूनी काम करते हैं, उन्हीं की अदालत में थप्पड़

खाने वाला दरख्वास्त देता है और उसकी सुनवाई नहीं होती। इस तरह से न्याय का ग़ला घोंटा जा रहा है और यहाँ का शासन दुःशासन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, डिप्टी मैजिस्ट्रेट, स्पेशल मैजिस्ट्रेट, रेवेन्यू आफिसर और ट्रेजरी आफ़िसर आदि के वेतनों की जब मैं लेखा जोखा देखता हूं कि उसमें कितनी बढ़ोत्तरी हुई है और जब मैं मोटरगाड़ियों के ख़र्च को देखता हूं तो दूसरी तरफ़ मेरा ध्यान इन प्रशासकों के अन्दर काम करने वाले चपरासियों की तरफ जाता है, वह बहुत ही ग़रीब और कमज़ोर आदमी हैं लेकिन कचहरियों में उनसे किसी तरह से काम लिया जाता है और कचहरियों के बाद ज़िलों के अधिकारी उनसे कौन कौन से काम लेते हैं वह मैं कहने को तैयार नहीं हूं लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो घर पर चपरासियों से काम लिया जाता है उसको रोकना चाहिये। इस प्रकार के रिवाज को बन्द करके हज़ारों चपरासियों के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

इसके अलावा एक और अनुदान जो कम किया गया है उसे देख कर बड़ा ताज्जुब हुआ। नावों की व्यवस्था जो पारसाल की गयी थी उसमें भी कमी की गयी है। हम बाढ़पीड़ित जिलों के रहने वाले हैं। और हम देखते हैं कि बाढ़ के वक्त लोगों की रक्षा के लिये कौन सी परेशानियां वहां होती हैं और जहां नावें रहती हैं देहातों में वहां के लोग नावों के ही द्वारा उनकी रक्षा कर पाते हैं। पिछले साल भी हमने देखा है कि सरकारी नावों से हज़ारों आदमियों की रक्षा हुई है लेकिन इस रक़म में कमी करने के मानी होते हैं कि बाढ़पीड़ितों की रक्षा न की जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के अनुदानों में कमी न होनी चाहिये।

नई गाड़ियों की ख़रीद के लिये भी इसमें ३ लाख कई हज़ार रुपया रखा गया है। हम लोग देखते हैं कि ज़िलों के अधिकारी सरकार की गाड़ियों का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं और सदन के हर एक माननीय सदस्य इस बात को जानते होंगे कि किस तरह से सरकार की गाड़ियों का दुरुपयोग यह अफसरान करते हैं। इस स्टेट का पैसा इस तरह से न बहना चाहिये। इसके अलावा मैं देखता हूं कि इसमें एक अनुदान रेलवे मैजिस्ट्रेट का रखा गया है। जहां तक मेरी जानकारी है रेलवे की आमदनी केन्द्रीय सरकार के पास जाती है। इसमें ६२ हजार सौ रुपये का अनुदान रेलवे मैजिस्ट्रेट के लिये रखा गया है। रेलवे मैजिस्ट्रेट, मैं समझता हूं जो भी जुर्माना करते होंगे वह सारा का सारा पैसा केन्द्रीय सरकार के पास जाता होगा, तो मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रेलवे मैजिस्ट्रेटों के लिये जो अनुदान रखा गया है वह केंद्रीय सरकार के सुपुर्द कर देना चाहिये और अब माननीय मुख्य मंत्री हमारे प्रदेश के वृद्ध नेता हैं और कांग्रेस और सरकार में उनका बहुत बड़ा स्थान भी है तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री केन्द्रीय सरकार के सामने इस तरह का प्रस्ताव रक्खेंगे तो केन्द्रीय सरकार जरूर स्वीकार कर लेगी। इस तरह से ६२ हजार सौ रुपये की बचत हो जायगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जब मैं यह देखता हूं कि शासन और न्याय का बिलगाव न होने के कारण देश में आज अराजकता फैली हुई है और आज ज़िले के अधिकारी पुलिस के सारे कार्यों का समर्थन करते हैं और यह भी देखता हूं कि पुलिस के अधिकारी ग़ैर क़ानूनी काम करते हैं तब भी ज़िले का अधिकारी उसका समर्थन करता है और खुद न्याय को छोड़ देता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो घटनायें नहीं, बीसों घटनायें इस प्रदेश की पेश कर सकता हूं। किन्तु इतना समय नहीं है। अखबारों में कल ही समाचार निकले हैं कि जौनपुर ज़िले की केराकत तहसील में और बलिया ज़िले की बांसमंडी तहसील में, देवरिया ज़िले में बहुत से किसान मौत के शिकार हुये हैं। पुलिस की गोलियों से मारे गये हैं। खेतों पर लाठी से मारे गये हैं। मैं अपने ज़िले की बात कहना चाहता हूं। हमारे ज़िले में भूतपूर्व जमींदारों ने संगठित हो कर के सोशलिस्ट पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता श्री असगरअली को दिन दहाड़े गांव में घुस कर

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

मार डाला। मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं, माननीय गृह मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। लेकिन २५ जनवरी को उन्होंने सदन में भाषण दिया कि छोटी क़ौमों के लोग बड़ी क़ौमों को परेशान करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्री स्वप्नचारी समाजवादी हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन का कोई ऐसा माननीय सदस्य होगा जो यह समझता होगा कि आज भी हमारे प्रदेश में इस तरह से जाति विरादरी के नाम पर संगठित दल, बड़े लोगों को परेशान करता होगा मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आज हमारे ज़िले आज़मगढ़ में भूतपूर्व जमींदारों का पुलिस के साथ गठबंधन हो गया है और गैरकानूनी काम किये जा रहे हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मैंने पेश किया है वह शासन के एक बड़े विस्तृत क्षेत्र से संबंध रखता है। और मैं यह समझता हूं कि जो कोई सुझाव यहां इस संबंध में दिये गये हैं या जो समालोचना की गयी है वह ऐसे अनुदानों के संबंध में होना अस्वाभाविक नहीं। उसमें सभी बातें ऐसी हों कि जो कि ग्राह्य ही हों यह तो कठिन है मगर उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक और उचित है।

हम सब लोग यह चाहते हैं कि हमारे शासन का और जो लोग शासन के कार्य में सरकार की तरफ से नियत हैं उनका जनता से पूरा सम्पर्क रहे। जो कमजोर हैं, गरीब हैं, उनकी अच्छी तरह से रक्षा और सहायता हो सके। हर मनुष्य को इस बात का भरोसा रहे कि शासकों से उसके लिये न्याय होगा और चाहे उसकी कुछ ही अवस्था हो, चाहे वह कितना ही ग़रीब हो और चाहे वह किसी धर्म या वर्ण या जाति का हो, परन्तु उसके लिये जो कि हमारे विधान ने सब के लिये समानता, समानाधिकार की अपनी प्रतिज्ञा को उन शब्दों में सम्बद्ध कर दिया है, वह हर तरह से पूरी हो। इसमें सम्भव हो सकता है कि न्याय करने के काम में भी कभी गलती हो पड़े। मगर जहां तक इरादे का सवाल है, जहां तक अपने से प्रयत्न और उद्योग हो सकता है प्रत्येक का जो कि सरकार के काम से संबंध रखता है, यह फ़र्ज़ है कि वह इन्साफ करने और सब में सद्-भावना पैदा करने का उद्योग करे। अगर इस काम को हमें करना है तो जनता को भी सहयोग देना है, चूंकि बग़ैर सहयोग के तो कोई कितनी ही अच्छी वृत्ति रखे, वह सफल हो नहीं सकता। अगर कोई चोर चोरी करे, दिन दहाड़े भी करे, मगर जो लोग देखते हैं वह उसकी शहादत न दें तो फिर न्याय नहीं हो सकता और खास कर एक जाग्रत समाज में जहां कि प्रतिदिन नये नये पृष्ठ उठ सकते हैं और सजीवता प्रतिदिन उभरती जाती है, वहां इस बात की आवश्यकता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वह वास्तव में अपने को जनता का सेवक समझें और इसी तरह से काम करें।

हमारे क़ानून में, जब अंग्रेज थे तब भी और आज भी, हर आदमी जो सरकार का काम करता है वह पब्लिक सर्वेंट है। कानून से भी उसको पब्लिक सर्वेंट फरायज अदा करने हैं और पब्लिक सर्वेंट के लिये कानून में उसकी हिफाजत के लिये भी बातें रखी गयी हैं। इसलिये पब्लिक सर्वेंट होना एक बड़ी ऊंची चीज है और उस अपने कार्य को समझते हुये गवर्नमेंट को अपना अपना कर्त्तव्य पूरा करना है और जो कि "विदाउट फीयर" और "विदाउट फेवर" बात कही गयी है उसी ढंग से निष्पक्ष हो कर और सब के साथ मृदुता का व्यवहार करते हुये निर्भीकता से अपने कर्त्तव्य को पूरा करने का गवर्नमेंट को यत्न करना है और उसमें सेवा की भावना, जहां कार्य करना है, भरपूर होनी चाहिये, क्योंकि उस भावना के बिना कार्य में सफलता भी पूरी तरह होना कठिन है। आज उसके लिये एक साइकालोजिकल एटमास्फ़ियर, एक वायुमंडल, जिसमें मृदुता के साथ काम हो सके वह उत्पन्न भी नहीं हो सकता है। इसलिये हमें इस तरीक़े पर सभी को, चाहे कोई बहुत छोटी तनख्वाह पाता हो, चाहे कोई अधिक तनख्वाह पाता हो, जनता के सेवक के नाते अपना काम करना है और मैं समझता हूं कि जो कोई भी गैरकानूनी काम हों, जैसे रामसुन्दर जी ने कहा, उनको रोकना सरकारी कर्मचारियों का कर्त्तव्य है और च
हो, चाहे छोटा, उन्हें क़ानून की मर्यादा को क़ायम रखना है और चाहे ५०० आ

कानून के खिलाफ चलें तब भी उन्हें कर्तव्य को निभाना है और चाहे एक आदमी चले तब भी निभाना है परन्तु यदि वही कोई कानून से विचलित हो जाय तब फिर कानून के मुताबिक कार्य करने में कठिनाई आ सकती है। मैं समझता हूं कि साधारणतः इस बात की कोशिश की जाती है कि सही ढंग से काम हो। जब कभी भी कोई बात ऐसी मालूम होती है जिसमें कोई बेजा कार्यवाही हुई हो तो उसका उपाय करने का उद्योग किया जाता है और जो कि शासन के संबंध में (डिसिप्लिनरी) अनुशासन की कार्यवाहियां की गयी हैं जिनका कुछ जिक्र मैंने कल किया था उससे यह मालूम हुआ होगा कि सरकार की तरफ से कोताही इन बातों में नहीं होती है। परन्तु फिर भी यह सम्भव है कि बाज बातें रह जाती हों, ध्यान तक न पहुंचती हों और इसके लिये भी जनता को सजग होने की जरूरत है और इस बात की जरूरत है कि वह अपने सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की मानमर्यादा का भी ध्यान रखते हुये उनके अनुचित कार्यों के लिये जो उनके ऊपर अधिकार रखते हैं उनके सामने बातों को रखें ताकि सब काम सुचारू रूप से चले। जहां तक इन बातों में कोई उपाय किया जा सकता है उसे करने की कोशिश की जाती है। रामसुन्दर जी ने अपने जिले में कुछ जमीन के बारे में और कुछ जमींदारों के बारे में बातें कहीं। उन्होंने मुझसे भी कहा और उन्होंने यह सुझाव दिया कि वहां इस बात का प्रबन्ध किया जाय कि मौके पर जाकर अधिकारी फैसला कर दें इसके लिये वहां हिदायतें दी गयीं। जिले के तमाम डिप्टी कलेक्टर मौके पर जाकर उन अधिकारियों को तय करने के लिये भेजे गये और उन्होंने मौके पर जा कर वहां जो जरूरत थी उसे पूरा करने की कोशिश की। इसलिये उनको उलहना नहीं होना चाहिये। परन्तु इस पर भी उनको सन्तोष न हो यही उनकी अभीष्ट हो कि न्याय हो या अन्याय, कानून के खिलाफ हो या मुआफिक हो, मगर जैसी उनकी अभिलाषा है वैसा ही हो तो यह तो एक न्याय या कानून के सर्वोपरि होने के सिद्धांत के विरुद्ध बात हो जाती है और यदि ऐसा न हो सका और उसमें ऐसा न हो सकने से ही न्याय हो तो उनको उस सिद्धांत की अवहेलना नहीं करनी चाहिये।

यहां पर उन्होंने एक बात यह भी कही कि रेलवे मैजिस्ट्रेटों के ऊपर जो खर्च होता है वह केन्द्रीय सरकार से मिलना चाहिये। रेलवे मैजिस्ट्रेट असल में केन्द्रीय सरकार से ही अपना वेतन पाते हैं। हमारे बजट से मिलता ह मगर जितना खर्च होता है वह केन्द्रीय सरकार से हमको मिलता है। इसलिये उनकी चिन्ता इस बारे में तो मैं दूर ही कर सकता हूं और जो बातें यहां कही गयीं उनमें जहां तक डिसेंट्रलाइजेशन की बात है मैं चाहता हूं कि इस बारे में कोई भ्रम न हो। डीसेंट्रलाइजेशन के माने क्या ? एक तरफ से तो बालेन्दुशाह जी ने यह शिकायत की कि जिले के अधिकारी तो महाराजाधिराज बन गये। उसका अर्थ मैं यही समझता हूं कि वह अपने अधिकार को ऐसा करते हैं कि जो पहले महाराजा थे उनके ऊपर भी उनका अपना अधिकार चलता है। यह सेंट्रालाइजेशन हो या डिसेंट्रलाइजेशन, जब विलीनीकरण हुआ तब उसके बाद अनिवार्य सा हो गया, इसलिये वह सेवक का सेवक होने के नाते से भी अपने कर्तव्य को करने के लिये हर तरह से मजबूर होता है। उसको अगर महाराजाधिराज कहा जाय तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन से महाराजाधिराज के महाराजा होने का अन्देशा हो सकता है। अब दूसरी बात उन्होंने यह कही कि कोई एक आदमी ऐसा हो जिसको पूरा अधिकार वहां दे दिया जाय, तो फिर वह आदमी पूरी तरह से महाराजाधिराज का भी महाराजा हो जाता है। ऐसा कर देना डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है बल्कि पहले जो एक डिस्पोटिज्म था वही कायम हो जाता है। इसलिये यह बात तो किसी तरह से बैठती नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन के माने यह हो सकते हैं कि ऐसी संस्थायें हों जिनको कानून के मुताबिक काम कर डालने का अधिकार हो। इस सूबे में ऐसी संस्थायें जैसा कि बतलाया गया और सबको मालूम है म्युनिसिपल बोर्ड हैं, टाउन एरियाज हैं, नोटिफाइड एरियाज हैं, डिस्ट्रक्ट बोर्ड हैं और क़रीब ३५ हजार पंचायतें हैं। उन सब को इसी लिये बनाया गया है कि वे अपने अपने स्थलों में अपने शासन का कार्य जो कि उनका क्षेत्र है उनके भीतर कर सकें। इस विचार से कि वे अच्छी तरह से कार्य कर सकें सब को सहयोग देना चाहिये परन्तु ऐसी ग़लत नीति उनको

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

नहीं बतलाना चाहिये कि तुम जितना चाहो उतना खर्च करते जाओ, आमदनी का कोई ख़याल मत करो, जो तुम्हारे मुलाजिम हैं उनकी भी तनख्वाह दुगनी तिगुनी कर दो, परन्तु वह रुपया तुमको प्रादेशिक सरकार से जरूर ही मिलना चाहिये, यह तो डिसेंट्रेलाइजेशन के खत्म कर देने की बात है, क्योंकि जिसको अधिकार होता है वह तभी होता है जब वह कर्तव्य को भी पूरा करता है, किसी को खर्च करने का ही अधिकार जब तक आय न कर सके मिलना प्रकृति के विरुद्ध है, जहां से मिलता है उसका फिर उसके ऊपर निरीक्षण अवश्यंभावी हो जाता है। इसलिये डिसेंट्रे-लाइजेशन होने पर इन संस्थाओं को सेल्फ सफिशेंट जहां तक होना चाहिये। इसके अलावा डिसेंट्रेलाइजेशन बहुत काफी इस ढंग से भी है कि इस वक्त और भी कमेटीज हर जिले में मौजूद हैं, प्लानिंग कमेटीज हैं, ऐंटीकरप्शन कमेटीज हैं और बहुत क़िस्म की कमेटीज हैं जिनकी सलाह से काम होता है। इसलिये यदि इस काम को और जनता के सम्पर्क से करना है तो वह आपस के मेलजोल से हो सकता है न कि और कोई कानूनी तरीक़े पर दूसरी बातों को पैदा करके क्योंकि उससे उलझनें ज्यादा होंगी और सुलझने की गुंजायश कम होगी।

यहां पर मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता जिनका जिक्र उन्होंने भी करना नहीं चाहा परन्तु मैं यह चाहता हूं कि शासकों की जो कठिनाइयां हैं उनको भी जो उत्तरदायित्व के स्थान पर हैं समझें। यदि कभी उनको ऐसे कठोर काम करने पड़ें जिनसे उनको प्रसन्नता न हो तो कठोर कर्तव्य करने के नाते उनसे किसी को अप्रसन्न नहीं होना चाहिये।

मैं कमिश्नरों के बारे में बहुत कहना नहीं चाहता। यह सही है कि कमिश्नरों के संबंध में कांग्रेस ने और हमने यही चाहा था कि कमिश्नरों को अलग करना चाहिये। जहां तक कमिश्नरों के पूरे कार्य का संबंध है, उस हद तक कमिश्नरियां खत्म हो गयी हैं। जहां तक शासन में कमि-श्नरों के बीच में आने से अड़चनें होती थीं और कमिश्नरों के हस्तक्षेप से जिले के अधिकारियों को सरकार के साथ सीधा नाता रखने में दिक्क़तें होती थीं वे दिक्क़तें खत्म हो चुकी हैं।

अब जो प्रणाली है उसमें पुराने कमिश्नर उस तरह के रहे ही नहीं, केवल वह एक नाम है और उनके कामों में बड़ा फर्क हो गया है। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि यह सब हमेशा रहें ही। यह जितनी संख्या है ३ या जितने पहले थे वह भी एक वक्त तक रहे। जैसा कहा गया कि रेवेन्यू अपील वगैरह के काम होते हैं और जैसी आज स्थिति है उसमें मैंने कहा था कि बहुत से कानून अभी ऐसे हैं जिनमें कमिश्नरों को अपील होती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में भी अपीलें उन्हीं तक जाती हैं। कुछ एफीशियेंसी आडिटर्स की जरूरत हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में है। हमारे प्रदेश के जिलों का जो काम है उसमें कई ऐसे लोगों की जरूरत है जोकि उसकी एफीसेंसी को आडिट करें और निष्पक्षता से यह देखें कि काम किस ढंग से हो रहा है। इसका अगर कोई जरिया नहीं रहा तो उसमें किफायत नहीं खर्चा बढ़ सकता है। किफायत वह चीज होती है जिससे असल में खर्चे में कमी हो। जाहिरी खर्चे में कमी करना जिससे असली खर्चा बढ़ जाय तो वह किफायत नहीं होती। इसलिये जहां तक कमिश्नरों का ताल्लुक है वह बहुत कम कर दिये गये हैं। दस के मुकाबिले में आज सिर्फ तीन कमिश्नर हैं। वह तीन कमिश्नर एक खास काम करते हैं जो कि पुराने कमिश्नरों के काम से बहुत ही कम मेल खाता है। इसलिये जब तक कि आज भी हजारों मुकदमें जो कमिश्नरियों में हैं, अभी तो वह पुराने मुकदमें ही निबटाने के लिये काफी तादाद की जरूरत है, यह भी भूलना नहीं है। उन लोगों की तनख्वाहें जो कुछ हैं और इस समय जो कुछ भी केन्द्र की कानूनी बातें हैं, उससे वह कम हो नहीं सकतीं इसलिये चाहे उन कमिश्नरों को अलग करके दूसरे को भी वहां उन कामों के लिये लगायें तब भी उनका वेतन तो देना ही पड़ेगा। इसलिये तीन कमि-श्नरों की संख्या को अधिक समझना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। इस दृष्टि से किसी ने देखा नहीं कि इन तीन के लिये काम है या नहीं है। एक तरफ से जिले के अधि-कारियों के निरीक्षण की बात को आवश्यक समझना और दूसरी तरफ से किसी

भी निरीक्षक को न रहने देना, यह तो दोनों बातें युक्तिसंगत नहीं हो सकतीं। ऐसा कोई न कोई ढंग तो उसका होना चाहिये। जहां तक बोर्ड का ताल्लुक है उसका कोई जिक्र भी नहीं हुआ। एक बहुत पुराना बोर्ड तो रहा ही नहीं है, उसका मैंने खुद यहां पर उल्लेख किया था।

हमारे शासन के सिलसिले में आज हमारा जो आदर्श और उद्देश्य है वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना है और इस बात की आवश्यकता है कि हर एक में वह भावना हो, हर एक में वह आदर्श हो और हर एक जो कि सार्वजनिक कार्य करता है, चाहे वैतनिक हो, चाहे अवैतनिक हो वह उस काम को अपना मुख्य काम समझे। इसलिये उसमें मनोभावना के परिवर्तन की जिस हद तक आवश्यकता है वह होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि उस परिवर्तन की आवश्यकता को सभी पूरे तौर से महसूस नहीं कर पाये हैं और इसको उन्हें महसूस करना चाहिये। यह भी जरूरी है कि वास्तविक काम में सब की शिरकत हो और जो बातें यहां कही गयीं कि १०,१५ गांवों में एक आदमी की देखरेख हो, उसका उपाय किया जाता है। मगर बड़े लोग तनख्वाह पाने वाले जो हैं, केवल १०,१५ गांव के पीछे एक एक व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। वैसे डेवलपमेंट ब्लाक्स बनाये गये हैं और उनमें हरएक को कुछ विशेष गांवों के लिये जिम्मेदार बनाने का भी हमारा प्रोग्राम है। मैं समझता हूं कि जो इंस्पेक्टरों के बारे में बातें कही गईं उसी पर ध्यान देने की जरूरत है और हमने दिया भी है। जहां तक नीचे के फील्ड वर्कस की बात और मुख्तलिफ महकमों की बात है, यह तो इस सदन को मालूम होगा कि एकीकरण करने का और जहां यह न हो सके वहां सामंजस्य करने का उद्योग किया जा रहा है और फील्ड लेविल वर्कस को एक मल्टी पर्पज वर्कस बनाने के लिये प्रयत्न पूरा हो रहा है। इसके फलस्वरूप बहुत से जो आपस में अलग अलग रहते थे वे महकमें के लोग अब एक हो कर काम करते हैं। उस सिद्धांत के अनुसार काम हो रहा है और उसे ध्यान में रखा जायगा। कुछ यह भी कहा गया कि स्टाफ ज्यादा है। इसके बारे में मैं समझता हूं कि छानबीन की जरूरत है और यदि स्टाफ ज्यादा है तो यह सही बात है कि काम भी बढ़ा है। डिप्टी कलेक्टर्स हैं, जुडिशियल आफिसर्स हैं सब बढ़े हैं और आज काम भी बहुत ज्यादा है। उन कामों को सुचारुरूप से करना आवश्यक है। मगर एक पैसा भी फजूल नहीं जाना चाहिये। यदि कहीं यह देखा जाय कि जरूरत से स्टाफ ज्यादा है तो उसे कम करना आवश्यक है और उसके ऊपर सरकार को विचार करना होगा और उसके लिये देखरेख भी करनी होगी। पर यदि इस सदन के सदस्यों को इस संबंध में कोई विशेष बात या जानकारी हो और वह उसको बता सकें तो मैं उनका आभारी हूंगा ताकि सबसे लाभ उठाकर हम उन बातों पर अपना निर्णय और निश्चय कर सकें।

कुछ बातें इधर उधर की ऐसी कही गईं कि म्युनिसिपैलिटीज से एक फाटक बनेगा, वह इस अनुदान में आता नहीं है। मगर कोई बेजा बात हुई होगी तो वह देखी जावेगी। अगर म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां गलत तरीके पर काम में आती हैं तो म्युनिसिपैलिटियों को सचेत होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह संभव हो सकता है कि अभी भी कहीं कहीं इस तरह से पूरी तरह ध्यान रख कर गाड़ियों का उपयोग न होता हो; इसके बारे में कुछ लोगों को सजा भी दी गई हैं परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकारी नौकर इसमें सचेत रहें और यदि इस संबंध में और भी शिकायतें हुईं और गाड़ियों का दुरुपयोग हुआ तो सरकार उसे बहुत गलत बात समझेगी और उसे ठीक करने के लिये जिन उपायों को करना होगा उन्हें करने पर मजबूर होगी।

यह भी कहा गया कि अदालतों में लोग वक्त पर नहीं आते हैं। हमने पूरी कोशिश इस बात की, की है कि जो वक्त मुकर्रर है उस पर अधिकारी लोग अदालतों में आया

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

करें। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बहुत से काम होते हैं और वह ठीक समय पर अदालत में आवें ही यह सदैव उसके लिये संभव न हो ऐसा हो सकता है क्योंकि अदालतों में उनके मुकदमें भी कम होते हैं। मगर जहां तक सब-डिवीजनल आफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट के और स्टाफ का या जुडीशियल मैजिस्ट्रेट का ताल्लुक है उन सब को अपने वक्त पर आना चाहिये और अब यह तरीका भी रखा गया है कि हर एक को उसके आने पर उसके आने का वक्त भी दर्ज करना पड़े और जहां कहीं यह देखने में आया या मालूम हुआ मुआयना करने पर कि अपने आने पर जो वक्त रजिस्टर में दर्ज नहीं किया है तो उस दिन के लिये उस पर कार्यवाही भी की गई है और जिन लोगों ने मुकदमों को बगैर अच्छी तरह से ध्यान दिये तारीख तो मुकर्रर कर दी लेकिन मुकदमों को ठीक वक्त पर नहीं किया उनकी शिकायतों के आने पर भी कार्यवाहियां की गईं और उनके इंक्रीमेंट्स रोके गये और उनकी तनज्जुली तक का ख्याल किया गया। मैं समझता हूं कि सरकारी अधिकारी अच्छी तरह से समझ लें कि जो नियम सरकार बनाती है उसको उनका पालन करना है और उनका पालन न हो तो फिर सरकार इस बात को किसी तरह से उचित नहीं समझ सकती और उनके उस उल्लंघन को वह नजरन्दाज नहीं कर सकती। कुछ यह भी कहा गया कि जो आज्ञायें सरकार देती है उनका पालन पूरी तरह से नहीं होता और हुक्म की तामील नहीं होती। यह अगर होता है और जहां भी होता है बड़े दोष की बात है। सरकार चाहे कोई भी सरकार हो हुक्म की तामील करना और उसके मुताबिक अमल करना सरकार के हर एक मातहत का, सभी मातहत का फर्ज है और अगर वह उसमें ढिलाई करे तो फिर सरकार का काम नहीं चल सकता और उनका भी काम नहीं चल सकता क्योंकि उनके भी नीचे और काम करने वाले होते हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस किस्म की शिकायत नहीं सुनी जायगी और अगर यह कोई कहता है जैसा कि यहां कहा गया है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते इसके लिये तो सरकार जिम्मेदार है तो सरकारी अहलकार का इस तरह से कहना हर तरह से अनुचित है। सरकारी अहलकार को जो वह कर सकता है करना चाहिये मगर सरकार के किसी काम की आलोचना करना या सरकार के बारे में कोई ऐसी बात कहना अनधिकार चेष्टा है और ऐसा उनको हर्गिज नहीं करना चाहिये। ऐसा करने में अनुशासन की कार्यवाही हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि हमारे सदन के सभी सदस्य और जनता शासन के कार्य को सुचारुरूप से चलाने को देखा करेगी और इसमें हम सब लोग सहयोग के द्वारा जो हमारे प्रदेश में ६ या सवा ६ करोड़ जनता रहती है उसके कष्टों को दूर करके उसकी अव्यवथाओं को दूर करके उसको कुछ थोड़ा सा जहां भी संभव हो सके आराम पहुंचाने का यत्न करेंगे। हमारा गरीब देश है, जनता दुखी बहुत है और शासकों और जनसेवकों सबका कर्त्तव्य है कि वह मिल जुलकर इस तरह से काम करें जिससे कि एक नया वायु-मंडल हो। हमारे देश में जिसने स्वतंत्रता प्राप्त की है कि एक नये युग के सुन्दर सुगंधित समीर को अनुभव करने का अवसर हमारे प्रदेश के लोगों को मिल सके और सबका एक दूसरे के साथ संबंध व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्तम हो और सारे प्रदेश की उन्नति के कार्य में कृतकार्य हों।

श्री मलखान सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की अत्यन्त प्रसन्नता है कि मैंने जो कुछ भी बातें कही थीं उसमें मेरा साथ यहां के माननीय सदस्यों ने किसी ने एक, किसी ने दो और किसी ने तीन और किसी ने सब बातों में बड़े जोरों के साथ दिया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह का यहां कथन किया मैं कह सकता हूं कि यह संतोषजनक कथन है। मेरा कहना केवल यह है कि इस कथन के साथ साथ करनी भी आ जानी चाहिये। अभी परसों १० मार्च की बात मेरे सामने आई है कि बहराइच के चुनाव के सिलसिले में कटका एक जगह है, जहां

पर बड़ा भारी मेला होता है, वहां पर हमारे मंत्री महोदय श्री हुकुम सिंह जी भी मौजूद थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से विरोधी नेता श्री राजनारायण जी भी थे.....

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—यह बात जो कही जाती है चुनाव के संबंध में, यह तो मैंने कोई बात कही नहीं। यह तो उत्तर नहीं है। नहीं तो मुझको कुछ कहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ कहूं। चुनाव के जमाने में यह कहना कि ज्यादती हो रही है, यह तो एक दूसरे से लड़ते हैं तो कहते ही हैं, कहा होगा, मगर इसका कहना जवाब के सिलसिले में उचित नहीं है।

श्री मलखान सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं लिखा हुआ दे सकता हूं। आप जानकारी करा लें, इस प्रकार से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जीप पर से उनके भतीजे साहब ने उनके सामने झंडा छीन लिया। अगर हमारे विरोधी नेता वहां न होते तो अशांति हो जाती। केवल यह बात मुझे उनके सामने ला देना है।

यह बात कोई हम जान बूझकर कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह बात तस्लीम की है कि हमने अब १० कमिश्नर से घटाकर ३ कमिश्नर कर दिये हैं और उसके बारे में यह कहा कि कानून अभी ऐसा है। मैं बहुत ही नम्रता के साथ कहूंगा कि जो इस वक्त कानून है उसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर है, माननीय मुख्य मंत्री जी पर है। अभी तक कानून में से वह शब्द कमिश्नर जो था इस तरह की कमिश्नरी से नहीं निकला है। मुझे खुशी इस बात की है कि अब जो कानून बने हैं, म्युनिसिपैलिटी का और जो कानून बना है किसानों के संबंध में उनमें कमिश्नर का कोई आवश्यक स्थान नहीं रह गया है और जैसा कि विश्वास दिलाया कि यह भी तीन वक्त पर आकर खत्म हो जायेंगे। यह भी एक अच्छी बात है, संतोषजनक बात है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो चार एडीशनल कमिश्नर रेवेन्यू का काम करने के लिये हैं उनके संबंध में मेरे एक बुजुर्ग भाई ने अपना एक सुझाव दिया है कि उनको बजाय वहां बिठाने के सिविल कोर्ट्स में बिठा दें उसी तनख्वाह पर तो सिविल कोर्ट्स में जो नये नये आदमी रखने पड़ते हैं उनको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुकद्दमों का भी फैसला हो जायगा। इमारतें जो खाली होंगी वह दूसरे इस्तेमाल में आ जायंगी। मैं समझता हूं कि इस ओर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान देंगे।

मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मैं यह कह सकता हूं कि जो उन्होंने अभी इस बात को महसूस किया है और यह कहा है और यह उम्मीद की है कि जिलाधीश और जो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंटस हैं वह अपने को पब्लिक सर्वेंट समझें और अपने मन में यह सोचें कि वह जनता के सेवक हैं और गरीब और दुखियों की बात सुनें। मैं आशा करता हूं कि शायद यह बात कार्य रूप में आये और जितनी जल्दी आये उतना ही हमारे उत्तर प्रदेश का कल्याण है और भलाई की बात होगी। यह भी उन्होंने महसूस किया इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिये बधाई दूंगा।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मुझे कुछ कहना नहीं है। एक तो चुनाव के बारे में जो श्री मलखान सिंह जी ने कहा, मैं वहां था नहीं, लिहाजा मुझे कोई बात कहना नहीं है। इसके पहले मुझे वह मालूम नहीं था वर्ना मैं पूछ लेता। विरोधी दल के नेता, कहना ठीक नहीं है। वह विरोधी रहे हों प्रतिस्पर्द्धा में। विरोधी होते हुये उन्होंने अगर अच्छा कार्य किया तो उसके लिये वह काम करना उन्होंने उचित ही समझा होगा। लेकिन यह भी कहा गया.....

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आपको मैं बतला दूं अगर जानना चाहें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—आप मुझे बतला दीजिये । मैं तो आपसे हर बात जानना चाहता हूं ।

यह कहा गया कि जो स्वशासन मंत्री थे उनके सामने कोई तमाचा मारा गया। इसको स्वशासन मंत्री भी स्वीकार नहीं करते और कलेक्टर भी स्वीकार नहीं करते।

श्री राजनारायण—कलेक्टर स्वीकार करते हैं। हमारे पास रिटेन उसका जवाब है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जो मेरी इत्तिला की बात है वह मैं कह रहा हूं। आपकी इत्तिला है वह आप जानें। मुझे इस संबंध में बहुत सी बातें मालूम हैं मगर कहना अनावश्यक है। अगर कोई आदमी गाड़ी में जाता हो और उसके आगे आकर रास्ता रोक दिया जाय चाहे वह बहुत भारी भरकम आदमी हो तो क्या किया जाय। पब्लिक रोड को इस तरह ब्लाक कर दिया जाय तो सरकारी कर्मचारियों का उसमें क्या कर्त्तव्य है, यह भी सोचने की बात हो जाती है। मैं तो इस छोटे से सिलसिले में और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष—क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री मलखान सिंह—जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या १३, लेखा शीर्षक २५, कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय के अन्तर्गत २,६६,०७,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय, ६३-ख-सामूहिक योजनायें

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३—योजना और एकीकरण, लेखा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय, ६३-ख—सामूहिक योजनायें के संबंध में १,९५,६६,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

इस संबंध में मैं आदरणीय सदन के सम्मुख चन्द बातें रखना चाहता हूं। इस साल के बजट में, पारसाल के बजट के मुकाबिले में कुछ ज्यादा रकम रखी गयी है। मोटी-मोटी मदें जिनमें ज्यादा खर्चे की मांग की गयी है, तीन हैं। उनमें से नंबर १ सेल्फ हेल्प की स्कीमों की है जिसमें ५० लाख रुपये की मांग रखी गयी है। इसके साथ ही साथ ५ लाख रुपये और कलेक्टिव फाइन में से रखे गये हैं।

दूसरी मोटी रकम कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के संबंध में है जिसके लिये ९१ लाख ८३ हजार रुपये की मांग रखी गयी है। तीसरी ऐसी मद ट्रेनिंग के संबंध में है और इससे कम दर्जे की चौथी मद पी० आर० डी० के संबंध में है।

माननीय मेम्बरान देखेंगे कि इस बजट में जहां आवश्यकता हुई है पारसाल के मुकाबिले में खर्चे को कम करने की कोशिश की गयी है। फिजीकल कल्चर के संबंध में २६ हजार रुपये की कमी की गयी है। इसी तरह से इटावा प्रोजेक्ट के संबंध में २३ लाख रुपये की कमी की गयी है।

इस मांग के जो स्पेशल फीचर्स हैं वे यह हैं कि इस रकम का बेश्तर हिस्सा ऐसा है जो सीधा जनता के हाथ में जाने वाला है। उसके संबंध में मैं दो तीन बातों की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नंबर १ यह कि पारसाल के १० लाख रुपये के अलावा इस साल जो ५५ लाख रुपया यानी कुल ६५ लाख रुपया सेल्फ हेल्प की स्कीम के लिये रखा गया है, वह इस तरीके से खर्च किया जायगा कि जो सार्वजनिक कार्य जिलों में होते हैं और जिन कामों को सेल्फ हेल्प स्कीम के मातहत जनता स्वयं करती है, उन कामों की उन्नति के लिये रुपया इस मद में से दिया जायगा।

मसलन अगर किसी गांव सभा को कोई सिंचाई की नाली बनानी हो या कोई तालाब बनाना हो या कोई नहर निकालनी हो या कोई सड़क बनानी हो तो उसके संबंध में इस मद में से रुपया दिया जाता है। फिर यह रुपया भी वे संस्थायें अपने जाती काम में नहीं लातीं। इस रुपये को फिर वे सार्वजनिक कार्य में खर्च करती हैं। तो इस तरह इसी रकम से कई लाभ हो जाते हैं। दूसरी ऐसी चीज कम्युनिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिये जो ९१ लाख रुपये की मांग है उसमें से आधा रुपया तो ऐसे कामों में खर्च होगा जो कि जनता के हित के हैं। मसलन आबपाशी बढ़ाने में या और ऐसे कामों में। तो इस तरह से इस बजट में कोई सवा करोड़ की रकम ऐसी है जिसमें १५ लाख के करीब ट्रेनिंग का भी शामिल है। ट्रेनिंग द्वारा हम अपने कार्यकर्त्ताओं को इस योग्य बनाते हैं कि वे जनता की पूरी तरह सेवा कर सकें। जब मैं ट्रेनिंग के संबंध में चर्चा करूंगा तब इसको बतला सकूंगा कि इस ट्रेनिंग से क्या क्या लाभ इस देश को होने जा रहा है। अभी तो मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि इस मांग में लगभग सवा करोड़ के करीब रकम ऐसी है जो सीधे जनता के हाथों में जाती है या उससे जनता की जो सर्विस पहुंचती है उसमें लाभ पहुंचता है।

इस डिपार्टमेंट की जो चीफ ऐक्टिविटीज हैं वह प्लानिंग के संबंध में और कोआर्डिनेशन के संबंध में हैं। प्लानिंग में है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट को चालू करना, उनकी देखरेख करना, दूसरे फाइव इयर प्लान के जो कार्य हो रहे हैं जिसको मुख्तलिफ मुहकमें करते हैं, उनकी देखरेख करना और उनमें सुझाव देते रहना। मुख्य कार्य जो प्लानिंग विभाग से होता है वह यह है कि मुकामी आवश्यकताओं को देख कर उनकी बिना पर प्लान बनाना और मुकामी सामग्री की बेसिस पर उस प्लान की पूर्ति करना। चुनान्चे पिछले जुलाई के बजट पास हो जाने के बाद शायद यह श्रेय इसी प्रान्त को हासिल है कि इसने इस बात की कोशिश की कि एक ऐसा प्लान बनाया जाय जो मुकामी आवश्यकताओं पर निर्धारित हो। चुनान्चे हर जिले की गांव सभाओं से लेकर उन तमाम चीजों को इकट्ठा करके एक प्लान बनाया गया है जिसको पिछले दिनों पत्रों ने पिपुल प्लान के नाम से भी पुकारा। पर प्लान का बना देना ही कोई बड़ी भारी बात नहीं है। असल बात यह है कि उस प्लान पर अमल करके कहां तक कामयाबी हुई। पिछले दिनों जो श्रमदान सप्ताह के संबंध में इस भवन में चर्चा हुआ में उसके ऊपर बहुत जिक्र करके इस भवन का समय नष्ट नहीं करना चाहता केवल इतना अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ जिलों के अन्दर तो कुछ मदों में अपने साल भर के कार्य को उन्होंने केवल एक सप्ताह में पूरा कर दिया। तो यह इस बात का सबूत है कि जो प्लान हमने बनाया उस प्लान में देहात की जनता का कितना सहयोग था। चूंकि वह प्लान उनकी इच्छा के मुताबिक बनाया गया था इसलिये उस प्लान को पूरा करने में उन्होंने पूरी मदद दी। श्रमदान के संबंध में इस प्लान को पूरा करने में जो सहयोग हमारे मुख्तलिफ मुहकमे सरकारी कर्मचारियों ने, स्कूल के विद्यार्थियों

[श्री फूलसिंह]

और अध्यापकों ने, गांवसभा और उनके अधिकारियों ने और दीगर कार्यकर्ताओं ने दिया है वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अलावा प्लानिंग मुहकमे का यह भी काम है कि वह उस सामग्री को जो बिल्डिंग मेटिरियल कंट्रोल आर्टिकिल में आते हैं या जो मुकामी तौर उपलब्ध नहीं है पहुंचाने की व्यवस्था करे। मैं यह कह सकता हूं कि इस मामले में हमको काफी कामयाबी मिली है लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि उसमें अभी और सुधार की गुन्जाइश है और मेरा यह ख्याल है कि हम बहुत जल्द दिक्कतों को दूर कर देंगे। हमको इन मामलों में पूरी तरह से कामयाबी हासिल करने में जो कठिनाई रही उसका एक कारण यह भी था कि हमने इन कामों को जुलाई के बाद शुरू किया। इस मुहकमे का काम आमतौर पर स्लेक सीजन में आसान था। बरसात में या उसके बाद गन्ने की मूवमेंट और ज्यादा शुरू हो जाती है। अगर हमने इस काम को शुरू साल में शुरू किया होता तो कुछ कठिनाई जो आज है वह उसमें न रही होती। मेरा यह ख्याल है कि इस साल के अन्त तक हम इन कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे। इस सिलसिले में जो मुख्य बातें हैं वह इस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग के संबंध की है। असल में जितने मुहकमें हैं और उन मुहकमों का जो सबसे नीचे दर्जे का कर्मचारी है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। बाज मुहकमों के लिये जिले के हेडक्वार्टर में एक आदमी होता है लेकिन अक्सर मुहकमे के छोटे कर्मचारी के पास २५, ३०, ४० गांव तक होते हैं। तो उसके लिये यह संभव नहीं है कि वह उन गांवों की पूरी तरह से सेवा कर सके। दूसरी तरफ हर गांव ८,१० आदमियों से ताल्लुक रखता है। तो गांव का आदमी भी एक जाती सम्पर्क उस आदमी से नहीं रख पाता है। इसके लिये दो इलाज हो सकते हैं। एक तो यह कि हम इतने आदमियों को भर्ती करें कि नीचे दर्जे के आदमियों का क्षेत्र छोटा हो जाय। तो यह तो इस समय संभव नहीं है। जो दूसरा इलाज है उसको करें। वह इलाज यह है कि जो छोटे और नीचे दर्जे के आदमी हैं उनसे हम कुछ ऐसे काम नीचे दर्जे के करायें जिससे मल्टी परपज काम हो जाय। उस मल्टी परपज काम के लिये कोशिश करें ताकि एक आदमी बहुत से काम कर सके उसके दो फायदे हैं— एक तो यह कि जो नीचे एरिया थे वह फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करके हर एक के पास दस पंद्रह गांव आ जायेंगे दूसरे एक आदमी का एक गांव से ताल्लुक रहेगा। उसके लिये ट्रेनिंग की आवश्यकता थी और हमने वह ट्रेनिंग शुरू की जो हम अब तक केवल बख्शी तालाब पर देते थे लेकिन वहां हम बहुत ही थोड़े आदमियों को ट्रेनिंग दे सकते थे। अगर इस चीज को सारे प्रान्त में हमें व्यापक बनाना है तो अभी ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिये इस बजट में बख्शी तालाब के सेन्टर के अलावा हमने ५ ट्रेनिंग सेन्टर्स और खोलने का प्राविजन किया है जिसके लिये कुछ रुपया सेन्टर की ओर से आयेगा और कुछ हम देंगे। ६ सेन्टर तो यह हुये और ९ सेन्टर ट्रेनिंग के हम अपने खोल रहे हैं जिनको केवल यही स्टेट फाइनेंस करेगी। और इनके अलावा भी हम कुछ छोटे-छोटे स्केलेटन ट्रेनिंग सेन्टर्स भी हर जिले में खोलने का इरादा रखते हैं ताकि उनको हम मल्टी परपजेज की तरह बनाकर सारे एरिया को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इस तरह से जिन मदों में रुपया खर्च किया जा रहा है उनकी उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है।

प्रान्तीय रक्षा दल के संबंध में मैं इतना कह देना जरूरी समझता हूं कि इसमें जो खर्च बढ़ा है उसका एक कारण है और वह यह है कि हमारा पिछला बजट जो था वह केवल ८ महीने का ही था और उससे पहले उसका संबंध पुलिस विभाग से था। इस साल यह बजट १ साल का है इसलिये उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है। इन चन्द बातों को सदन के सामने रखते हुये मैं इस मामले में ज्यादा लम्बी बात इसलिये नहीं रखता चूंकि ज्यादा लाभ तो उन सुझावों से होगा जो माननीय सदस्यों की ओर से आवेंगे। इसलिये केवल इतनी ही बातें पेश करके मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय में व्यापक सुझाव सदन दे जो हमारे काम को सफल बनावे। ज्यादा टेकनिकल बातों में जाने से कोई विशेष लाभ न होगा इसलिये मैं आशा करता हूं कि जो थोड़ा-सा समय इस मद के लिये है उसमें आप के सुझावों से इस सरकार को पूरा लाभ होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी करने का प्रस्ताव रखता हूं। यह विभाग कितना महत्व रखता है वह हम सब तभी समझ गये जब कि मुख्य मंत्री जी ने इस विभाग को खुद अपने पास रक्खा और इन दिनों हमारे माननीय मंत्री श्री फूलसिंह जी ने जिस उत्साह से इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की उसके लिये मैं समझता हूं कि वह इस प्रान्त के लोगों के बधाई के पात्र हैं। कौन इस प्रान्त में ऐसा होगा जो ऐसे कामों के लिये जिनका सीधे जनता से सम्पर्क है और उसको जिन कामों से फायदा है, ऐसे कामों में सरकार का साथ न देगा। इसलिये यह सब के लिये उचित ही था कि इस प्रान्त की सभी जनता ने इसमें सरकार का साथ दिया। मैं आज यहां पर जो कुछ भी कहूंगा वह केवल सुझाव की नियत से ही कहूंगा। इतना मैं अवश्य चाहता हूं कि यह जो १ करोड़ ९५ लाख रुपया इस विभाग में खर्च हो वह सचमुच हमारे प्रान्त के लोगों की भलाई और देश का लाभ कर सके।

मैं यह भी जानता हूं कि जैसा माननीय फूलसिंह जी ने अपने बयान में बतलाया है कि इस प्रान्त में एक ही हफ्ते के अन्दर २० लाख आदमियों ने काम किया और एक करोड़ की मिट्टी खोद दी गयी। अगर इस तरह से हमारे प्रांत में दस हफ्ते भी काम हो तो दस करोड़ का काम तो हमारे प्रान्त में हो ही सकता है। चूंकि वह काम पहले पहल किया गया बहुत से लोग काम करने गये लेकिन उनके पास साधन नहीं थे, औजार नहीं थे, फड़ुआ नहीं थे जिससे वह खोद सकते। बहुत से लोग गांव वाले तमाशा देखने के लिये गये कि बड़े बड़े अफसर फड़ुआ से कैसे खोदते हैं। इसको भी देखने के लिये गये। वह जो आदमी देखने के लिये आये हुए थे उनकी भी तादाद हमारे यहां के अफसरों ने जो जिले के होते हैं काम करने वालों में दर्ज कर ली। कुछ काम तो उन्होंने किया ही। देखा उनको। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि अगर सचमुच इस प्रान्त में ऐसे काम होने हैं तो जो वर्तमान मशीनरी इस काम के लिये रखी गयी है यह बिल्कुल गलत है और वह उसे पूरा नहीं कर सकती और इसी मशीनरी के आंकड़ों की बिना पर जो यह सारे बुलेटिन छप कर बट गये हैं, हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मैं अपने जिले की ही एक मिसाल लेता हूं। मेरे पास वहां के प्लानिंग आफिसर का जो कम्युनिक आया है जिस पर उनके दस्तखत हैं, अगर यह सच है तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है। हमारे जिले की आबादी करीब सात लाख के है। वह कहते हैं कि १ लाख ६७ हजार आदमियों ने हमारे जिले में काम किया इस हफ्ते के अन्दर, जिसमें कुछ तहसीलें तो बिलकुल छूटी हुई हैं। सात लाख में तीन लाख की आबादी हमारे इलाके में पड़ती है। उधर यह काम किसी कारणवश न हो सका बाकी जो हिस्सा बचा उसमें १ लाख ६७ हजार आदमियों ने काम किया। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में अगर किसी अफसर की जरूरत हो तो हमारे जिले का प्लानिंग आफिसर बुला लिया जाय तो बड़ा अच्छा होगा: वह कहता है, "सामूहिक विकास योजना क्षेत्र तथा हवालबाग ग्राम सेवक प्रशिक्षण शिविर के निर्माण कार्यों का कुल मूल्यांकन १६,३८२ ८० १ आना का किया गया है।" बिलकुल करेक्ट कैलकुलेट करके भेज रखा है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इन चीजों की जांच अवश्य हो। हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। हमारे पास जो कम्युनिक है वही इन बुलेटिन में छप कर आ गया है। जितनी चीजें इसमें लिखी हुई थीं, पाखाना बनाना, पिट्स बनाना, ड्रेंस बनाना सारी चीजें दर्ज हैं और इसपर हमारे मंत्री जी ने प्रोपोजल किया है कि जिस जिले के अन्दर अच्छा काम हुआ हो उसको इनाम दिया जाय, किसी को २० हजार, किसी को १७ हजार। उसके लिये एक कमेटी मुकर्रर की गयी है जो ठीक जांच कर इनाम देगी और उस कमेटी के सामने भी यह किताब रखी जायगी तो मेरा जिला उसमें सबसे पहला आयेगा। १ लाख ६७ हजार आदमियों ने एक हफ्ते के अन्दर काम कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का हूं कि यह कमेटी न बने, यह इनाम जिलेवार नहीं बांटे जाने चाहिये, क्योंकि इन आंकड़ों से कुछ पता नहीं चल सकता

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

है। सारे प्रान्त क जिलों में कमेटी को दौरा करना पड़ेगा कि इतनी सड़कें बनीं, इतनी नहरें बनीं, इतनी गूलें खोदी गयीं। लाखों रुपया उसमें खर्च हो जायगा। इसलिये जिले के जिस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ हो उस क्षेत्र में कुछ रुपया इनाम के लिये दे दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि अगर यह काम बढ़ाया जायगा और हमारे प्रदेश की सब पार्टियां इसमें सहयोग देंगी, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो स्वप्न हम देखा करते थे उसे हम किसी तरह से हम पूरा न कर सकें। पर जहां तक सरकार कहती है कि सबका सहयोग हमें चाहिये, स्टेटमेंट भी निकल जाता है, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि सबका सहयोग हो, लेकिन जब सहयोग प्राप्त करने की बात आती है तो कोई हमारा सहयोग लेने के लिये तैयार नहीं होता। अगर इसमें यह हो कि जितनी प्लानिंग कमेटीज हैं, जितने प्लानिंग के काम होते हैं उनमें सरकार किसी पार्टी, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी हो, जनसंघ हो, उन सब से इस काम के लिये सहयोग प्राप्त करे तो काफी काम हो सकता है। इस काम के लिये जो कमेटी बनी है उसमें कोई भत्ता वगैरह तो देना पड़ता नहीं है, जो आना चाहे उसे सरकार ले। सरकार ने उसमें रखा है कि ३ आदमी तो सरकार नामिनेट करती है और सरकार इतना विशाल बहुमत होते हुये भी उन नामिनेशन में भी कांग्रेस वालों को भर देती है। अगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी उनके प्रतिनिधियों को भी कमेटी में ले लेंगे तो प्रान्त के लोगों का सहयोग आपको इन कामों में ज्यादा मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज भी कहना चाहता हूं कि उन प्लानिंग कमेटीज के जितने प्लानिंग आफिसर्स काम न करते हों और जनता से सम्पर्क न करा सकते हों उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। एक छोटी सी प्लानिंग कमेटी का मैं भी एक एम० एल० ए० की हैसियत से मेम्बर हूं लेकिन आज तक मुझे उस प्लानिंग कमेटी में हमारे यहां के अफसर ने नहीं बुलाया और भी हमारे यहां के एम० एल० एज० हैं उनको भी नहीं बुलाया। एक मर्तबा बागेश्वर में मेले के सिलसिले में मैं गया था। वहां मीटिंग हो रही थी, मैं वहां जबरदस्ती चला गया। मैंने समझा कि मुझे चिट्ठी गयी होगी, न मिली होगी। वहां कुछ चर्चा छिड़ी तो बहाना कर दिया कि इस वजह से नहीं बुला सके। लेकिन वह कभी भी नहीं बुलाते। यह हमारे जिले की हालत है, मुझे और जगह का पता नहीं। मैं उस जगह न भी जाऊं तो बाहर भी उस काम को करवा सकता हूं। वहां हाल यह है कि जब मंत्री जी वगैरा जाते हैं तो अफसरों की लाइन लग जाती है जिससे मालूम हो कि बड़ा कार्य हो रहा है। इस तरह से जनता का सहयोग नहीं मिलता। अगर जनता से यह सहयोग लेना है तो निकम्मे अफसरान को हटाइये, खराब काम करने वालों को हटाइये और जो जनता का काम करते हों उनको काम पर लगाइये, तभी जनता के सम्पर्क वाले कामों को आप बढ़ा सकते हैं।

अब रहा अध्यक्ष महोदय कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। हमारे प्रान्त में ६ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है इटावे की लाइन्स पर और मैं समझता हूं कि जैसा कि हमारे बुलेटिन्स में कहा गया कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग परिस्थितियां हैं और उनके मुताबिक वहां पर काम होगा, क्योंकि कुछ मैदानी इलाके हैं और कुछ पहाड़ी इलाके। एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का काम हमारे यहां भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसमें सहायता दें, लेकिन वह सहायता कोई लेना नहीं चाहता। वहां अभी तक कोई उत्साह का काम नहीं हो रहा है। लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि इस वक्त नहीं हो रहा है तो आगे काम न हो। हम अब भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। लेकिन हम इस मशीनरी के जरिये, जो उसका वर्तमान सेटअप है उसमें ऐसा काम नहीं कर सकते। थोड़े दिन में आप देखेंगे, अध्यक्ष महोदय, कि वह फेल हो जायगी। इसलिये हम सरकार से सुझाव रख रहे हैं जिस तरह कि आपके कम्युनिटी प्रोजेक्ट तमाम प्रान्त के अन्दर चल रहे हैं जनता के सहयोग से, उसी तरह से आप हमको थोड़ा रुपया किसी फंड से दे सकते हैं। कल हमने रेडियो से सुना कि केन्द्र ने तीन करोड़ रुपया का ग्राम सुधार के लिये एक फंड बनाया है जिसे स्टेट को दे देगी और स्टेट जहां के लोग कुछ कार्य करना चाहते

हैं उनको देंगे। तो जितना रुपया आप खर्च करते हैं उसका आधा रुपया आप हमको दें। अभी तो यह एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। रुपया आपका बेकार नहीं जायगा। अगर कम्युनिटी प्रोजेक्ट वाला रुपया बेकार चला जा सकता है तो वह भी चला जायगा। तो मैं यह सुझाव देता हूं कि एक एक्सपेरिमेंटल मेजर के तौर पर आप एक काम हमें सौंपें पहाड़ पर और एक प्लेन्स में, बैकरिया में दे दीजिये। हम भी उस काम को करेंगे और कम्पटीशन होगा हमारे और उनके बीच। फिर देखें कि जनता से ज्यादा कौन काम करवा सकता है। मैं दावा करता हूं कि हम बिना आफिशियल मैशीनरी के जनता से ज्यादा काम करवा सकते हैं। हमारी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में जो बहुत सी मदें हैं उनके लिये भी हमें रुपया नहीं चाहिये। अगर आप रुपया नहीं दे सकते हैं तो कर्ज दीजिये। चाहें तो थोड़े सूद और ब्याज पर दे दीजिये। जैसा कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में कहा है कि सुपरवाइजर और टेक्निकल स्टाफ के लिये २७६ हजार रुपया रखा गया है, हम एक इंजीनियर और ओवरसीयर रख करके इस काम को कर लेंगे। थोड़ा सा रुपया हमें दे दें। क्षेत्रीय कार्यकर्ता थोड़े से हैं उनके लिये भी रुपये की जरूरत नहीं है। उपकरण, नुमाइश की जरूरत हमें नहीं है। सिंचाई की योजना के लिये आप हमें रुपया दे दीजिये। पीने के पानी की व्यवस्था के लिये जो रुपया आपने रखा है वह दे दीजिये, नाली वाला रुपया दे दीजिये। शिक्षा के लिये नहीं चाहिये। हम अपनी शिक्षा दे लेंगे। नयी जमीन तोड़ने के लिये जो रुपया है वह नहीं चाहिये। अस्पतालों के लिये भी नहीं चाहिये।

ग्रामीण उद्योग धंधों का जो रुपया है वह हमको दे दीजिये, पशुपालन का भी जो रुपया है उसका भी थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिये। इतना रुपया हमको अगर आप दे दें जिस हिसाब से आपने उनके लिये रखा है उसी के हिसाब से तो हम दिखा देंगे कि हम कितना कार्य कर सकते हैं। यह रुपया बरबाद किया जा रहा है या काम में आ रहा है इसकी जांच करने के लिये एक कमेटी रख दीजिये। जो काम अधिकारियों द्वारा हो रहा है उसके लिये एक नाम-आफिशियल कमेटी रख दीजिये और हमारे लिये आफिशियल्स की कमेटी रख दीजिये जो कि इस बात की जांच करे। फिर उपाध्यक्ष महोदय, चाहे असेम्बली छोड़नी पड़े, यहां न रहना पड़े, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ठीक रास्ते से इस काम को किया जाय तो हम जनता से करोड़ों रुपयों का काम करा सकते हैं। आज मौका है। एक मौका सन् ४७ में था। उसे हम लोग चूक गये। आज फिर एक मौका हमें मिला है जब कि जनता काम करने के लिये तैयार है। जनता में फिर एक बार काम करने की इच्छा जागृत हुई है। अगर इस वक्त हम चूक गये तो हमें पछताना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। अभी तिब्बत की तरफ से दो तीन आदमी आये हैं जिन्होंने कहा है कि नेता जी चीन में हैं। तो इस तरह से कम्युनिस्ट इन्फिलटरेशन हमारे यहां हो रहा है। अगर आज उनके प्राबलम्स साल्व नहीं किये गये तो अपने देश को बड़ा भारी खतरा है। यदि हम चाहते हैं कि अपने देश में अमन हो, लोगों की भलाई हो, देश के लोग कुछ काम कर सकें तो उचित रूप से कार्य हो। अभी बरसात आने वाली है जिन गांवों में सड़कें खुदीं, चाहे कुछ मिट्टी ही फेंकी गई हो, कुछ भला बुरा जो कुछ भी हो कुछ काम हुआ तो सही, तो उसको अगर आप पूरा कराना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि शीघ्र से शीघ्र पूरे किये जायें। कागजी घोड़ा जो दौड़ाये जाते हैं उनकी जगह और इन्तजाम किया जाय। जब सहायता मांगी जाय तो यह न किया जाय कि पहले कम्युनिटी प्रोजेक्ट अफसर के पास दरख्वास्त ले गये, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त गई, फिर कमिश्नर साहब के पास गई, फिर खेरा साहब के पास और फिर पन्त जी के पास दरख्वास्त गई और अन्त में फिर डिप्टी प्रोजेक्ट अफसर के पास भेज दिया गया। तो इसमें तो एक दो साल लग जाते हैं। आज आवश्यकता है कि रुपये की थैली हाथ पर हो। जब भी जरूरत पड़े सहायता मिल जाय। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जैसा जब प्राइमरी राजकीय स्कूल खोलने थे तो सरकार की तरफ से कहा गया कि एक एक हजार रुपया हर स्कूल के लिये सरकार देगी, हमने स्कूल तमाम खोल लिये लेकिन सरकार एक रुपया भी देने को तैयार नहीं है। तो ऐसा न हो। आप एक तरफ रुपया खर्च करने को तैयार हों तो

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

मुझे पूरा विश्वास है कि इस संबंध में जनता पूरा सहयोग आपको देगी और तमाम प्रान्त की जनता के सहयोग से प्रदेश के लोग बहुत ऊंचे उठ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे इस सुझाव पर विचार करेंगे और हमें मौका देंगे कि हम कुछ कार्य कर सकें।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। हमारी विकास की योजनाओं को देखते हुये जो अनुदान की रकम रखी गई है मेरे विचार से वह बहुत ही कम है। आज हमारे प्रदेश के लिये बहुत सी योजनायें हैं और उन्हें पूरा करने के लिये हमें बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है क्योंकि हम जिस स्थिति में चल रहे हैं उसको देखते हुये १ करोड़ ९५ लाख रुपये की जो यह धनराशि है इसी से हमें एक वर्ष में अपनी बहुत सी योजनाओं को पूरा करना है। इन योजनाओं को पूरा करने के लिये सबसे प्रथम हमारा जो कार्य है वह यह है कि हम स्वयं उसमें लग कर के पूरा करने का प्रयत्न करें। आज और इससे पहले इस भवन में बहुत सी समालोचनायें और आलोचनायें हुई हैं और बहुत सी आलोचनायें अधिकारियों से संबंध रखती हैं। इस निर्माण के कार्य में विशेष रूप से हमारे अधिकारियों के सहयोग और कार्यकर्त्ताओं के सहयोग की आवश्यकता है। इससे पहले अनुदान के समय जो बातें इस भवन में उठी थीं उसमें से मालूम होता था कि हमारे जिले के अधिकारी कार्यकर्त्ताओं से सहयोग न करके जो योजनायें होती हैं उन्हें सही तरीके से पूरा नहीं करते हैं। बहुत से साथियों ने यह भी कहा था कि उनको यह भी नहीं मालूम रहता है कि हमारे जिले में कितने विभाग हैं, किन्तु इसका कुछ उत्तरदायित्व हम लोगों पर भी है। विकास योजनायें जितनी बढ़ेंगी उतना ही हमें अधिकारियों को बढ़ाना पड़ेगा किन्तु उन अधिकारियों से कार्य लेने का तो हमारा ही उत्तरदायित्व है। यदि हमारे जिले के अन्दर बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनको यह भी नहीं मालूम है कि कितने तालाबों में मछली पालने के लिये स्थान मिल सकता है और कहां हमें मधु मक्खियों के पालने के लिये स्थान मिल सकता है, हम उनको ऐसे कार्य में सहायता न करें तो यह विकास की योजनायें किस प्रकार चालू हो सकती हैं। आज जो स्थिति हमारे सामने है उसमें साधारण से साधारण बात लेकर बड़ी से बड़ी बात के लिये हमें अपना सहयोग देना पड़ेगा। जिस समय हम यहां किसी भी अनुदान पर आलोचना करते हैं तब हमें अपने भी उन कार्यों को देखना चाहिये कि हम जिले के अधिकारियों को या योजना आफिसर को इन कार्यों में कितना सहयोग देते हैं। प्लानिंग कमेटी की मीटिंगों में खाली जा करके क्या हम अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। जनता ने जो उत्तरदायित्व हमारे ऊपर डाला है उसको देखते हुये यह हमारा कर्त्तव्य है कि जो योजनायें हम यहां बैठ करके बनायें उनको पूरा कराने के लिये वहां के अधिकारियों पर स्वयं जोर डालें और तल्लीनता के साथ लग करके उन कार्यों को पूरा करें। ये जो विकास योजनायें हमारे प्रदेश और देश में हैं वे दिनोदिन बढ़ती रहेंगी और उसके अनुसार हमको अपने राष्ट्र का निर्माण करना होगा। उसके साथ ही साथ उस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये जिन बातों की आवश्यकता है उन्हें पूरा करना पड़ेगा। कोई भी निर्माण का कार्य, कोई भी विकास का कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उस जिले के अधिकारी और जिले के कार्यकर्त्ता मिल करके उस कार्य को न करें। आज इस बात का अभाव है और हमें इसे दूर करना है। मैं इस बात को जानता हूं कि जिले के कुछ अधिकारी ऐसे कार्यों में कार्यकर्त्ताओं का सहयोग लेना पसन्द नहीं करते या किन्हीं कारणवश वे उसे लेने में संकोच करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारे बहुत से साथी कार्यकर्त्ता भी उदासीन रहते हैं किन्तु हमें अपनी उदासीनता को छोड़कर अपने अधिकारियों को उस कार्य पर स्वयं लगाने के लिये उद्यत होना पड़ेगा और उसमें स्वयं लग कर उस कार्य को पूरा करना पड़ेगा, तब ही हम इतने बड़े विकास के कार्य को पूरा कर सकते हैं। आज जितना भी यह विकास का कार्य है बहुत ऊंचे ऊंचे अधिकारियों की संरक्षता में होने जा रहा है। आज बहुत से हमारे इस प्रान्त के अधिकारी आई० सी० एस० और पी० सी० एस० के लोग हैं जो इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये हैं। हमारे प्रदेश के बहुत से लोगों को प्रायः सभी जिलों में इस तरह की

शिकायतें हैं कि अधिकारी लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम यह जानते हैं कि जब से हमने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली है हमारे इस प्रदेश के नेताओं ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ अधिकारियों की मनोवृत्ति को बदला है और उनमें से बहुत से अधिकारी आज जन-सेवा की मनोवृत्ति को सामने रखकर कार्य कर रहे हैं। किन्तु आज भी कुछ ऐसे बड़े अधिकारी हमारे बीच में हैं जिनकी मनोवृत्ति नहीं बदली है और उनकी मनोवृत्ति के कारण दूसरे अधिकारियों की मनोवृत्ति पर दूषित प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार के दूषित प्रभाव का असर यह होता है कि जो कार्य उन्हें सद्भावना और सेवा भाव के साथ करना चाहिये उसको वे नहीं करते। दूसरे लोग भी उसके प्रभाव से इस प्रकार कार्य नहीं करते जिस प्रकार सरकार उस योजना को बना कर उस कार्य को करने के लिये उनके उत्तरदायित्व पर छोड़ती है। आज हमें इस मनोवृत्ति में सुधार करने की आवश्यकता होगी। हमारे बहुत से भाई भी इस प्रकार की आलोचना करते हैं कि अधिकारियों की मनोवृत्ति को बदलना है वे शायद यह भूल जाते हैं कि जो अधिकारी ऊंचे दरजे के हैं और जिनकी मनोवृत्ति नहीं बदली है उसका एक विशेष कारण यह है कि जिस समय शासन की बागडोर हमने संभाली तब कुछ हमारे ऐसे वादे थे, कुछ ऐसे समझौते थे कि हम बहुत ऊंचे अधिकारियों के मामलों में ज्यादा दस्तन्दाजी नहीं कर सकते हैं। इसका लाभ उठाकर बहुत से अधिकारी हमारी जो देश को उन्नत करने की योजनायें हैं, उनमें सेवाभाव से कार्य करने की चिन्ता नहीं करते और सेवा की मनोवृत्ति अपने में पैदा करने में भी वह संकोच करते हैं। इसके लिये तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम स्वयं उनसे कार्य करवाने की क्षमता अपने में पैदा करें और जो योजनायें हम यहां बैठ कर बनाते हैं उन्हें उनसे पूरा कराने में अपना समय दें और जनता के सहयोग से उसको पूरा करायें और जो अधिकारी उसमें शिथिलता करें उसके लिये सरकार की नोटिस में लायें। आज एक राष्ट्र के निर्माण करने की बात हमारे सामने है उसमें यह प्लानिंग का काम सबसे प्रमुख स्थान रखता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस विभाग के उपमंत्री इस विषय में विशेष दिलचस्पी रखते हैं और काफी समय देकर इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं। किन्तु हमें यह भी देखना है कि क्या हमारे उपमंत्री महोदय के कार्य करने से यह कार्य पूरा हो सकता है? हम ४३० सदस्य जो यहां बैठते हैं उनका भी उसमें बहुत कुछ उत्तरदायित्व है कि हम ऐसी योजनाओं और कार्यों की रूपरेखाएं बनाएं जिनके द्वारा जनता की अधिक सेवा कर सकें। आज छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक में इन योजनाओं की बड़ी आवश्यकता है। छोटे छोटे से गांवों से लेकर बड़े बड़े नगरों में स्कूल और अस्पताल इत्यादि बनाने की हमारी योजना है। आज जिस स्थिति में हमारा देश और प्रदेश चल रहा है वह इस बात का द्योतक है कि सरकार और इस प्रदेश के एक एक नौजवान, एक एक बच्चे और एक एक स्त्री को मिल करके इस योजना के कार्य को पूरा करना है तब हमारा जो रामराज्य का स्वप्न है वह पूरा हो सकता है। महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता हमारे सामने रखा था उसको तभी हम पूरा कर सकते हैं जब हम स्वयं योजनायें यहां पर बैठ कर बनायें उनको वहां जा करके पूरा कराने में जनता का पूरा सहयोग लें, हमारे सूबे के अधिकारी सहयोग करें या नहीं अगर हम तल्लीनता के साथ लग जायं और इस कार्य को पूरा करने का अपना निश्चय कर लें तो मुझे आशा है कि जो अधिकारी इस कार्य में शिथिलता करते हैं, वे भी उसमें सहयोग देंगे और जो योजनायें हम यहां पर बनायेंगे उसे वहां जा करके ही सही तरीके पर पूरा कर सकेंगे। मुझे आशा है कि हमारे सब साथी जो यहां इस भवन में बैठे हैं, जिन्हें जनता ने यह समझकर भेजा है कि हमारी उन्नति के लिये यह वहां जा करके काय करेंगे, उनके लिये सबसे बड़ा कार्य इस योजना के द्वारा पूरा होता है। अगर हम में से एक एक भाई ने और एक एक साथी ने अपने क्षेत्र में अस्पताल, गली, रास्ता, रोशनी और सफाई कराने का प्रबन्ध किया तो मेरा यह विचार है कि हम थोड़े ही दिनों के अन्दर इस प्रदेश के अन्दर इस प्रदेश को स्वर्ग बना सकेंगे। लेकिन यदि हम ने अपने कार्य में शिथिलता की और सिर्फ यहां बैठ कर अनुदानों पर आलोचना और समालोचना की तब इससे कुछ नहीं होगा। मुझे आशा है कि जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने रखा है उसका सभी समर्थन करेंगे।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ज ग्रांट इस वक्त भवन के जेरेबहस है उसके मुताल्लिक मैं समझता हूं और मुझे यकीन है कि दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारे पूरे बजट की जान यह ग्रांट है। यों तो प्लानिंग के सिलसिले में इस सूबे में काफी अर्से से काम होता रहा और जब से पापुलर गवर्नमेंट आयी उस काम में काफी तेजी हो गयी लेकिन हमारे मुल्क का फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जब शाया हुआ तो बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीदें पैदा हो गयीं। बहुत से मायूस दिलों में इस बात की उम्मीद पैदा हो गयी कि इस मुल्क का मुस्तकबिल, इसका आइन्देहाल ऐसा बनने वाला है और हम अपने अन्दर एक ऐसी भावना पैदा करना चाहते हैं जिसके जरिये से यह मुल्क तरक्की के रास्ते पर चला जाय और बावजूद इसके कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हम उस वक्त का इन्तजार नहीं कर सकते जब हम बजट में मामूली तौर पर रुपया रख कर अपने मुल्क की तरक्की करें तो हमें यह सोचना चाहिये कि हम ऐसी भावना अपने मुल्क के अन्दर पैदा करें कि हर शख्स इस बात के लिये तैयार हो जाय कि वह अपनी कमर कसले और अपने ऊपर कुरबानी बर्दाश्त करे कि मुल्क की तरक्की हो। हम जानते हैं कि फाइव ईयर प्लान गवर्नमेंट का प्लान नहीं है यह तो हमारा नेशनल प्लान है और इसमें ख्वाह इस मुल्क की कोई भी संस्था हो, सबकी आवाज इसमें शामिल है। जिस समय यह प्लान बनाया गया तो मुल्क की संस्थाओं से इसके मुताल्लिक राय ले ली गई थी।

अभी मुझसे पहले जो मेरे दोस्त कुमायूं के मेम्बर साहब तकरीर फरमा रहे थे मैंने उनकी बात बहुत गौर से सुनी। मैं उनकी इज्जत करता हूं और उनकी राय को भी बहुत वक़त देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह कौम के लिये हर वक्त कुछ न कुछ करने के लिये बेताब रहते हैं। लेकिन जब उन्होंने यह फरमाया कि हम यह चाहते हैं कि हमें अपने तौर पर कम्युनिटी प्रोजेक्ट चलाने का मौका दिया जाय ताकि यह मालूम हो सके कि हमने बेहतर काम किया या दूसरों ने। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि इस मुल्क की तरक्की के लिये इस बात की जरूरत नहीं महसूस होती कि इसमें किसी किस्म की पार्टीशन की बू पैदा की जाय। जो प्लानिंग का काम इस वक्त हमारे सूबे में चला उसमें बहुत सी कमियां और खामियां रह गई थीं और गवर्नमेंट भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकती है और न करेगी ; लेकिन हम उस बैकग्राउन्ड में इस चीज को देखें कि किस मौके पर हमने इस काम को शुरू किया। हमारा वह तजुर्बा और हमारे वह काम जो हमने किये हमें इस बात की उम्मीद दिलाते हैं कि हम इससे काफ़ी तजुरबा हासिल करेंगे और उसमें हमें ज्यादा कामयाबी की उम्मीद हो सकती है। मेरे दोस्त ने कहा कि वाकई जो काम हमारे जिलों में होता है वह काम वाकई होना चाहिये जो हक़ीक़त में उस मुकाम पर अन्जाम पाता है। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट भी इसके लिये कीन है और हमारे आफिसर्स भी कीन हैं और उन्हें होना चाहिये, कि जितना काम हम वहां पेश करते हैं उसे उतना ही करके वहां दिखाना चाहिये, क्योंकि अगर कागज पर हमने ज्यादा काम दिखाया तो हमारे फाइव ईयर प्लान की पोजीशन बिलकुल अमनसभा की सी हो जायगी और जिसे यह हाउस किसी भी सूरत से बर्दाश्त नहीं कर सकता।

एक चीज और यह है कि इस वक्त जितना भी काम हुआ है, वाकई उसकी कीमत अगर रुपयों में देखी जाय तो वह लाखों नहीं, करोड़ों रुपया होगी, इसकी कीमत इसलिये और भी ज्यादा होती है कि हमने लोगों के दिलों में यह भावना पैदा करदी है जिससे हमारी आइन्दा की बहुत सी उम्मीदें बाबस्ता हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर वह काम हुआ है कि हमें यह देखना है कि वह काम अधूरा न रहे जिससे लोगों की मेहनत जाया जाय। जिस काम को भी हम अपने हाथ में लें यह बात हमारे सामने होनी चाहिये कि उसमें पुख्तगी और इतनी गुंजाइश होनी चाहिये कि अगले मौके पर जब हम काम शुरू करें तो उसी मुकाम से उठा सकें जहां हमने पिछली मर्तबा खत्म किया था। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि खुद मेरे जिले में नेगी साहब जो डिप्टी मिनिस्टर हैं उनको जाने का मौका मिला। हमारे जिले में खुद हमने ऐसी सड़कें बनाईं और उनको वैसे ही छोड़ दिया। नेगी जी ने वहां एक बहुत अच्छी बात कही और वह मुझे भी पसन्द आई कि सिर्फ सड़क बना देना ही मुकम्मिल बात नहीं हो सकती इसलिये कि बारिश आयेगी और इन सड़कों की मिट्टी धुल जायगी और फिर हम लोग उसी

जगह पर पहुंच जायेंगे जहां से शुरू किया था ; तो सड़कों के लेविल को इतना ऊंचा रखने की जरूरत है ताकि पानी बारिश का आसानी से बहता हुआ निकल जाय। इसका नतीजा यह होगा कि वह काम पुख्ता होगा और काम में पायेदारी आयेगी और जिस चीज के लिये हमने इतना इनीशियेटिव लिया है और खर्च किया है वह रायगां नहीं जायगा। तो मेरे इस मिसाल देने का मतलब यह है कि इस बात की तरफ तवज्जह करने की जरूरत है और प्लानिंग में जिस किसी भी काम को लिया जाय उसको इस तरह से बनाने की जरूरत है जिसमें इस बात का इमकान न हो कि वह काम नामुकम्मिल रह जायगा और वह बारिश की वजह से और किसी और खराबी की वजह से बेकार हो जायगा।

जनाबवाला, इस प्लानिंग के बजट में पिछले साल से मैंने यह भी देखा कि हमारे यहां जो फिजिकल कल्चर था या उसका काम भी शामिल कर दिया गया है। इस भवन को मालूम है कि कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर कई सालों से हमारे सूबे में काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। पिछले रिआर्गनाइजेशन के मौके पर उसको और रक्षक दल को मिला दिया गया है। खुदा करे कि वह काम कामयाब हो और इसके जरिये से मुल्क और कौम की खिदमत हो सके। लेकिन मुझे अभी तक उसकी पूरी तसवीर नहीं मिल सकी कि फिजिकल कल्चर के काम को किस तरह से तरक्की दी जायगी। मैं उपमंत्री साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उसके मुताल्लिक वह खास तौर से तवज्जह फरमावें और जो प्लानिंग कमेटी है उसकी तवज्जह दिलायी जाय कि इसके काम में खास तौर से प्रोग्राम रखें और इसका काम आसानी से चले। उपाध्याय जी ने यह शिकायत की थी कि प्लानिंग में अपोजीशन के लोगों को काम करने का मौका नहीं दिया गया है। मैं उनकी तरफ से गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो कोई सब लोग मिलकर इस काम को चलावें और शायद यह है कि हर जिले में जो वहां का एम० एल० ए० हो और एम० पी० हों वह उस कमेटी का मेम्बर हो। इसलिये जरूरत इस चीज की है कि हम लोग जहां तक इस काम का ताल्लुक है इसको नेशनल प्लान समझ कर, एक इमरजेंसी समझ कर जहां तक कि इस काम का ताल्लुक है अपने उसूलों को और अपनी संस्थाओं के जितने झगड़े हैं उनको अलग रखकर इसमें लगें और इसको कामयाब बनाने की कोशिश करें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरीगढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण मंत्रिमंडल में ठाकुर फूलसिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ मेरी सहानुभूति और हमदर्दी है। जिस प्रकार एक मछली पानी से निकाले जाने के बाद कुछ समय तक तड़पती रहती है और जिस प्रकार एक डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, उसी प्रकार हमारे माननीय ठाकुर साहब जिलों का तूफानी दौरा तड़पते हुये कर रहे हैं और एक डूबते हुये मनुष्य के समान जिला कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती तैयार किये हुये प्रदर्शनों का सहारा लेते हैं। मुझे और इस प्रदेश की सब जनता को यह उम्मीद थी कि ठाकुर साहब इस मुहकमे को लेने के बाद एक नई "ब्रूम" की कहावत के अनुसार खूब जोरों से अदल-बदल करेंगे। मुझे अभी भी विश्वास है कि अपनी हैरिटेज से ऊपर हमारे ठाकुर साहब उठेंगे और जो कोई चीज उनके सामने आती है उसको वह दृढ़ता के साथ दूर करने की सदैव कोशिश करते रहेंगे। दस मिनट के समय में प्लानिंग और कोआर्डिनेशन विभाग के ऊपर अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिये मैं इस विभाग के केवल २ या ३ हैड्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

सब से पहले मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान इस मशहूर प्रान्तीय रक्षा दल की ओर दिलाऊंगा। मुझे इसके संबंध में भाग्यवश अधिक कहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पिछले दौरे में ठाकुर साहब ने स्वयं ही देख लिया कि यह प्रान्तीय रक्षा दल के लोग किस प्रकार सुल्तानपुर में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने और उपमंत्री महोदय के सामने राजनैतिक नारों का प्रचार करते हैं। यह एक छोटी सी बात समझी जा सकती है, लेकिन मेरी जो इसके खिलाफ सिर्फ शिकायत है वह यह है कि अब तक प्रान्तीय रक्षा दल एक ऐसी संस्था न बने, जो

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

जनता के बीच में हिलमिल कर काम कर सके तब तक इसका महत्व पूरा कहीं नहीं हो सकता है जो पोथी हमारे सामने दी गई है उसमें इसकी चर्चा की गई है। इसमें बहुत लम्बे बयान दिये गये हैं। विशेषकर यह लिखा गया है कि इसमें जो लोग भी शामिल हुये हैं वह बिना तनख्वाह के काम करते हैं। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। यह तो बहुत ही उचित बात है किन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि देखने की बात यह है कि जो भी इस पी० आर० डी० में भर्ती हुये हैं वह ज्यादातर बेरोजगार में से हुये हैं। जैसा कि माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा पूर्वी जिलों की घटनाओं में एक्स पी० आर० डी० के लोग काफी तादाद में पाये गये हैं।

लैंड आर्मी के संबंध में जो किताब हमारे सम्मुख है उसमें लिखा गया है कि टेहरी-गढ़वाल में १५० कुओं की मरम्मत इन्होंने की। यदि हमारे माननीय मंत्री महोदय पहाड़ी जिले से आते तो उन्हें पता होता कि केवल उन्हीं चीजों की हो सकती है जो बनी हुई हों। मैंने तो पहली बार सुना है कि पहाड़ी जिलों में कुयें बनते हैं और प्रान्तीय रक्षा दल वाले उनको रिपेयर करते हैं। इसी प्रकार यहां दिखाया गया है कि ९८६ मील लम्बी सड़कों की मरम्मत लिखा, इन्हीं द्वारा की गई है। दरअसल बात यह है कि हर एक सड़क से ४/५ बड़े पत्थर खड्ड में गिरा दिये गये हैं और यह लिख दिया गया है कि इतनी लम्बी सड़क की मरम्मत की गई है।

मेरा सुझाव तो यह है कि जो इतना रुपया इस पी० आर० डी० पर खर्च किया जा रहा है वह बेकार है उसको बिल्कुल बन्द कर दिया जाय। यदि मंत्री महोदय को सहायकों की आवश्यकता है तो यह पैसा स्कूलों को और एन० सी० सी० पर खर्च किया जाय और उनकी सहायता द्वारा काम पूरा करा लें।

इसके बाद मैं पब्लिसिटी और प्रोपेगैन्डा के संबंध में कहना चाहूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है किन्तु इसकी आवश्यकता जहां तक मेरा विचार है हिटलर के रिजीम में थी जिनको डाक्टर गोबिल्स ने बड़ी सहायता की। मैं समझता हूं कि यह सरकार स्वीकार करने के लिये तैयार होगी कि जो असंख्य पोथियाँ हमको दी जाती हैं उन पर किसी का भी विश्वास नहीं है, केवल मात्र विश्वास ही नहीं बल्कि पैसा फिजूल खर्च हो रहा है। जैसा कि मैंने बतलाया और हमारे सोशलिस्ट भाई भी अक्सर बतलाते हैं, उनमें जो कुछ लिखा गया है आंकड़ों के संबंध में, उनमें काफी त्रुटि पाई जाती है और प्रोपेगेंडा का एक और जो दुष्परिणाम होता है वह यह है कि इन रोजी पिक्चर्स के दिखाने का फल यह होता है कि हमारे मंत्री महोदय और सरकार स्वयं इन बातों पर विश्वास करने लगते हैं जैसा मैंने बतलाया, यह संभव है अगर मैं न बतलाता कि माननीय मंत्री महोदय यह संभव समझते हैं कि पहाड़ों में कुयें बनते हैं, शायद वह विश्वास कर लेते कि वहां जरूर डेढ़ सौ कुयें बने हैं। आगे चल कर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री ने सुबह डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण देते हुये इसका जिक्र किया। माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि गैर कांग्रेसी सदस्यों को उसमें नहीं रक्खा जाता। मैं माननीय उपाध्याय जी के साथ सहमत हूं और यह और शिकायत है कि हालांकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक नान-आफिशियल बाडी गिनी जाती है मगर दरअस्ल यह सही बात नहीं है। जिले में हर हेड आफ दी डिपार्टमेंट उसका सदस्य होता है और उनकी संख्या आजकल के शासन में इतनी बढ़ गई है कि वही हमेशा मेजारिटी में रहते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमेशा इसका अध्यक्ष होता है और उसके सामने कोई भी जिले का कर्मचारी, चाहे वह हेड आफ दी डिपार्टमेंट हो, खुल्लमखुल्ला और साहस के साथ बोलने की हिम्मत नहीं रखता। इसलिये मैं इन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज को किसी भी तरह से नान-आफिशियल आर्गनाइजेशन मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आगे फिर मेरा सुझाव मंत्री महोदय को यह होगा कि बहुत सी योजनाओं को इकट्ठा न लें। एक योजना या दो

वार टाइम मेजर की तरह लें और बाकी कामों को वैसे ही चलने दें। जिस प्रकार वार टाइम में ओवर नाइट डेवलपमेंट हुआ ऐसा करने से हमारे यहां उसी प्रकार की प्रगति होगी। अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय को उनके शब्द याद दिलाऊंगा कि हमारी स्वतंत्रता, जो एक पहाड़ या पेड़ पर अटकी हुई है उसको जनता के बीच में लायें। यह न हो कि प्लान्स, कमेटीज़ और विभिन्न प्रकार की कागजी कार्यवाहियों में फंस कर उस पेड़ और पहाड़ के नीचे ऐसा जाल बिछा दें ताकि वह स्वतंत्रता जनता के बीच में कभी भी न पहुंच पाये।

अन्त में मैं इतना कहना आवश्यक समझता हूं कि इस विभाग के मंत्री महोदय को मैं उनकी चेष्टा और उनके चुस्तपन के लिये बधाई देना चाहता हूं, हालांकि जितनी प्रगति होनी चाहिये वह नहीं हो सकी, लेकिन जिस उत्साह के साथ वह इस विभाग को चला रहे हैं उसके लिये सब लोगों को चाहे उनके दल के हों या न हों धन्यवाद देना चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण मांग की चन्द बातों के ऊपर विचार करना चाहता हूं। यह बड़ा और जरूरी विषय है। अगर हर आइटम पर अपने विचार प्रकट करूं तो किसी पर भी कुछ न कह पाऊंगा लिहाजा इसमें जो प्रचार विभाग रक्खा गया है सिर्फ उसी पर अपने ख्याल में जाहिर करूंगा। इस पर सिर्फ ५ लाख कुछ हजार रुपये रक्खे गये हैं। सूचना पर कल जो आइटम आया था उसमें १३ लाख रुपये थे। म अर्ज करता हूं कि दोनों मिला कर भी यह बहुत कम है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रकार के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और खुशी की बात है कि वह बहुत ही अच्छे लेखक और वक्ता भी हैं और कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। इसकी आवश्यकता जानते हुये भी इतनी कम रकम अनुदान में क्यों रखी यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आप जानते ही हैं कि यहां पहले से कांग्रेस काम कर रही है, सरकार ठीक काम कर रही है फिर भी मुखालिफत जारी है और पोलिटिकल पार्टीज मुखालिफत करें तो आश्चर्य की बात नहीं। कुर्सी के लिये और हमेशा ही मुखालिफत होती है, जहां खजाना होगा वहां उसको अपनाने वाले भी होंगे, इसकी शिकायत मैं नहीं मानता। शिकायत इस बात की है कि हमारे अध्यापक-वृन्द जो किसी पार्टी में नहीं हैं उनमें भी अनुशासनहीनता आती जा रही है। अभी देखिये कि पटवारियों की हड़ताल समाप्त नहीं हुई थी कि मास्टरों का अनशन (हंगर स्ट्राइक) शुरू हो गया है। आप यह देखिये कि गत चार मार्च को वह कृत्य इस सदन में हुआ, जो कि आज तक कभी इस सदन में नहीं हुआ था तथा जो सदन की मर्यादा के विरुद्ध था। यू० पी० की इस असेम्बली में जो हरकत हुई वह कभी नहीं हुई। इसको देखते हुये इस मद में कम धन देना कहां तक अक्लमन्दी है, मेरी समझ में नहीं आता। प्रान्त के उर्दू अखबार में सरकार का विरोध छपता रहता है गत १५ अगस्त को हड़ताल हो गयी और काले झंडे दिखाये गये। मुशायरे में लफ्ज कुछ पढ़े जाते हैं और उसका मतलब कुछ होता है। उदाहरणार्थ—

यह कहती है मौजें कि तूफां से खेलो,
किनारे किनारे कहां जा रहे हो।

इसके लफ्ज कुछ हैं और मानी कुछ और, अतः मेरी प्रार्थना है कि इधर ध्यान दिया जाय मेरा कहना है कि रकम बहुत ही कम है। कहा यह भी जा सकता है कि कांग्रेस कमेटियों से प्रचार हो सकता है, विरोधियों का जवाब कांग्रेस से दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस कमेटी कहां तक काम कर सकती हैं उनके पास पैसा नहीं है। जितना उनसे हो सकता है वे कर भी रही हैं लेकिन फिर भी विरोधियों के तमाशे हो रहे हैं आज कल प्रचार का युग है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें और गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है वह जनता को बतलायें कि आप क्या कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि बजट की हालत देखते हुये बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप आर्गेनाइज करें तो आपको आनरेरी वर्कर्स मिल सकते हैं।

[श्री सीताराम शुक्ल]

इस विषय में मेरी प्रार्थना है कि जितने संस्कृत के विद्वान, कवि, गायक हैं, कथावाचक उलमा हैं, मौलवी हैं या जो मिलाद शरीफ पढ़ते हैं अथवा जो पादरी हैं तथा कांग्रेस के कार्यक्रम से हमदर्दी रखते हैं। गवर्नमेंट को चाहिये कि उनको संगठित करें, एवं सरकारी अफसरों में जो अच्छे स्पीकर हैं तथा उनकी स्त्रियां भी जो पढ़ी-लिखी, समझदार हैं अगर उनको भी आगमाइज किया जाय, संगठित किया जाय तो आसानी से उन के द्वारा प्रचार का काम लिया जा सकता है। जमींदारी के खत्म हो जाने से कवियों, गायकों, कथावाचकों और मौलवियों या पादरियों के सामने बहुत ज्यादा आर्थिक कठिनाई आ गयी है वे मजबूर होकर मुखालिफ पार्टी में जाकर मिलते हैं। यह जानकर आपको ताज्जुब होगा कि कलाकारों को विरोधी म्युनिसिपल बोर्ड से सहायता दिलाते हैं और स्वयं श्रेय लेते हैं, रुपया दूसरों का व्यय होता है और अहसान दूसरों को भी मिलता है। अतएव सरकार को स्वयं म्युनिसिपल बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और ग्राम सभाओं को, यह आदेश देने चाहिये कि वे अपने यहां उत्सव मनायें उनमें अच्छे अच्छे गाने वालों को तथा अन्य कलाकारों को बुलायें। कवियों से बिरहा, कहरवा, फगुवा और गजलें देहाती भाषा में लिखवायें और प्रचारित करें तो मेरी प्रार्थना है कि उससे बहुत लाभ होगा। हमारा सही बातों का प्रचार बहुत आसानी से बढ़ सकेगा। रचनात्मक काम फलां-फलां करो इसको बतलाने के लिये बहुत सा साहित्य हमारे पास है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया जाता कि हम सेवा करें तो क्यों करें? एक आदमी दिन भर का थका हुआ जाकर पड़ रहता है वह सोचता है कि दूसरे की खिदमत में क्यों करूं? इस चीज पर कम रोशनी डाली जाती है। हमको वह भी बताना चाहिये कि हम दूसरों की खिदमत क्यों करें, पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में हम अपना समय मुफ्त क्यों लगायें, इस पहलू पर साहित्य लिखवाकर अथवा सभाओं में व्याख्यान दिला कर कार्यकर्त्ताओं और स्वयंसेवकों को पैदा करना चाहिये। मेलों में लाउड स्पीकर लगाने से भी प्रचार हो सकता है। धर्मशालाओं और स्टेशनों पर प्रचार करने के लिये भी आपको बहुत से कुशल वर्कर मिल जायेंगे। बाई दी वे बात करते हुये अथवा गप शप करते हुये या ताश खेलते हुये या और कोई काम करते हुये भी वे सरकार के कामों पर प्रकाश डाल सकते हैं और बिना कुछ अपना नुकसान किये भी इस कार्य में सहयोग दे सकते हैं। अगर इस प्रकार से घनघोर प्रचार कर सकें और सही बात लोगों को बतला सकें तो मैं आपसे अर्ज करूं कि चूंकि हमारा प्वाइंट तो मजबूत है ही, हमारा रास्ता तो ठीक है ही, यदि लोगों को ठीक-ठीक बातें मालूम हो सकेंगी तो गलत प्रचार नहीं चलेगा। नतीजा यह होगा कि हर तरफ से हमारे पास वर्कर्स आने लगेंगे, कार्यकर्त्ता मिलने लगेंगे, जिससे सही बातों का प्रचार होगा और पंचवर्षीय योजना के पूरा करने में देर नहीं लगेगी। फिर बहुत आसानी से हम अपनी सड़कों को बना सकेंगे, स्कूलों को बना सकेंगे, अस्पतालों को बना सकेंगे, खेती की तरक्की होगी, कारखाने खुलेंगे, पैदावार बढ़ेगी और जब पैदावार बढ़ेगी तो या तो गल्ला सस्ता हो जायगा या टैक्स लगाया जा सकेगा, उससे पैसा मिलेगा जिससे हम अपने कर्मचारियों को काफी वेतन दे सकेंगे। हमारे एक दोस्त ने बड़े जोश के साथ कहा था कि बड़े आफिसरों का वेतन घटा दिया जाय और कहा था कि मैं मानता हूं कि उससे छोटे कर्मचारियों के वेतन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ जायगा क्योंकि अगर छोटे कर्मचारियों का एक रुपया माहवार बढ़ जाय तो उससे कोई खास लाभ नहीं होगा लेकिन उसका एक साइकलोजिकल एफेक्ट (मानसिक प्रभाव) पड़ेगा और छोटे कर्मचारी सोचेंगे कि बड़ों का वेतन घटा कर हमारी पे बढ़ा दी गयी है, इसके उत्तर में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप कोई बात कहा कीजिये तो पहले जरा सोच समझ कर कहा कीजिये और तौल कर कहा कीजिये। किसी भावना में आकर या किसी जोश में आकर कोई बात न कहा कीजिये। छोटे कर्मचारी तो वेतन कम होने के कारण पहले से नाराज हैं ही, किन्तु आपके इस निराधार प्रचार से कहीं बड़े अधिकारी भी नाराज न हो जायं, उसको भी आपको सोचना चाहिये। शास्त्रकारों ने कहा है कि—

"त्यजे देकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम् त्यजेत।
ग्रामम् जनपदस्यार्थे, आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत॥"

अर्थात् एक को कुल के लिये छोड़ना चाहिये, कुल को गांव के लिये छोड़ना चाहिये, गांव को जनपद के लिये छोड़ना चाहिये और आत्मा के लिये संसार को छोड़ देना चाहिये।

अगर हर एक भाई इस बात का ख्याल करें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि पोजीशन पर जो बड़े दिमाग वाले सरकारी अफसर हैं उनको हम चिन्तित न करेंगे ताकि उनका ब्रेन कमजोर न हो। अगर उनका ब्रेन कमजोर हुआ तो सब काम नष्ट हो जायगा। मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जहां मिनिस्टरों की पे कम हो और उनके नीचे काम करने वालों की पे ज्यादा हो। यदि इसका मानसिक प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सेक्रेटरियों की पे घटाने से कैसे असर पड़ जायगा। यह कांग्रेस गवर्नमेंट है जिसके अन्दर ऐसे आदर्श मौजूद हैं। लिहाजा हमें कोशिश करके पैदावार बढ़ानी चाहिये ताकि हर एक को खाना, कपड़ा और मकान मिले और आज के विरोधी कल मित्र बन सकें।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और उसके बाद मैं माननीय उपमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण अनुदान सदन के सामने उपस्थित किया है। मुझे इस विभाग से यही आशा है कि गांवों में गांव की जनता का बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन मैं एक सुझाव इस समय देना चाहता हूं कि इस महकमे में जो अधिकारी और कर्मचारी रखे जायं वे ऐसे लोग रखे जायं कि कोई काम खुद अपने हाथ से करने में न हिचकें और उस काम को छोटा न समझें ताकि जनता को और दूसरे लोगों को यह प्रोत्साहन मिले कि सभी लोग इस काम में सहयोग दे सकें और उनका ऐसा स्वभाव होना चाहिये कि साधारण से साधारण जनता भी उनसे कुछ पूछना और बातचीत करना चाहे तो उनसे वे मिलें। अभी भी मैं देखता हूं कि अधिकारी लोग और कर्मचारी लोग किसानों से या साधारण जनता से उतने अच्छे तरीके से बात करने का अवसर नहीं देते जितना कि खास करके उन लोगों को जो कि सफेदपोश या भड़कीले तरीके से रहते हैं, मैं यह भी सुझाव देता हूं कि जब इस महकमे के लिये कर्मचारियों को लिया जाय तो यह देख लिया जाय कि ऐसे आदमियों को नियुक्त किया जाय जो जनता में मिलजुल कर काम कर सकें और जनता से काम करा सकें।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि गांव में जो पिछले श्रमदान सप्ताह में श्रमदान दिया गया उसमें जो काम हुआ वह ऐसा हुआ कि कुछ यहां पर और कुछ वहां पर वह बिला किसी नकशे के काम हुआ। इसके लिये पहले से ही गांव पंचायत के सेक्रेटरी और इन्सपेक्टर के लिये यह हिदायत हो जाना चाहिये कि वह इस साल इस श्रमदान सप्ताह में फलां जगह फलां काम करायेंगे। वह जो काम होने वाला है उसके लिये फिर ऐसा इंतजाम हो कि अगर कहीं पर सड़क बननी है तो सड़क बनने के लिये अगर पहले नाली का इंतजाम नहीं होता है और पानी निकलने का इन्तजाम नहीं होता है तो यह होगा कि पानी पड़ने से वह मिट्टी सारी बह जायगी। इसी तरह से जो बांध बांधें जायं वहां के लिये वैसा इंतजाम होना चाहिये कि उन जगहों पर बाढ़ आने पर वह मिट्टी को बहा न ले जाय और वह बेकार न हो जाय। इसलिये इनके लिये ऐसा होना चाहिये कि बान्ध बांधने के लिये जो पुलिया या गेट वगैरह की जरूरत है वह पहले बन जानी चाहिये तब फिर वह काम शुरू हो।

हमारे जिले आजमगढ़ में बहुत सी छोटी-छोटी नदियां हैं जिनमें बांध बांधे जा सकते हैं और उसमें बहुत सा पानी रोका जा सकता है। वह बरसात के दिनों में बहती हैं और सूखे दिनों में वह सूख जाती हैं। वह इस तरह की नदियां हैं कि उनमें बांध बनाया जा सकता है और बहुत दिनों तक वह पानी रोका जा सकता है गेट लगा कर। एक नदी हमारे यहां कुवर है उस में बहुत दिनों तक पानी नहीं रहता है। उसमें चैत में पानी रहता है फिर वह सूख जाती है। अगर उसके ऊपर बांध बनाया जाय और बड़े-बड़े फाटक लगाये जायं तो उसमें बहुत सा पानी रोका

[श्री रामवचन यादव]

जा सकता है। उससे सिंचाई का काम भी हो सकता है और मवेशियों के लिये पीने का पानी गर्मियों में भी मिल सकता है इसलिये यह सब काम जो हों वह इस तरीक़े से हों जिससे यह फ़िर बाद में ख़राब न हो जायं और इस महकमे के लोग जो काम करने वाले हों वह ऐसे लोग हों जो गांव के लोगों के साथ मिल कर उनसे सहयोग प्राप्त कर सकें। ऐसे लोग नहीं रहें कि जो उनको देख कर अलग हो जायं और खुद काम न करना चाहते हों। जब वह सरकारी कर्मचारी खुद काम करेंगे तो उनके साथ वह गांव वाले भी करने के लिये तैयार हो जायंगे और सब अच्छी तरह से काम करेंगे। तभी यह काम पूरा होगा और इस देश की भलाई का बहुत बड़ा काम होगा। यह प्लानिंग का महकमा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके कामों से गांव की जनता को बहुत सुख मिल सकता है। अन्त में मैं फिर माननीय उपमंत्री जी को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये बधाई देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि बिना किसी आर्थिक नियोजन के और एक समुचित व्यवस्था के निर्माण के कार्य का किसी प्रकार से भी वास्तविक नियोजन नहीं हो सकता। हमारी प्रादेशिक सरकार ने चाहे श्रम-दान के रूप में या रचनात्मक कार्य के रूप में या पंचवर्षीय योजना के क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में जो कुछ भी नियोजन किया है वह सब आर्थिक ढांचे के नियोजन से रहित है। इसलिये एक लम्बे दृष्टिकोण से देखते हुये देश की बुनियादी आर्थिक कमजोरी और जनता की असहायता को दूर करने में यह प्लानिंग और यह हमारा नियोजन कितना कामयाब हो सकेगा यह तो एक संदिग्ध प्रश्न है। जब हम इस प्रस्तुत प्लानिंग की तरफ देखते हैं तो यह मालूम होता है कि सन् १९४५ से लेकर आज तक हमारे प्रान्त के नियोजन विभाग का इतिहास संस्थाओं को बनाने और बिगाड़ने का इतिहास रहा है। पहले रूरल डेवलपमेंट एसोसियेशन बना, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेंट एसोसियेशन बना दिया गया, जो कि आज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के नाम से मशहूर है फिर कमिश्नरों में रीजनल अथारिटी बनायी गयी, उसके बाद इनको भी खत्म कर दिया गया और आज वह सब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के हाथ में सौंप दिया गया। तो मैं क्या आशा करूं कि भविष्य में नियोजन का इतिहास संस्थाओं के नये नामकरण का इतिहास नहीं रहेगा। नये नामकरण किये जाने का इतिहास न रहेगा बल्कि जो भी नाम अब दिये जा रहे हैं और जो संस्थायें अब हैं उन्हीं के अनुसार आगे काम होगा। हमारी सरकार जो ट्रेनिंग दे रही है जिसका जिक्र माननीय फूलसिंह जी ने किया था वह ३ प्रकार के कार्यकर्त्ताओं की बात है। एक तो वह है जो डिस्ट्रिक्ट लेविल वर्कर्स हैं दूसरे ग्रूप लेविल वर्कर्स और तीसरे विलेज लेविल वर्कर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट लेविल वर्कर्स का अगर हिसाब लगाया जाय तो उनकी संख्या ३०० है, ५१ जिले हैं एक जिले में उनका अनुपात ६ का आता है और ग्रूप लेविल वर्कर्स जिनको ट्रेनिंग दी जाने वाली है उनकी संख्या ३,३९४ है और अदालती पंचायतें जिनके लिये उनकी ट्रेनिंग हो रही है वह हमारे यहां ८,४१४ हैं। मतलब यह है कि एक अदालती पंचायत के लिये आधे से कुछ कम का औसत आता है। जिले के लेविल पर ६ का और अदालती पंचायतों के लेविल पर आधे का औसत आता है। विलेज लेविल वर्कर्स की संख्या हमारे यहां १२,६२० की है और हमारे प्रदेश में गांवों की तादाद १,०५,७७३ है। इस तरह से आप जरा कल्पना करें कि जिन १२,६२० कार्यकर्त्ताओं की ट्रेनिंग हो रही है वह अपने गांवों में किस प्रकार काम कर सकेंगे। ८ या ७ गांवों के लिये एक का औसत पड़ता है। अगर हम ग्रामसभा के हिसाब से भी देखें तो उनकी संख्या हमारे यहां ३५,९१९ है। इस तरह से भी २ के औसत में वर्कर पड़ता है। इसलिये पश्चिमी जिलों में १ कार्यकर्त्ता २ गांव सभाओं पर और पूर्वी जिलों में ३ पर एक वर्कर काम करेगा। अगर गांव सभा का भी हिसाब था तो विलेज लेविल पर तो कुछ यूनिफ़ार्मिटी होनी चाहिये थी। यही था तो २ ही पूर्वी जिलों में भी होते। इस संबंध में मैं पूछना चाहता हूं और ५ ईयर प्लान के पेज ६ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट

करना चाहता हूं। जहां पर प्राइमरी स्कूल टीचर्स के ट्रेनिंग का जिक्र है, उसमें उनको काफी इम्पार्टेंस दी गई है, लेकिन इसमें से उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि:—

"The importance of the Primary School Teacher in the village life and the part which he can and should play in rural reconstruction cannot be over emphasized. He is probably the best educated person in many villages and, besides teaching the children, he can undertake the social education of the adults as well. He can assist the Gaon Sabhas not only in drawing up a plan but can guide them also in its execution. There are about 30,000 Primary Schools and every Gaon Sabha can thus benefit from this guide and friend."

इसलिये इस नियोजन में उनको भी स्थान दिया जाना चाहिये था और दूसरे जो खास बात है वह यह है कि अगर उनको नियोजन में रखा जाता तो टीचर्स की उपयोगिता भी बढ़ जाती और साथ ही उनको इस सहूलियत के दिये जाने से उनके आर्थिक प्रश्नों को हल करने में भी आसानी होती। इस तरह से उनको ट्रेनिंग में न ला कर उस प्लान के खिलाफ इग्नोर किया जा रहा है।

डिस्ट्रिक्ट लेविल वर्कर के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ़ स्कूल को माना जाता है और ग्रूप लेविल वर्कर पर सबडिप्टी इंसपेक्टर को लेकिन विलेज लेविल पर टीचर को नहीं माना गया है। अगर विलेज लेविल पर टीचर को ही ट्रेनिंग नहीं दी जायगी तो मेरी समझ में नहीं आता है कि फिर वर्कर का कन्सेप्शन ही क्या है। इसके बाद मैं ब्लाक कमेटी की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर देखा जाय तो स्वयं रिपोर्ट में लिखा है कि फैजाबाद देहरादून और इलाहाबाद में ब्लाक कमेटियां फंक्शन नहीं कर रही हैं। उन को ए बी सी ३ केटेगरीज में बांटा गया है। सी ऐसी केटेगरी है जिसमें न इन्सपेक्टर हैं और न कोई कार्यकर्ता हैं और सी केटेगरी की पंचायतें इस प्रदेश में ७५ फीसदी हैं और यहां पर किसी प्रकार का नियोजन कार्य नहीं हो रहा है। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि जहां पर 'सी' क़िस्म की ब्लाक कमेटीज हैं वहां पर नियोजन कार्य सब से कम हो रहा है। यानी जो सब से पिछड़े हुये इलाक़े हैं, जहां कोई इंस्पेक्टर भी नहीं हैं वहां नियोजन कार्य क्या हो रहा है। केवल २५ फीसदी वह अदालती पंचायतें जो 'ए' 'बी' केटेगरी में आते हैं वहां नियोजन कार्य चल रहा है। क्या माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि यह पार्ट प्लानिंग कैसे होगी और २५ फीसदी 'ए' 'बी' केटेगरीज को ले कर प्लानिंग का काम कैसे होगा?

इसके बाद जो मुझे कहना है वह प्लानिंग कमेटियों की सफलता के बारे में है। मैं भी आशा करता हूं कि जो टार्जेट्स बनाये जायं वह ओवर रीच किये जायं। लेकिन प्लानिंग डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें बिलकुल दूसरी तस्वीर है। मुझे दुख होता है। म आप की इजाजत से वह तस्वीर सदन के सामने रख देना चाहता हूं। टार्जेट ५१-५२ में क्या था और प्रोग्रेस क्या हुई, पंचायत घर २,२२३ बनाने थे और १,३४५ बनाये गये। कच्चे मकानों को पक्का बनाना, ५३,७३० मकान बनाने थे और ३३,७७१ मकान बनाये गये। इम्प्रूवमेंट आफ़ इंटर विलेज रोड्स १६,४७८ मील बनानी थीं और ६,७८४ मील बनीं। साकेज पिट्स ५४,०३९ बनाने थे और ३८,१७१ बने। अडल्ट लिटरैसी ११ लाख आदमियों की होनी चाहिये थी लेकिन केवल ५३ हजार आदमियों की हुई। पक्के कुयें २० हजार खोदे जाने चाहिये थे लेकिन केवल ८ हजार खुदे। पुराने कुओं की मरम्मत १५,००० कुओं की होनी चाहिये थी लेकिन केवल ४ हजार की हुई। केवल ४ आंकड़े ऐसे मिलते हैं, एक नये कुओं के बारे में, दूसरा नयी जमीन तोड़ी जाने के बारे में तीसरा ट्रेंच पैटर्न लैटरिन्स और चौथे कांस्ट्रक्शन आफ़ बंधोज, यह बीस में चार आइटम हैं जिनमें हम अपने टारजेट पर पहुंच सकें। बाक़ी १६ आइटम्स में आधा भी काम नहीं हो सका। प्लानिंग का टार्जेट उतना ही होना चाहिये जो कि हमारे साधनों के अन्दर हो, जितना कि हमारे अफसर कर सकें। इस साल की जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो, श्रीमन्, मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि दो मिनट और दे दिये जायं क्योंकि मुझे खास बातें रखनी हैं। इस साल की रिपोर्ट जो नौ महीने की मिली है जो पिछले साल ५१-५२ में

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

काम ज्यादा हुआ बनिस्बत इस साल के। इस साल वहां तक भी नहीं पहुंच सके। ५१ में टार्जेट पर नहीं पहुंचे और ५२ के दिसम्बर तक जो दूसरी रिपोर्ट है उसमें हमको मालूम होता है कि हम उस टार्जेट को भी कामियाब नहीं बना सके और ६ मदों को छोड़ कर साकेज पिट्स कैटिल इनाकुलेटेड इन कोआर्डिनेशन विद ए० एच० डिपार्टमेंट, कांस्ट्रक्शन आफ़ बंधीज, प्ले-ग्राउंड्स आदि छः मदों को छोड़ कर बाक़ी सारी मदों में ५१-५२ के बराबर भी नहीं पहुंच सके। यह हमें बतलाता है कि हम कहां तक अपने प्रयत्नों के बावजूद भी असफल हो रहे हैं।

हमारी सरकार मल्टी परपज वर्कर में बहुत विश्वास रखती है। हमारे मंत्री जी ने कहा है कि उसको जैक आफ आल ट्रेड्स होना चाहिये। केवल दो तीन महीनों की ट्रेनिंग हमारे माननीय मंत्री जी, जो उससे इतनी बड़ी आशा रखते हैं, तो मुझे खतरा है कि कहीं उसकी परिभाषा पूरी न हो जाय, जैक आफ आल ट्रेड्स, बट मास्टर आफ नन। अगर कहीं यह परिभाषा हमारे मल्टी परपज वर्कर की हो गयी तो हमारी सारी प्लानिंग चौपट हो जायगी।

प्लानिंग के संबंध में मुझे दो सुझाव देने हैं। जिस पर मुझे आशा है सरकार ध्यान देगी। एक तो फैमिली प्लानिंग है। अगर हम फाइव ईयर प्लान की समरी देखें तो उसके पृष्ठ ११० पर दिया है कि ६५ लाख रुपया फैमिली प्रोपोगैंडा और प्रोग्राम चाक आउट करने के लिये रखा गया कम्युनिटी प्राजेक्ट्स में जो प्रचार हो रहा है, एग्रीकल्चरल डिमांस्ट्रेशंस हो रहे हैं उसमें फैमिली प्लानिंग का भी प्रचार किया जाय।

दूसरा सुझाव क्राप प्लानिंग के संबंध में है। हमारी सरकार, खेती की तरक्की के लिये इम्प्लीमेंट्स के लिये कोशिश करती है, फर्टीलाइजर्स और मैन्योर्स बनाती है लेकिन कौन सी मिट्टी कौन सी फ़सल लेनी चाहिये, और किस प्रकार की पैदावार बढ़ाने की आवश्यकता है इस पर ध्यान नहीं देती। जब तक हम अपने जिलों में क्राप प्लानिंग पर ध्यान नहीं देंगे तब तक यह योजना अधूरी होगी।

श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े ही समय में शासन के प्रयत्नों से जो सारे प्रदेश में आज विकास और नियोजन की एक लहर दौड़ आयी है उसके लिये मैं वास्तव में शासन और उस विभाग के मंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और मैं तो यह समझता हूं कि इस थोड़े समय में जो कुछ सप्ताहों में हमको प्राप्त हुआ है वह केवल इस प्रदेश के लिये ही नहीं, इस देश के लिये ही नहीं बल्कि संसार में एक अनुपम मिसाल है। बजाय इस शिकायत के कि काम कम हुआ है, मैं तो शासन से यह प्रार्थना करूंगा कि कुछ हमें इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है और अगर वह सावधानी इसमें न बरती गयी तो हम कभी भी ग़लत रास्ते में और ग़लत नतीजों में पहुंच सकते हैं। कुछ असावधानी हमने पिछले पांच वर्षों में नये प्राइमरी पाठशालाओं के खोलने में की और उसका नतीजा हमें आज मानना पड़ेगा कि सभी रूप में संतोषप्रद नहीं हुआ है। तो जैसे अभी मेरे एक माननीय साथी ने कहा था कि केवल काम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ योजनाओं को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस बात को भी देखने की आवश्यकता है कि क्या हम उनको एक स्थायी और परिपक्व रूप दे सकते हैं या नहीं।

आज हम जिन सड़कों को बना रहे हैं, जिन कुवों को खोद रहे हैं और जिन जंगलों के निर्माण की बात कर रहे हैं या कुटीर उद्योग की बात नियोजन में करते हैं, हमें उस आधार पर देखना चाहिये कि हम वास्तव में उनको एक स्थिरता ऐसी दे सकते हैं जिससे इस प्रदेश की जनता को वास्तविक लाभ हो। मुझे दुःख है कि इस तमाम चहल पहल में जो गणतंत्र दिवस पर हुई, मेरे मित्र माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी को अलमोड़ा जिले में कुछ भी नहीं दिखाई दिया मेरा ऐसा ख्याल है कि इस सदन में जैसा कि उन्होंने एक बार पूर्व भी कहा कि वह सप्ताह भर अपने घर से बाहर गये ही नहीं, तो मेरा ख्याल यह है कि बजाय इसके कि उनको शिकायत किसी

अधिकारी पर हो या जनता पर हो, उनको अपने ऊपर होना चाहिये। जब कि सारी जनता काम कर रही थी, सड़कें बना रही थीं उनके लिये आवश्यक था कि वह बाहर निकलते और देखते। कम से कम मैं तो यह कह सकता हूं कि उस सारे सप्ताह में मैं अपने जिले में घूमा और जहां पर मैं गया वहां हजारों लोग काम कर रहे थे। मैं उनकी बात यह सही मान लेता अगर वह यह कहते कि ऐसा तो मालूम नहीं होता कि एक लाख या सवा लाख आदमियों ने काम किया बल्कि ५० या ६० हजार आदमियों ने काम किया या वे जनता में गये होते तो कहते इतने आदमी काम कर रहे थे तब तो ऐसी बात होती जिसको महत्व दिया जा सकता था, लेकिन यह कहना कि कुछ भी काम नहीं हुआ और ग़लत रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी तो मैं समझता हूं कि यह किसी भी दृष्टिकोण से मानी नहीं जा सकती है।

मैं नहीं कह सकता कि, जैसा कि मैंने उनके मुंह से सुना, वह माननीय मदनमोहन का सुझाव है या उनकी पार्टी का प्रोग्राम है, उन्होंने एक बात इस सदन के सामने सरकार के लिये रखी। उन्होंने कहा कि अगर एक सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिटी प्रोजेक्ट उन्हें खोलने की इजाजत दे दी जाय तो वह चमत्कार दिखला सकते हैं और उन्होंने यह कहा कि वह करोड़ों का काम कर सकते हैं। एक दो इंजीनियर्स के अलावा विशेष अधिकारियों की भी उन्हें आवश्यकता नहीं है। उनके ऊपर एक समिति सरकारी अधिकारियों की बन जाय, इस बात की देखरेख के लिये कि वह ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने थोड़ी सी आर्थिक सहायता सरकार से मांगी। मैं नहीं समझता कि प्रान्तीय सरकार की ओर से कोई ऐसी रोक है। आज जो भी विकास और नियोजन का कार्य करना चाहता है उसको पूरी छूट है और सरकार के इस काम को अपने हाथ में लेने के पूर्व भी लोग ऐसे काम करते भी थे। मेरी समझ में नहीं आता कि सोशलिस्ट पार्टी को कौन सी रुकावट है। जब वह करोड़ों का काम कर सकते हैं, विशेष अधिकारी भी नहीं चाहिये, तो थोड़ा सा सरकारी सहायता का प्रोत्साहन मिले या न मिले तब भी उन्हें काम पर जुट जाना चाहिये। उससे तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी चीज होगी जिससे हमारी जनता का महान लाभ होगा। लेकिन एक तरफ काम करने की तो नियत नहीं और यह कह दिया जाय कि अगर ऐसा हमारे लिये कर दिया जाता तो हम ऐसा करते। मैं तो यह समझता हूं कि जो काम करने वाले हैं और काम करना चाहते हैं वह अनेक रुकावटें होने के बावजूद भी काम करते हैं और फिर वह रुकावटें धीरे-धीरे समाप्त भी हो जाती हैं। पंडित नारायणदत्त तिवारी जी ने भी कुछ बातें नियोजन के संबंध में कहीं। मैं उनकी कुछ बातों को बहुत महत्व देता हूं और खासकर फेमिली और क्राप प्लानिंग के नियोजन के संबंध में, जो बातें उन्होंने कहीं मैं उनकी ताईद करता हूं लेकिन कुछ बातें वह ऐसी भी कह गये जो शायद बहुत महत्व नहीं रखती हैं खास कर आज जब कि हम एक नये युग में गुजर रहे हैं, उसमें और हमें समय समय पर कुछ समय के बाद हमें यह लगे कि हमें अपनी योजनाओं को बदलना है और हमें कार्यशैली में हेरफेर करना है जिससे कि हम उनको ज्यादा सार्थक बना सकें और जिससे जनता का ज्यादा भला हो सके तो यह कोई अड़-चन की बात नहीं है। कुछ पश्चिमी और पूर्वी जिलों की बात भी उन्होंने कही। डेनसिटी आफ़ पापुलेशन पूर्वी जिलों में ज्यादा है और पश्चिमी जिलों का कम है। लेकिन जब किसी कर्म-चारी को या कार्यकर्त्ता को काम करना होता है तो केवल जनता से ही नहीं काम पड़ता बल्कि उसको कुछ की दूरी भी पार करनी पड़ती है। पूर्वी जिलों में एक मन्त्री या एक अधिकारी तीन पंचायतों की देखरेख कर सकता है। पहाड़ में तो यहां तक है कि वहां पर बहुत कम आबादी है लेकिन आबादी भले ही कम हो लेकिन चलना तो ज्यादा पड़ता है। तो वहां ज्यादा अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। यह तो एक छोटी सी बात थी जो कि वह समझ सकते थे। मैं यह मानता हूं कि आज प्लानिंग विभाग के पास जो कर्मचारी हैं वह हमारी आवश्यकता को देखते हुये बहुत कम हैं। लेकिन उसके साथ-साथ मैं तो सरकार से यह अर्ज करूंगा कि बजाय इसके कि हम केवल इस बात की मांग करें कि अधिकारी बढ़ा दिये जायं, कर्मचारी बढ़ा दिये जायं, उसके साथ साथ हमें अपने साधनों को भी देखना चाहिये और ख्वामख्वाह ऐसी एक दिक्क़त में नहीं पड़ना चाहिये कि जैसे कि अध्यापकों की हड़ताल और पटवारियों की हड़ताल का मुक़ाबला आज करना

[श्री भूपालसिंह खाती]

पड़ रहा है। जब हम अपने को समझें कि हम उसका आर्थिक बोझ उठा सकते हैं, तभी हमें किसी कार्य को हाथ में उठाना चाहिये और आगे बढ़ना चाहिये। इसके साथ साथ जो कम्युनिटी प्राजेक्ट हमारे अल्मोड़े जिले में चल रहा है, उसके सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जब डिप्टी मिनिस्टर साहब वहां तशरीफ ले गये थे तब हमने यह मांग की थी कि अगर प्लानिंग का अर्थ प्राथमिकता या प्रायरिटी का होता है तो हमारे यहां पहली प्रायरिटी इस बात को देनी चाहिये कि जो जमीन हमारे यहां बह रही है, उसकी रक्षा का कोई इंतजाम किया जाय क्योंकि कोई प्लानिंग हमारे यहां नहीं चल सकती यदि जो हमारी नदियों की घाटियां हैं जिनमें हम अच्छे से अच्छा गेहूं और धान पैदा करते हैं, वह बह कर निकल गयी। इसके लिये इस बात की आवश्यकता है कि भूमि की रक्षा की जाय। दूसरे वहां जंगलात की रक्षा की जाय। आज जब हम बजट में खर्चे को देखते हैं तो उसमें फारेस्ट डिपार्टमेंट का कोई खर्चा इस सिलसिले में नहीं दिखाई पड़ता है। साथ ही ३७ हजार रुपया टूरिस्ट ब्यूरो के लिये रखा गया है। जब मैंने देखा तो उसमें था कि कुछ कर्मचारियों के ऊपर नैनीताल में वह धन खर्च किया जायगा। नैनीताल चलिये और नैनीताल की हवा खाइये। इसका प्रचार करने की अब आवश्यकता नहीं क्योंकि नैनीताल को अब सभी जानते हैं और जो वहां जा सकता है जाता है बल्कि काफ़ी लोग पिंडारी ग्लेशियर जाना चाहते हैं यदि यह रुपया जननिर्माण विभाग को मार्ग और डाक बंगलों के सुधार के लिये दे दिया जाता तो हजारों लोगों को जो कि हिमालय तक पहुंचना चाहते हैं उनको लाभ हो सकता है बजाय इसके कि कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से कुछ लोग वहां पर यह रुपया खर्च करें और तनख्वाह पायें। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बात पर विचार करे। एक बात मैं और अर्ज कर दूं। आज मैं यह देखता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां कार्य करने की आवश्यकता होती है वहां पर पंचायत राज्य और प्रान्तीय रक्षा दल में एक क़िस्म का संघर्ष होता है। इन दोनों को जितनी जल्दी हो मिलाया जा सके उतना ही अच्छा है। दोनों की अलग-अलग रिपोर्टें जाती हैं और वहां पर गिनती में कभी-कभी ग़लती हो जाती है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश में चारों ओर जहां भी देखिये निर्माणकार्य की ही चर्चा है जिसकी सफलता ग्रामीणों को हृदय से लगाने पर ही तथा समता का व्यवहार करने पर मिल सकती है। मैं समझता हूं कि हमारे देश का यह सौभाग्य है कि सब जगह इस संबंध में उत्साह ही उत्साह दिखाई दे रहा है। विशेषतया मैं निर्माण मंत्री जी को इस संबंध में बधाई देता हूं। हमारे जितने भी प्रमुख विभागों के कर्मचारी हैं, पीछे देखने में आया कि जगह जगह पर गांवों में जाकर उन्होंने सराहनीय कार्य किया जिससे ग्रामीण जनता बड़ी उत्साहित हुई। मैं इससे आगे बढ़कर यह प्रार्थना कर दूं, आप के द्वारा कि सरकार इस ओर ध्यान रखे कि आगे चल कर किसी विशेष अवसर पर ही हमारे सरकारी कर्मचारी इस कार्य को न करें बल्कि मैं यह कह देना चाहता हूं कि भविष्य में वे नित्यप्रति इस कार्य को करें तभी हमें सफलता मिलेगी अन्यथा एक तरह से यह बनावट ही सिद्ध होगी। इसके साथ साथ में एक बात और निवेदन कर दूं कि यह कार्य सद्भावना से होना चाहिये न कि इसलिये कि देहात में जा करके हम अपने कार्य को केवल दिखलायें। निर्माण कार्य के हमारे सरकारी कर्मचारी खेरा साहब हैं। उनके संबंध में मैंने सुना है और देखा है। जब मैं ३० तारीख को पिछले महीने में लखनऊ आया तो मैंने देखा कि उन्होंने बड़े उत्साह के साथ अन्य कर्मचारियों के साथ ग्रामों में जाकर कार्य किया, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि भविष्य में भी सरकारी कर्मचारी ग्रामीण जनता को उत्साहित करते रहें यदि ग्रामीण जनता उत्साहित नहीं हुई तो हमारा यह कार्य केवल कागजों पर ही रह जायगा और वास्तविक कार्य कुछ नहीं होगा। मैं दो मुख्य बातें इस पवित्र कार्य के अन्दर देखता हूं। सर्वप्रथम प्रांतीय रक्षा दल है। यहां जितने भी माननीय सदस्य हैं उनका यह कर्त्तव्य है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में जहां पर भी वे जायं वहां पर जो प्रांतीय रक्षा दल का कार्य हो रहा है उसकी ओर ध्यान

देने की कृपा करें। इस संबंध में जो सराहनीय कार्य हुआ है वह प्रांतीय रक्षा दल ने किया है। मैंने लखनऊ में आस पास जा करके देखा कि प्रांतीय रक्षा दल के जितने सेवक हैं या जितने भी जोन-वर्कर हैं उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। मैंने देखा है कि उनमें कई एक शास्त्री भी थे और ग्रेजुएट भी थे जो फावड़ा ले करके सड़कों पर लगे हुये थे। उनको देख कर मुझे और जो मेरे साथी विधान सभा के माननीय सदस्य गये थे उनको भी आश्चर्य हुआ। मैं प्रांतीय रक्षा दल से यही आशा करता हूं कि देश के लिये यह एक सर्वोत्तम आनन्ददायी और उन्नति का एक विभाग बन कर देश को समृद्धिशाली बना देगा।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसके पश्चात् मैं एक प्रार्थना और यह कर दूं कि सबसे उत्साहवर्धक तथा उत्तम कार्य जो हो सकता है वह हमारे विद्यार्थियों के ही द्वारा हो सकता है। यह भाव विद्यार्थियों के अन्दर है परन्तु उनको उत्साहित नहीं किया जा रहा है। इसका एक विशेष कारण है। कुछ आज्ञायें हमारी सरकार की ओर से स्कूलों में गई हुई हैं परन्तु उसके साथ सम्पर्क रखना या कार्य करना अभी आरम्भ नहीं किया गया है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आप से यह निवेदन कर दूं कि हिन्दू कालेज कांधला के विद्यार्थियों ने सात आठ मील सड़कें बनाने में पूरी सहायता की। मुजफ्फरनगर में कई एक कालेजों ने मीलों तक सड़कें बनाईं। हमारे वीरेन्द्र वर्मा जी जो इस कार्य के लिये हमारे जिले में एक मुख्य कार्य करने वाले हैं उन्होंने और स्कूल के विद्यार्थियों ने कई स्थानों पर बहुत ही बढ़िया काम दिखाया। अब विद्यार्थियों के लिये यह है कि सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा जाय कि छोटी-छोटी सड़कें या आस पास के वह कार्य उनके सुपुर्द कर दिये जायं तब यह कार्य उत्साहमय होगा। जब स्वयं उनमें उत्साह होगा। तो वे उन्नति करना चाहेंगे और वे ग्रामीण जनता को भी उत्साहित कर सकेंगे। यह मुख्य कार्य विद्यार्थियों द्वारा ही हो सकता है।

इसके पश्चात् आप ग्रामीण जनता से मिलजुलकर रहने का प्रयत्न करें और उनके साथ ही साथ कार्य करें क्योंकि ग्रामीण जनता यह न समझे कि यह अफसर हैं और इस प्रकार से मिलजुलकर उनके साथ में यदि हम रहना आरम्भ कर देंगे जैसे कि वह आपस में रहते हैं तो वह स्वयं हमारे साथ में मिल कर कार्य कर सकेंगे और पूर्णतया देश के अन्दर उन्नति हो जायगी। जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, जगह जगह पर देखने में आ रहे हैं, उसमें अधिक भाग सरकारी कर्मचारियों का दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूं कि जब तक यह परिपाटी चलती रहेगी और इस कार्य को हम सरकारी अफसरों और सरकारी कर्मचारियों के सुपुर्द करेंगे तो हमें सफलता हो इसकी आशा मुझे दिखाई नहीं देती। इसके साथ ही साथ एक कार्य और करना होगा। मैंने देखा है कि इस बजट के अन्दर इस अनुदान में पहले पृष्ठ पर तो दिखलाया गया है कि जो कुछ भी धन है वह अस्पताल, स्थानीय निकायों इत्यादि पर व्यय दिखाया है लेकिन इसके पश्चात् जितने भी पृष्ठ पढ़ता हूं वह सरकारी नौकरों के वेतन और भत्ते इत्यादि से भरे हैं। मैं आप से प्रार्थना कर देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जहां तक हो सके हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि कम से कम वेतन लेकर सरकारी कर्मचारी स्वयं यह समझने लगें कि यह हमारा अपना कार्य है, किसी दूसरे का कार्य नहीं है, जब तक इस भावना से हम कार्य नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता और हम सम्पन्नता को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारी भावना यह हो जायगी कि यह हमारा पवित्र निजी कार्य है, इसको ऐसे ही करूं जिस प्रकार से मैं अपने घर का कार्य करता हूं। इस प्रकार की भावना यदि रहेगी तो हमारा काम पूरा होगा। इस के साथ ही जैसी कि मैंने अभी प्रार्थना की कि जितने भी सरकारी नौकर हैं और बड़े-बड़े वेतन पा रहे हैं उन्हें जो वास्तविक कार्य करना चाहिये वे इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं बल्कि दिखावटी और बनावटी रिपोर्ट ज्यादा होती हैं, और क़ाग़ज़ी काम ज्यादा होता है। मैं तो यह समझता हूं कि इस क़ाग़ज़ी

[श्री श्रीचन्द]

काम की कोई आवश्यकता ही नहीं बल्कि वास्तविक कार्य जो होना चाहिये वह तभी होगा जबकि लगन होगी । बिना लगन, सचाई, ईमानदारी, समता तथा बलिदान के कोई राज्य स्थायी नहीं बन सकता । इसके साथ ही साथ एक दोष और मैं देखता हूं कि जितने भी राजकीय कर्मचारी निर्माण कार्य में काम कर रहे हैं, डी० पी० ओ० और छोटे कर्मचारी इत्यादि उनकी देखभाल करने वाले सिवाय उस विभाग के अधिकारियों के दूसरा कोई नहीं है। इस संबंध में मैं अपना सुझाव इस प्रकार रख देना चाहता हूं कि उनकी देखरेख करने के लिये एक छोटी कमेटी प्रत्येक गांव में हो, वह जनता की हो और वह देखभाल रखे। ग्रामीण साधारण जनता में से इधर-उधर जहां कहीं भी कोई सच्चे प्रतिष्ठित सज्जन इस कार्य में निपुण हों और जिनको उत्साह हो, उनकी एक कमेटी बनाई जाय जिससे कि वह समिति इस कार्य की देखभाल कर सके। जिस कार्य के लिये गरीब जनता से कर इत्यादि के रूप में रुपया लिया जा रहा है, वे ग्रामीण किसान दुख तथा कष्ट सहकर भी वे सब कुछ देशहित पूज्यनीय बापू जी के नाम पर सब कुछ अर्पण करते हैं, कष्ट सह लेते हैं, अपना खाना पीना कम करके वे टैक्स इत्यादि देने के लिये तैयार हैं। इसी प्रकार से गवर्नमेंट को चाहिये की पूर्णतया उनके साथ हमदर्दी दिखाये और उनकी ओर से इस बात का खयाल न होने पाये कि जो पैसा उन्होंने दिया है वह व्यर्थ गया। पसीने की कमाई का जो पैसा लिया जाय उसको पूर्णतः उस काम में लगाया जाय जिसके लिये वह लिया गया है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि स्वराज्य मिलने के पश्चात् सबसे बड़ी बात जनता के कान्फीडेन्स के फिर से आने की है। रचनात्मक कार्यों के द्वारा हमारा जो जनता से पहले सीधा सम्पर्क था वह इधर धीरे-धीरे ढीला हो गया है। गत २६ जनवरी के निर्माण कार्य से जनता का उन कार्यकर्ताओं पर फिर से विश्वास होने लगा जिन्होंने जनता में जाकर इस अवसर पर काम किया। यह ठीक है कि नियोजन अधिकारियों द्वारा या सरकारी कर्मचारियों द्वारा यह कार्य चलाया गया और यह भी ठीक है कि जनता ने उसमें पूरा सहयोग किया। लेकिन देखना यह है कि इसमें इनीशियेटिव किसने लिया और जनता की शक्ति का प्रयोग और प्रोत्साहन किस तरह से लिया गया। मेरा इसमें कहना यह है कि प्लानिंग कमेटी के संचालक प्लानिंग अफसर हैं। प्लानिंग कमेटी के प्रधान अधिकारी नानआफिशियल रखे जावें और जनता का पूर्ण सहयोग लिया जाय। अफसर की हैसियत से एक व्यक्ति नियुक्त हो तो अधिक अच्छा है। इस कमेटी में एक इंजीनियर जो कि अब भी होता है परन्तु अब तो वह मीटिंग में आकर चले जाते हैं उन्हें प्रति दिन जिले में पूरे समय के लिये रोका जाय। तहसीलों के क्षेत्रों में जब १५,१५ दिन के ट्रेनिंग कैम्प होते हैं तो प्लानिंग अफसर महोदय एक या दो दिन के लिये वहां जाते हैं। उनका पूरा लाभ तथा सहयोग नहीं मिल पाता। ऐसे कम्युनिटी कैम्प्स में भी छोटे अफसर तथा पंचायत अफसर आदि तो आते हैं। ऐसे निर्माण कार्यों में पहली चीज प्रोत्साहन देना है। जब तक हमारी जनता में उत्साह न होगा और यह विचार नहीं होगा कि शारीरिक परिश्रम यज्ञदान की तरह प्रतिष्ठा प्रदान करता है और इससे हमारे भारत का नवनिर्माण होता है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा ।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो ट्रेनिंग के लिये सेंटर्स खोले जाते हैं, जैसे बख्शी का तालाब है और ५ सेंटर और खोलने की योजना है और छोटे-छोटे और भी यह अत्यन्त आवश्यक और लाभकर हैं। इस कार्य को शुरू हुये थोड़ा ही समय हुआ है फिर भी इसमें जितनी उन्नति हुई है वह प्रशंसा के योग्य है। हमारे इन केन्द्रों को नियोजन शिक्षण-शिविर के नाम से खोला जाय और वहां पर अच्छे टेनर्स रखे जायें, जो वहां

होल टाइम वर्कर की हैसियत से काम करें। यदि ऐसा नहीं कर सकें तो वहां के स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों को प्रोत्साहन देकर उनसे काम चलाना चाहिये। जहां तक देहातों अर्थात् ग्रामों का संबंध है स्थानीय जिम्मेदार व्यक्तियों को ही ज्यादा काम देने की जरूरत है। ग्राम सभाओं के संरक्षण में छोटे छोटे बीज गोदाम, फर्स्ट एड केन्द्र और छोटे छोटे पुस्तकालय खोले जावें। गांव केन्द्रों पर व्यावहारिक ट्रेनिंग देने का जो काम है और बढ़ा दिया जाय जो बहुत जरूरी है।

प्राइमरी टीचर्स के बारे में जो जिक्र आया है तो उसके संबंध में मेरी अपनी राय है कि जो सेक्रेटरी पंचायत का काम है उसका काम अध्यापक वर्ग से लिया जाय। इससे खर्च भी बचेगा और उस क्षेत्र में वह अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे और समझदार होते हैं और उस क्षेत्र में शिक्षा के अतिरिक्त समय में अच्छा काम भी कर सकते हैं। वे खुद मौके पर जाकर देखें और ठीक रिपोर्ट भी तैयार करें। इस प्रकार जो गलत रिपोर्ट आती है वह सही हो जायगी। हमारे माननीय सदस्य श्री उपाध्याय जी ने कहा कि रचनात्मक कार्य के दर्शक लोग जो आये उनकी संख्या भी काम करने वालों में जोड़ दी गई है उन्होंने यह इतनी वेग बात कह दी जिसे सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे माननीय मदनमोहन जी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जनता में उत्साह तभी बढ़ता है जब कार्यकर्तागण स्वयं काम में जुट जाते हैं और जनता भी उस समय स्वतः जुट जाती है। यह बात सही है कि इस बार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहली बार ऐसा सफल प्रयत्न हुआ। २६ जनवरी को लोग तमाशा देखने के लिये आये, यह ठीक है। जनता का हमेशा से यह स्वभाव रहा है कि वह पहले शुभ कार्यों का विरोध करती है और काम की गंभीरता को महसूस करती है और जब वह देख लेती है कि वाकई में काम सेवा और परोपकार का है तो खुद फावड़ा लेकर जुट जाती है। यह अवसर तो पहला कदम था, लोग तमाशा देखने के लिये भी आये कि आया यह लोग सिसयरिली काम करने आये हैं या केवल तमाशा दिखाने आये ह। लोग आये और बाद में हमारे साथ लगे भी। यह बात गलत है कि दर्शक लोग आये और उनकी भी संख्या दिखला दी गई। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि हम लोगों में वालेन्टियरिली काम करने की आदत नहीं है। हम लोग यह समझते हैं कि यह व्यक्तिगत खेती है वह अपनी जायदाद की रक्षा स्वयं करते हैं और हर एक व्यक्ति अपनी चीजों को देखे। हम लोगों में लोक-हित कार्य करने की भावना की कमी है। वह यह नहीं देखते कि काम बिगड़ रहा है। हम देखरेख के कार्य या मदद पहुंचाने के कार्य से भागते हैं और स्वतः सेवा-कार्य करना नहीं चाहते। जब हम एक दूसरे को सहायता करते हैं तो उससे हम अपनी सहायता कर लेते हैं और अगर हम किसी को नुकसान करते हैं इस प्रकार हम अपना नुकसान पहले कर लेते हैं। इसी तरह से एक दूसरे को सहायता पहुंचा कर हम अपनी सहायता कर लेते हैं। लेकिन अभी इस भावना की कमी है और हमें इस भावना को बदलने की जरूरत है और वर्कर्स हमारे होने चाहिये जो एक दूसरे के काम में सहायक सिद्ध हों और रचनात्मक कार्यों में खुद काम करने की कोशिश करें तभी एक दूसरे के सहायक सिद्ध होंगे।

मुझे एक बात और कहनी है। माननीय दो तीन साथियों ने अभी प्रांतीय रक्षा दल का जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूं कि सेवादल में काफी लम्बे अर्से तक मैंने काम किया है और हमने प्रांतीय रक्षक दल में लगभग १४ हजार वर्कर्स दिये थे। मुझे उसका पूरा ज्ञान है कि जितने परिश्रम से और जितने अच्छे ढंग से प्रांतीय रक्षक दल ने कार्य किया है वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखने योग्य है। हमारे पूर्व माननीय वक्ता महोदय ने यह सुझाव दिया कि प्रांतीय रक्षक दल तोड़ दिया जाय। लेकिन मैं कहता हूं कि आइडेन्टिटी खत्म कर देने का गलत असर पड़ता है और उसके सैनिकों के उत्साहपूर्वक कार्य करने पर भी काफी असर पड़ सकता है। प्रांतीय रक्षक दल के लोगों ने रहीमाबाद

[श्री नन्द मार देव वाशिष्ठ]

के विशाल जंगल को काट कर बड़ा भारी कार्य किया है और इस पूरे वर्ष भर जो नव भारत निर्माण के कार्य उन्होंने किये हैं वह बहुत ही महत्व रखते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी संस्थाओं को और बल देना चाहिये, प्रोत्साहन देना चाहिये और ऐसे कितने ही स्वतः सेवा संगठन समाज में बनाने चाहिये ताकि ऐसे संगठन अपने क्षेत्र के निर्माण कार्यों में लग जायं और ऐसी भावना फैलनी चाहिये कि जिससे ऐसी संस्थाओं का समाज में सम्मान बढ़े और उनके व्यक्ति ऐसे निर्माण कार्यों में अपने को लगायें और ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाकर ऊपर उठाने की कोशिश करें ।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस समय योजना और एकीकरण के ऊपर वादविवाद चल रहा है। जितने माननीय सदस्य बोले हैं वह सब योजनाओं के ऊपर ही बोले हैं। इसलिये मैं एकीकरण के मुताल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। एकीकरण ऐसे विभागों का होना चाहिये जिनमें कोई खास टेक्निकल नालेज की जरूरत न हो। एकीकरण जैसे कहीं सड़क बनाना है, कहीं पुल बनाना है, कहीं बांध बांधना है तो वह पी० डब्लू० डी० वाले ज्यादा अच्छा कर सकते हैं क्योंकि उनकी दरअसल टैक्निकल नालेज है, उनके पास ओवरसियर्स और इंजीनियर्स वगैरह पूरा स्टाफ है, इसलिये उनके पास यह काम होना चाहिये न कि प्लानिंग आफिसर के पास, क्योंकि वह इंजीनियरिंग पास नहीं होते और न उनको कोई खास दिलचस्पी ही होती है।

दूसरी तरफ देखिये जैसे सिंचाई के काम हैं, कृषि के काम हैं, जिनका एकीकरण होना चाहिये। लेकिन उनका तो हुआ नहीं और एग्रीकल्चर और सिंचाई मिनिस्टर एक होना चाहिये थः जो कि अलग हैं। परन्तु प्लानिंग विभाग में बहुत सारी चीजें ले ली गई हैं। सिंचाई के जो ट्यूब वेल्स हैं उनका भी काम प्लानिंग आफिसर के मातहत कराया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें रुपये का बहुत ज्यादा खर्चा होगा। प्लानिंग आफिसर की तनख्वाह, उनके कर्मचारियों का वेतन और तमाम दफ्तर का खर्चा बेकार बढ़ गया है। सिंचाई विभाग की इंजीनियरिंग शाखा से कोई काम का नक्शा बन कर प्लानिंग आफिसर के यहां आये और देखभाल करके तब वह सैंक्शन करें। इसी तरह से और भी बहुत से विभाग हैं। जैसे कोआपरेटिव विभाग है। इसकी बहुत आवश्यकता है, इसको भी प्लानिंग में शामिल कर दिया गया है। इसका भी यही हाल है। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट जितने क्लार्क्स, आफिसर्स, इंस्पेक्टर्स, आर्गनाइजर्स तथा कामदार वगैरह सब प्लानिंग विभाग में आ गये हैं। इस तरह से और भी कई विभाग हैं जिनके देखने की जरूरत है।

अब मैं सूचना विभाग के बारे में कहूंगा कि यह बहुत ही आवश्यक विभाग है परन्तु इसका काम किसी एक पार्टी का प्रोपेगेंडा करना नहीं है जो ज्यादातर अभी तक इसका काम रहा है। परन्तु अब यह कहा जाता है कि यह प्लानिंग का काम करेगा, यह बहुत सुन्दर बात है। लेकिन इसको अगर अलग रखा जाय तो देश को बहुत फायदा पहुंच सकता है। यह प्लानिंग का काम करे लेकिन इस विभाग को अलग रखा जाय ताकि जिस आदमी को जैसी आवश्यकता हो वह इस विभाग से दरियाफ्त कर सके। किसी लड़के को किसी खास जगह जाना है तो वह दरियाफ्त कर सके कि वह इंजीनियरिंग में जाय या इंडस्ट्रीज में जाय या कहां जाय, किस तरह से पढ़े और किस तरह से काम करे और देहात वालों को भी कुछ मालूमात हो सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि एकीकरण जो किया जा रहा है वह ऐसे विभागों का किया जा रहा है जिनमें कोई खास टैक्निकल नालेज की जरूरत न हो और जिनमें पब्लिक को कोई खास तकलीफ न हो और इस तरीके से एक ही आदमी सब काम कर लेगा और मल्टी परपेज के काम के लिये एक ऐसा आदमी हो जो डाक्टरी कर ले, वैद्य भी बन जाय, पढ़ भी ले और सड़क भी बना ले, तो इस तरीके से तो काम ठीक नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इन विभागों को अलहदा-अलहदा रखा जाय।

श्री फूलसिंह—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो बहस इस आदरणीय सदन में इस मांग पर हुई, मैंने उसको बड़े गौर से सुना। मैं माननीय मेम्बरान का, खास तौर से विरोधी पार्टी के नेता श्री उपाध्याय जी का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने इस मामले में एक बहुत ही डिस्पेशनेट व्यू लिया। यह सच है कि प्लानिंग का काम केवल सरकारी आफिसर्स से नहीं चल सकता है और जो सरकारी आफिसर जनता का सहयोग प्राप्त नहीं करते हैं, उस हद तक उसको कामयाब नहीं कहा जा सकता है। यह भी सच है कि इस काम को जहां तक हो सके गैर सरकारी हाथों में देना चाहिये और इसके लिये बराबर प्रयत्न हो रहा है। कठिनाई यह है कि इन सब मामलों में कई तरह की अड़चनें आती हैं। सबसे पहली अड़चन पारस्परिक संदेह और विभागीय प्रतिद्वन्विता है। फिर ऐसे रास्ते निकालने बड़े कठिन हैं जिनमें वह खामियां न हों। तब भी हमारी यह कोशिश रही है कि जहां तक हो सके गैर सरकारी हाथों में यह काम दें। चुनान्चे आप देखेंगे कि जितने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं उनमें ५ ट्रेनिंग सेंटर्स गांधी आश्रम में खोलने जा रहे हैं और ट्रेनिंग सेंटर गोंडा में एक कार्यकर्ता के सुपुर्द किया है जो सोशल लाइफ में बड़ा निपुण कार्य करता है गरीब होते हुये भी सरकारी नौकरी को तैयार नहीं है। इसी तरह से अभी अभी सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि श्रीमती मीराबेन जी को यदि केन्द्रीय सरकार मंजूर करे तो प्रांतीय सरकार भी उनको प्रोजेक्ट टेहरी गढ़वाल में चलाने की इजाजत देगी। इसी प्रकार और सुझाव भी बहुत वेलकम होंगे और सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि जहां तक भी हो सके गैर सरकारी साथियों से यह काम लिया जाय। पिछले काम जो हुये उस पर एक टिप्पणी हुई उपाध्याय जी की तरफ से कि १ लाख ६७ हजार आदमियों ने काम किया। मैं और बातों में जाना नहीं चाहता। मुझे यह निवेदन करना है, १ लाख ६७ हजार आदमियों ने काम किया। अगर ५ दिन में सारे आदमियों को बांटेंगे तो किसी दिन ज्यादा आदमी आये और किसी दिन कम। तो यह बेजा नहीं मालूम होता। बहरहाल इस बात को ठीक करने के लिये कि रिपोर्ट्स ठीक तरह से आयें उधर भी सरकार का ध्यान जा रहा है। चुनान्चे अभी सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि जिलों से जितनी रिपोर्ट्स आती हैं फोर्टनाइटली और मंथली सब मिला कर १०० से ज्यादा रिपोर्ट्स आती हैं। इतनी रिपोर्ट्स जो मुख्तलिफ महकमों की तरफ से आती हैं उनमें गलती होने की संभावना थी तो इस बात की कोशिश की जा रही है कि ये रिपोर्ट्स कम से कम तादाद में हों और अगर संभव हो तो एक एजेंसी के मार्फत हों। जब ऐसा ही हो जायगा तो यह गलती नहीं हो सकेगी। फिर भी श्रमदान सप्ताह कार्य के मुताल्लिक जो इनाम देने का निश्चय हुआ है उन रिपोर्ट्स पर तय नहीं किया जा रहा है। इसलिये कमेटी मुकर्रर की है जिस कमेटी में वे लोग नहीं हैं जिनको सरकारी आदमी कहा जा सके। उनमें श्री अक्षयवर कुमार कर्ण हैं जो गांधी आश्रम के बड़े कार्यकर्ता हैं और एम०एल०ए० थे और जिन्होंने भू-दान यज्ञ में बड़ा काम किया है। दूसरे कार्यकर्ता श्री दिलीप सिंह रिटायर्ड इंजीनियर हैं जो भारत सेवा समाज में काम करते हैं यह तो नान-आफीशियल लोगों का काम होगा और इसमें खर्चा इतना नहीं होगा जितना कि हमारे काम करने में होता है और जितना समय सरकारी कर्मचारियों का नष्ट होता है, उतना समय भी नष्ट न होगा तथा गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग भी हमें प्राप्त हो जायगा। इनाम देने का क्या डिस्क्रीशन होगा इससे मैं उनको बाइंड नहीं करूंगा लेकिन आम तौर पर जो बातें ध्यान में रखी जायंगी वह होंगी क्वालिटी आफ़ वर्क, कितने आदमियों ने उसमें काम किया तथा उस काम की उपयोगिता कितनी है, इन बातों पर ध्यान देकर इनाम दिया जायगा। इस तरीक़े से यह इनाम ठीक ही आदमियों को पहुंचेगा। फिर भी यह बात आप ध्यान में रखें कि यह इनाम किसी व्यक्ति को मिलने वाला नहीं है। जिन जिलों को इनाम मिलेगा वे उसको सार्वजनिक कार्य में खर्च करेंगे। अगर इसमें कोई हेरफेर भी हो तो देश को इससे कोई हानि होने वाली नहीं है।

[श्री फूलसिंह]

इसके अतिरिक्त दो एक बातें उपाध्याय जी ने कहीं। उन्होंने कहा कि यह बात तो सही है कि इस सप्ताह में अच्छा काम हुआ लेकिन पिछली बातों पर और पिछले कामों पर तो वह क़ौम जिन्दा रहती है जिसके सामने भविष्य के लिये कोई काम नहीं होता लेकिन जिसके सामने भविष्य होता है उसे अपनी गति को जारी रखना चाहिये, अपनी शक्ति को अपने कामों में लगाना चाहिये। अगर वे कोई त्रुटियां भी करते हैं तो देखते हैं कि उसका इलाज क्या है। पिछले वक्त एक बड़ी भारी दिक्कत यह भी रही कि हमारे पास औजार काफी नहीं थे और कुछ जिलों से शिकायत आयी कि वे ठीक तरह के नहीं थे। इसके लिये हमारा इरादा है कि हम एक म्यूजियम कायम करें जिसमें तमाम ऐसे इम्प्लीमेंट्स रहें जो प्रदेश में इस्तेमाल किये जाते हैं ताकि लोग अपने इम्प्लीमेंट्स को ठीक तरह से डिजाइन कर सकें।

एक मित्र ने कहा कि बंधिया बनी हैं वे बह जायेंगी। उनके कलवर्ट्स और पुलियां बनाने का सवाल हमारे सामने है। इसके लिये अगर हम इंजीनियर्स को रखें तो हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो जायगा जिसको सरकार बरदाश्त न कर सकेगी। यह भी सोचा जा रहा है कि जो इंजीनियर्स रिटायर हो गये हैं उनकी खिदमत से फ़ायदा उठाया जाय और उन लोगों को उसमें रखा जाय तो मुफ्त सेवा करने के लिये तैयार हों। इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं को मामूली सी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सेंटर्स खोल कर अथवा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में जैसे अलीगढ़, बनारस और रुड़की में, दी जायगी। क्योंकि एक इंजीनियर के लिये सब कामों को स्वयं देखना मुश्किल होगा इसलिये वह एक्सपर्ट इंजीनियर की देखरेख में कार्य करते रहेंगे। पुलियाओं और दीगर मैशीनरी वर्क के लिये ५० हजार रुपये की मद रखी गयी है ताकि जितने काम होने वाले हैं वे जल्द से जल्द करा दिये जायं। बहरहाल इस काम को पूरा करने का यत्न किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि सब लोग इस काम में मिल कर सहयोग देंगे ताकि वह आगे बढ़ाया जा सके।

श्री धर्मदत्त वैद्य जी ने शिकायत की कि कुछ सरकारी कर्मचारी जनता का सहयोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मुझे खेद हुआ यह जान कर क्योंकि हमारे इस मुहकमे में ऐसे ही लोगों को रखने का प्रयत्न किया जाता है जिनकी जनता के काम करने में रुचि हो, जो गरमी और सरदी बरदाश्त कर सकते हों, क्योंकि सरकार यह समझती है कि इस तरीके के सरकारी आफिसर्स इस मुहकमे में काम कर सकते हैं और उसी से जनता का विश्वास बढ़ सकता है। मगर अगर कहीं ऐसी ग़लती होगी तो उसको सुधारने की कोशिश की जायगी। मेरे ख़याल में यह एक नया तरीक़ा है और इसमें काम करने के कोई निश्चित नियम भी नहीं हैं इसलिये काफ़ी ग़लतियां हो सकती हैं। सब से ग़लती होती है और इस मुहकमे के कर्मचारी भी ग़लती कर सकते हैं लेकिन बजाय इसके कि हम उनके साथ पुलिस अफसर का रोल अख्तियार करें, उनको कनवर्ट करने या उनमें सुधार करने का रोल अख्तियार करें तो ज्यादा अच्छा होगा और उनमें कुछ सुधार कर सकेंगे। तो जहां एक तरफ ऐसी ग़लतियों को जांच किये जाने की बात है वह दूसरी तरफ मिल जुल कर इस बात को जानने की कोशिश करें कि कौन कैसा अफसर है, कौन कैसा कर्मचारी है, तो मेरा ख्याल यह है कि इस मुहकमे से भी शिकायतें कम ही होती चली जायंगी।

मुझे खेद है कि श्री बालेन्दु शाह जी को प्रान्तीय रक्षा दल के भाइयों से कुछ शिकायत हुई और मुझे और भी ज्यादा खेद है कि उनको वह शिकायत इतनी अखरी कि उसका जिक्र उनको इस माननीय सदन में करना पड़ा। मैं नहीं समझ सका कि वह शिकायत इस काबिल थी भी या नहीं। अपने उन कार्यकर्त्ताओं का जिन्होंने इस देश के लिये कुर्बानी की है, उनका गीत गाना कोई पोलिटिकल बात नहीं है। श्री सुमन जी टेहरी के एक नेता रहे उन्होंने टेहरी के इतिहास में काम किया है और उनका आदर करना सब पोलिटिकल पार्टीज का कर्तव्य रहा है। यह बात दूसरी है कि जब श्री सुमन जी थे तो श्री बालेन्दु शाह जी का संबंध उस पक्ष से रहा हो जिसको उनके कामों से कुछ क्षति पहुंची हो। फिर प्रान्तीय रक्षा दल वालों के मुताल्लिक़

ऐसा विचार करना सही नहीं है। मेरा यह निवेदन है प्रांतीय रक्षा दल हमारे प्रांत का स्पियर हेड है। उसने यह काम किया कि उस मिट्टी को उठा कर इतना ऊंचा उठाया और उसका बड़ा भारी श्रेय इस प्रान्तीय रक्षा दल को है। प्रान्तीय रक्षा दल के लोग बड़ी मेहनत से काम करते थे, सब नौजवान हैं, उनमें से अधिकांश बिना तनख्वाह के काम करते हैं और मेरा खयाल है कि इस वक्त मिड स्ट्रीम में हार्स चेंज करना ग़लत हो जायगा। हम यहां पर इन्हीं लोगों की सहायता से पहुंचे हैं और अब इनको छोड़ कर एन० सी० सी० या और किसी सी० सी० की सहायता इस काम में ली जाय यह ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल में जो ग़लतफहमी के कारण कोई मुकामी शिकायत श्री बालेन्दु शाह जी को हुई उसका मुझे खेद है। हमारा यह बिलकुल इरादा नहीं है कि इस काम को किसी पार्टीबन्दी के तौर पर ले जायं। अभी मेरे एक मित्र ने शिकायत की कि इसमें दूसरे पक्ष का कुछ कम ख़याल किया जाता है। मेरे खयाल से यह शिकायत भी नहीं है। पिछली मर्तबा जो कम्पोजीशन था प्लानिंग कमेटी का और अब जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कम्पोजीशन है, उसको अगर आप देखें तो पायेंगे कि इसमें सभी पक्ष के एम० एल० एज०, एम० पीज०, एम० एल० सीज० हैं और यह तय कर दिया गया है कि कम से कम सब मेम्बर्स आफ लेजिस्लेचर प्लानिंग कमेटी के मेम्बर हों और यह भी कोशिश है कि जहां हमें कोई ऐसा आदमी मिले जो ज्यादा मुनासिब हो और दूसरे पक्ष का भी हो तो हम उसे भी नामिनेट करलें। इस वक्त हमारे पास सब आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन एक नाम मुझे याद है। हमारे मुजफ्फरनगर के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम श्री ब्रह्मप्रकाश है उनको हमने नामिनेट किया है। इसी तरह से प्लानिंग बोर्ड में हमने श्री आचार्य नरेन्द्र देव जी को नामिनेट किया था लेकिन खेद है कि वे इस कमेटी में काम करना स्वीकार नहीं कर सके। तो हम किसी पक्षपात पूर्ण तरीक़े से इस काम को करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी यह स्कीम तभी कामयाब हो सकती है जब हम सब लोगों का सहयोग प्राप्त कर लें और अगर हमारे कुछ साथियों को इसके मुताल्लिक़ कुछ शिकायत भी हो तो भी हम उनकी शिकायतों का टका सा जवाब न देकर इस बात की कोशिश करेंगे कि उन शिकायतों को दूर कर उन्हें भी काम करने का मौका दें। प्लानिंग कमेटी के बारे में यह भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में अफसरों का ही ज्यादा जोर है। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के कम्पोजीशन को देखा जाय तो आप देखेंगे कि उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसरों का जोर बिलकुल नहीं है। उसमें इतने एम० एल० एज०, एम० पीज०, मेम्बर्स आफ लेजिस्लेचर, गांव सभा के सेक्रेटरी, कोआपरेटिव के नुमायन्दे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नुमायन्दे और तीन नामिनेटेड नुमायन्दे होते हैं कि सरकारी कर्मचारी बहुत थोड़े हो जाते हैं और फिर उसमें भी जितने सरकारी कर्मचारी पुरानी प्लानिंग कमेटी में थे इसमें उनकी संख्या कम कर दी गयी है। तो इस तरह से प्लानिंग कमेटी में ज्यादा सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उनकी संख्या बहुत थोड़ी शेष है। बल्कि यह सही तरीक़े पर गैर सरकारी प्लानिंग कमेटी है। तो सरकारी कर्मचारियों की भी अगर आवश्यकता होती तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से हटा दिया जाता। लेकिन इनको अगर इसमें से हटादें तो हमारा काम रुक जायगा। चूंकि वहां पर बैठ कर अपने मुहकमें की जवाबदेही करते हैं और आप को सलाह देते हैं तो उनका वहां पर रहना बहुत मुफ़ीद साबित हुआ है। जो यह कहा गया है कि वहां पर एक्जिक्यूटिव में सभी सरकारी कर्मचारी होते हैं यह सही नहीं है, क्योंकि जो वहां पर एक्जिक्यूटिव कमेटी है उसमें गैरसरकारी आदमी भी रक्खे गये हैं। इस वास्ते मेरे ख्याल में यह शिकायत सही नहीं है कि गैर सरकारी आदमियों का उसमें बहुमत नहीं है बल्कि आज जो प्लानिंग कमेटी है वह गैर सरकारी आदमियों के हाथ में चली गयी है। जो वहां पर सरकारी आदमी हैं वह उनकी मदद करने के लिये हैं। फिर भी इस मामले पर इस दृष्टि से विचार करना शायद अच्छा न होगा। आज जब हम सब मिल कर इस काम को करने में लगे हैं तो यह देखना कि यह गैर सरकारी आदमियों के हाथ में नहीं है और सरकारी आदमियों के हाथ में है यह हमारे काम में सहायक नहीं हो सकता है। सरकारी आदमियों को उस कमेटी के अलावा और काम भी सुपुर्द किया गया है और उसके एवज में मिलता कुछ नहीं है। जब वह अतिरिक्त

[श्री फूलसिंह]

प्रवेतनिक कार्य करते हैं तब तो उनका आभारी होना चाहिये और उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिये। मेरा यह ख्याल है कि यह कहना कि गैर सरकारी आदमियों के हाथ में कमेटी नहीं है यह सही नहीं है।

नारायणदत्त जी ने कुछ आंकड़ों का जिक्र किया। मैंने शुरू में यह निवेदन किया था कि इन आंकड़ों में आप बहुत न पड़ें तो अच्छा होगा। उसकी कई वजह हैं एक तो यह है कि जब आंकड़े ले कर एक बात करते हैं तो यह कोशिश रहती है कि कोई खामी निकाली जाय। वह एतराज सही न हो लेकिन मैं यह समझता हूं कि हमारे कामों में खामी हो सकती है। भले ही वह खामी आप की दृष्टि में न आयी हो पर तब भी हमारे सामने कठिनाइयां हैं। कोआर्डिनेशन का जो काम है वह इतना आसान नहीं है। वह मैथेमैटिकली नहीं चल सकता है। हमारे एक मित्र का कहना है कि कोआर्डिनेशन न किया जाय उनमें जो टेक्निकल हों। यही तो हमारी कठिनाई है। हमारा जो कोआर्डिनेशन है और दूसरा इन्टगरेशन है दोनों को मिला कर कहीं कुछ किया और कहीं पर कुछ करने की कोशिश की है उन कामों को सिखाने के लिये बहुत समय की आवश्यकता है, उन कामों को हम अपने विलेज मैन को सिखाया है। जैसे मवेशियों को टीका लगाने की बात है, बीज का इंतजाम और दूसरे इस तरह के छोटे छोटे काम हैं जिनमें कोई बहुत काबिलियत की जरूरत नहीं है तो उनको हमने अपने विलेज मैन को सिखाने की कोशिश की है। जो मोटे मोटे काम हैं उनको हमने अपने आदमियों को सिखा दिया है। मगर जो काम ऐसे हैं कि जिनमें टेक्निकल काम की जरूरत है उसमें हमने कोई कोआर्डिनेशन नहीं किया है। २,३ महकमे के जो छोटे छोटे काम हैं उनमें मल्टी परपज काम के लिये हमने कोआर्डिनेशन किया है और वह भी विलेज लेविल पर लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेविल पर उसको नहीं किया है। विलेज लेविल पर तो एक आदमी सब काम कर सकता है चूंकि वह छोटे काम होते हैं और उस को सहायता की जरूरत हो तो वह अपने सुपीरियर से मदद ले सकता है। सब टेक्निकल आदमी वहां कमेटी में हों चूंकि इंजीनियरिंग का काम पड़ता है यह हमारे लिये सम्भव नहीं हो सकता है। इसमें २,३ दिक्कतें हैं। एक तो यह है कि मान लीजिये कि मेडिकल का काम है तो उसके लिये कोई डाक्टर होना चाहिये और फिर उसका मिनिस्टर भी कोई डाक्टर होना चाहिये और इसी तरह से एग्रीकल्चर का भी ऐसा ही आदमी होना चाहिये। लेकिन कुछ दिक्कतें और भी हैं और वह यह हैं कि हमारा प्लानिंग अफसर है उसको कुछ अधिकार भी देने पड़ते हैं। फ़र्ज कीजिये कि आप को पटवारी से काम लेना है या और किसी अफ़सर से काम लेना है। अगर आप को यह पावर है कि आप आर्डर कर सकें तब तो आप का काम आसानी से चल जाता है। और अगर आप को पावर नहीं है तो बड़ी कठिनाई होती है। शुरू-शुरू हमारे प्लानिंग आफिसर्स को बड़ी दिक्कत पड़ी। उन्होंने शिकायत की कि हमको दिन भर तो देहातों में घूमना पड़ता है और रात को डिप्टी कलेक्टरों के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उनसे जा कर कहना पड़ता है कि वह फलां पटवारी से कह दें, फलां कानूनगों से यह काम करवा दें लेकिन हमने प्लानिंग आफिसर्स को थोड़े से अख्तियार दिये हैं तो काम कुछ आगे चलने लगा है। अगर केवल इंजीनियर या टेक्निकल आदमी ही हम रखें तो हमारा काम बहुत पीछे पड़ जायगा। इंजीनियर्स वैसे ही टेक्निकल आदमी हैं और उनकी सर्विसेज हमें महंगी पड़ती हैं और इसी तरह की दिक्कतें हैं। इसलिये यह तय किया गया कि प्लानिंग आफ़िसर इसी विभाग के आदमियों को रखा जाय जो काम करते हैं। इसलिये यह मुमकिन नहीं है। एक एतराज श्री नारायण दत्त जी ने और किया कि अध्यापकों को मल्टीपर्पजेज न बनाया जाय। जब इस प्रकार का सुझाव दिया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि विलेज लेविल वर्कर के पास रोजाना घूमने का काम रहता है। हमने जो मल्टीपर्पजेज आदमी बनाया है उस के पास इतना और इस तरह का काम रहता है कि उसको बराबर घूमना पड़ता है और अगर हम अध्यापकों को विलेज लेविल वर्कर बना देते तो वह घूमता ही रहेगा और जो उसका काम है वह नहीं कर सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह मैं नहीं कहता बल्कि यह ५ ईयर प्लान की रिपोर्ट में है ।

श्री फूलसिंह—तो इसमें यह कठिनाई है कि उस को घूमने का काम बहुत करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आप को बतला दूं कि हमने एक सेक्शन एडल्ट लिट्रेसी का खोला है जिसके जरिये से हम अपने यहां प्रौढ़ शिक्षा फैलाना चाहते हैं और उनके द्वारा हम भजनों और गीतों से गांव के लोगों को सब चीजों से परिचित कराना चाहते हैं और दूसरी चीजों में भी हम थोड़ा बहुत हेरफेर करना चाहते हैं और उनमें शिक्षा विभाग के लोगों की काफी उपयोगिता है ।

इसके अलावा श्री नारायण दत्त जी ने कहा कि बहुत से महकमे बनते और बिगड़ते हैं और नाम बदलते रहते हैं और उन्होंने यह आश्वासन चाहा कि आइन्दा ऐसी ग़लती न होगी। मेरा उनसे निवेदन है कि अगर जिन्दा रहना है तो बहुत सी बातें बदलनी होंगी, हां मरने के बाद यह हो सकता है कि कुछ न बदले लेकिन जब तक जिन्दगी है तब तक तो चीजें बदलेंगी बनेंगी और सब ही कुछ होता रहेगा। जब कोई काम किया जाता है उसमें कुछ कठिनाइयां होती हैं और उनके अनुभव के बाद उन कठिनाइयों के फलस्वरूप हमें तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। हर व्यक्ति और हर मुहकमा जिस से हम एक्स्ट्रा काम लेना चाहते हैं वह उस काम से बचना चाहता है। हम उनको पुराने रेट से निकालने की कोशिश करते हैं और इसी से यह तब्दीली उनको मालूम होती है । तो इस तरह की तब्दीली तो अनिवार्य है और वह जरूर होती रहेगी। अध्यापकों को विलेज लेविल वर्कर नहीं माना गया है लेकिन उनको हमने एडल्ट लिट्रेसी की स्कीम में स्थान दिया है। टारजेट की चर्चा की गयी। वह चाहते हैं कि ग्राउन्ड चाहे ग़लत हो लेकिन नतीजे ठीक ही निकलें। उन्होंने कहा कि दिसम्बर तक का टारजेट सन् ५१–५२ के टारजेट से कम है। उनको देखना चाहिये कि वह दिसम्बर तक का एचीवमेंट है लेकिन उनको समझना चाहिये कि जो काम बरसात के बाद शुरू हुआ और काम का सीजन जो सर्दी का है उस का जब एचीवमेंट मालूम हो तभी आप साल का एचीवमेंट मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस बात को क़बूल कर सकता हूं कि हमारे काम में खामियां हैं लेकिन यह नहीं है कि काम पीछे पड़ गया है। हर शख्स जो देहातों में घूमता है वह इस बात को क़बूल करेगा कि हमने इस साल कितना नुमांया काम किया है अलबत्ता कहीं कहीं ब्लाक कमेटियां पीछे रही हैं और कहीं कहीं गांव सभाओं ने काम नहीं किया। इतने बड़े काम को गैर सरकारी तरीके पर करने में यह कठिनाइयां रहेंगी ही आहिस्ता आहिस्ता उस काम को पूरा करने का हम इरादा रखते हैं। मेरा निवेदन यह है कि हमारे काम का मुख्य भाग जो है वह कम्युनिटी प्रोजेक्ट नहीं है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट को तमाम सूबे में नहीं फैलाया जा सकता है। अभी भी जो योजना आप के सामने हैं उस में ४ हजार गांव आयेंगे। तो एक लाख गांवों में चार हजार गांव होंगे तो पूरे प्रान्त में उससे असर नहीं पड़ेगा। हमारी योजना ऐसी है कि तमाम गांवों में लागू हो जाय। इसीलिये ज्यादा से ज्यादा रुपया हम देते हैं इन कामों के लिये। इस रुपये को खर्च करने के लिये पहले अगर उस काम पर खर्च नहीं हुआ तो वह पड़ा रहेगा। चुनांचे हमने जब जिलों से मालूम किया तो काफी रुपया ऐसा मिला जो खर्च नहीं हुआ। उस तजुर्बे की बिना पर हमने यह तय किया है कि एक ब्लाक ग्रांट दे दें जिलों को। हर कमेटी के सुपुर्द कुछ रुपया कर दें और यह तय कर दिया कि उस प्लानिंग कमेटी को अख्तियार होगा कि उसकी प्रायरिटी वह तय कर ले। पहले यह भी क़ायदा था कि पांच सौ रुपये तक वहीं तय हो जाता था। पांच सौ से ज्यादा के लिये कमिश्नर के यहां जाता था और और ज्यादा के लिये गवर्नमेंट के यहां आता था। हमने इसको अब तोड़ दिया। हमने उससे कह दिया कि यह रुपया आप सम्हाल लीजिये और जिस जिस काम पर खर्च कर सकते हैं उस पर खर्च कीजिये। शर्त यह है कि रुपया तनख्वाहों वग़ैरह में न खर्च हो। किसी भाई ने यह फरमाया था कि तनख्वाहों में काफी रुपया खर्च होता है। मेरा निवेदन यह है कि अगर आप देखें तो पायेंगे कि इस मुहकमे में सब से ज्यादा रक़म सीधे जनता को जाती है। तनख्वाहों

[श्री फूलसिंह]

में सब से कम रुपया खर्च होता है। जहां तक हम तनख्वाहों के बजट को कम कर सकते हैं करते हैं। चुनांचे हमने फिजिकल कल्चर के बजट को कम किया है। हमारे मित्र ने शिकायत की कि फिजिकल कल्चर में तब्दीली का क्या कारण है। फिजिकल कल्चर में २ लाख ४२ हजार रुपया खर्च होता था उसमें से एक लाख रुपया तनख्वाहों में खर्च होता था। मैंने समझा कि यह मुहकमा बेकार जायगा और १ लाख ४२ हजार की रक़म जनता को गांवों में नहीं जाती वह भी बड़े बड़े मुहकमों में खर्च होती है। इसलिये यह सोचा कि इसको पी० आर० डी० में खर्च कर दिया जाय। अब यह कोशिश होगी कि इस रुपये से देहातों में अखाड़ा-दंगल कायम किये जायं। जितना पैसा खर्च कर सकें वह सीधे जनता के लाभ के लिये हो। हमने फिजिकल कल्चर और पी० आर० डी० को मिला कर २३ हजार रुपये की बचत कर ली है। जो आदमी फिजिकल कल्चर में थे उनको निकाला नहीं लेकिन प्रान्तीय रक्षक दल की जगहों पर हमने रख दिया और इस तरह से २३ हजार रुपये की हमने बचत कर ली। इसी तरह से जहां तक हमसे हो सकेगा तनख्वाहों में हम कम रुपया खर्च करेंगे और और कामों में ज्यादा रुपया खर्च करेंगे।

खाती जी ने कहा कि प्रान्तीय रक्षक दल को पंचायत के मुहकमे में मर्ज कर दिया जाय। मेरे ख्याल में यह सुझाव भी ठीक नहीं बैठेगा। एक तरफ तो हम इतना प्रेशर डालते जा रहे हैं इस मुहकमे पर फिर मर्जर की बात करते ह ? तो इसमें काम करने की रुचि लोगों में जाती रहेगी। दोनों मुहकमें अपनी जगह पर ठीक काम कर रहे ह । पंचायत सेक्रेटरियों के पास भी काफी काम है। पंचायत सेक्रेटरी और प्रान्तीय रक्षक दल के लोग अपनी अपनी जगह पर काफी मुफीद साबित हो रहे हैं। तो यह चन्द बातें थीं जो मेरे मित्रों ने रखीं। मैं समझता हूं कि समय इतना नहीं था कि सब लोग पूरी बात कह सकें, पर यह निश्चय है कि इस मुहकमें को कामयाबी तभी हो सकती है जब प्रांत के सब लोग, सब जिलों के साथी पूरा सहयोग अपना दें ताकि इस मुहकमें को कामयाब कर सकें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही माननीय मंत्री जी को बधाई दे दी थी, पर कुछ बातें जो अब माननीय मंत्री ने कहीं उनकी भी म सफाई कर देना उचित समझता हूं। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जो कमेटियां हैं उन में बाहरी लोगों को रखने या दूसरी पार्टी के लोगों को रखने की बात जो उन्होंने कही कि हमने कुछ लोग उस में रखे हैं, तो ५२ जिलों में तीन तीन आदमी गवर्नमेंट नामिनेट कर सकती थी हर जिले में। इस तरह से १५६ आदमी हो जाते थे। उन में से सिर्फ एक आदमी का नाम मुजफ्फरनगर में, श्री ब्रह्मप्रकाश को, माननीय मंत्री जी ने नाम लिया है, जो दूसरी पार्टी का है। यह तो सहयोग की बात है। लेकिन उनकी मंशा यह मालूम पड़ती है कि वह लोगों का सहयोग चाहते हैं और अगर इधर कोई गलती की गई हो तो उसे दूर करेंगे। यह मेरी उस सिलसिले में मंशा है। दूसरी एक बात और कही माननीय बालेन्दुशाह ने कि सारे अफसरान का उस कमेटी में प्रभुत्व रहता है। यह बात बिलकुल सही है और इस तरह सही है कि पहले सरकार को यह खयाल हुआ कि शायद इन कमेटी में कोई बाहर के लोग न चले आवें और उनका जोर न हो जाय। पहले तो यह था कि जितने एम०एल०एज० और एम०एल०सीज० हैं उस प्लानिंग कमेटी के मेम्बर होंगे, अब यह निकला है कि एग्जिक्युटिव कमेटी के अन्दर, जो सारे फैसले करती है क्योंकि बड़ी कमेटी तो सालों में मिलती है, तो उस एग्जिक्युटिव कमेटी में एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० में से छांट कर दो मेम्बर रखे जायं। इस प्रकार से सोशलिस्ट पार्टी प्रांत की किसी एग्जिक्युटिव में नहीं आ सकती है, क्योंकि उनका इतना बहुमत नहीं है। इस तरह से जहां तक कमेटी का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, हम इस बात के शौकीन नहीं हैं कि हम कमेटी में ही जा करके कोई काम कर सकते हैं। मैं तो यह बात कहता हूं कि गवर्नमेंट के जो

सहयोग की बात है वह पूरी होनी चाहिये। यह सिर्फ लिप सिम्पैली से काम चलने वाला नहीं है।

अब उन्होंने उस कमेटी की बात कही जो इनाम देने वाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था क्योंकि काफी बड़ा सहयोग का काम था, लेकिन माननीय भूपाल सिंह खाती जो ने कुछ ऐसी बातें कहीं कि जिनका जवाब देना बहुत आवश्यकीय है और अगर इस गवर्नमेंट में कुछ भी सत्यता है और अगर गवर्नमेंट सचमुच समझती है कि कोई हम ठीक काम करें तो इस गवर्नमेंट के न्याय का फैसला आज होगा। हमारे जिलों में जहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट रखा गया है, अध्यक्ष महोदय, वह हमारे जिले का सब से अच्छा डेवलपमेंट एरिया है, जहां बढ़िया पानी जाता है, नहर जाती है, स्कूल हैं, इंटरमीजियट कालेज है, वहां अस्पताल पहले से ही हैं। मोटर की सड़क जहां फर्स्ट क्लास है। वह डेवलप्ड एरिया हमारे डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट है जहां यह कम्युनिटी प्रोजेक्ट छांटा गया है और इसको छांटा क्यों गया कि जो पुरानी एक्जिक्युटिव कमेटी थी प्लानिंग की उसके सारे अफसरान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो उसमें गये नहीं तो उसके वाइस प्रेसीडेंट भूपाल सिंह खाती थे जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे, उनकी कांस्टिट्युएंसी आती थी, तो उन अफसरों ने और खाती जी ने उस जगह को छांटा। अफसरों को आराम यह है अध्यक्ष महोदय, कि वहां डाक बंगले थे, हिमालय के दृश्य सामने थे, सुबह से शाम तक के लिये तीन जीपें मिल गयीं कि खूब सैर की जाय और अंडे लाना और मुर्गियां लाना यही उनका काम है। हमको इसलिये नहीं लिया गया कि हम रहेंगे तो बतावेंगे कि वह क्या काम करती है और हमारे जिले के और एम०एल० एज० बतावेंगे। तो मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं कि यह हमारे जिले का सब से अच्छा डेवलप्ड एरिया है। ऐसे हमारे यहां और एरिया हैं जहां डेवलपमेंट हो सकता था। म नहीं चाहता हूं कि यहां से वह प्रोजेक्ट हटें। लेकिन काम के बजाय यह मजाक किया जाता है। मैं चाहता हूं कि डेवलपमेंट हो, किसी एरिया के अन्दर हो जहां मोस्ट अन डेवलप्ड एरिया हो। सरकारी अफसर मेयर साहब वहां गये थे। उन्होंने देखा कितना अच्छा हिमालय का दृश्य है। यह अनडेवलप्ड एरिया से नहीं दिखाई दे सकता था। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, कि सबसे पहला काम तो यह करें जो यह रिपोर्ट के बारे में कहा गया है इस कमेटी को इसको भी सौंप दिया जाय। वह यह भी देखेगी कि क्या काम हुआ है। हमारे जिले के अन्दर जो काम हुआ है मैं चाहूंगा कि दिखाने के लिये कि कहां यह काम हुआ है। जहां तक खाती जी ने और भी चीजें कहीं कि हम काम नहीं करते हैं तो मैं अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं कि यह काम हुआ और तीन साल के बाद बतलाऊंगा कि वहां कितना काम होगा। खाती जी कहते हैं कि मैं कभी नहीं गया काम करने के लिये। मैं बताना चाहता हूं कि खाती जी कभी नहीं गये। मैं गया, हमारी पार्टी का उस इलाके में बहुमत है। खाती जी तो कौसानी के डाकबंगले में बैठे हुये थे। जीप कार जो आयी है वह खाती जी ही के काम आ रही है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य अपने साथी के खिलाफ इस तरह से न बोलें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—साथी हमारे हैं लेकिन वह तो हमारी जड़ काटने के लिये हैं और कहते हैं कि मैंने कोई काम नहीं किया। साथी तो मैं मानता हूं। मैंने पहले कभी नहीं कहा। जब मैंने पहले कहा था तो इस बात की चर्चा नहीं की। इस काम की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे उपाध्यक्ष माननीय हरगोविन्द जी के इलाके में है या नरेन्द्र सिंह जी का जो इलाका है जो तिब्बत से मिला हुआ है वहां है। मेरा इलाका अगर इतना बढ़िया नहीं है तो फिर भी कुछ अच्छा है। मैं तो इसलिए दिखाना चाहता था कि हम सिर्फ शाब्दिक बातें नहीं करते हैं। हम काम करने को तैयार हैं, जहां कहें वहां करें, लेकिन ऐसी जगह काम करना अच्छा रहेगा जहां जनता हमारा

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

साथ दे सके पर जहां भी यह काम होगा मैं समझता हूं कि हमारे प्रांत के सब भाई इस काम को करने के लिये तैयार होंगे। हमारे शुक्ल जी ने इंफार्मेशन डिपार्डमेंट के बारे में कहा कि कुछ गाना वगैरह उसके जरिये हो जाय। उनको शायरी का भी शौक है, गानों का भी शौक है और बड़ा अच्छा है अगर ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन इंफार्मेशन डिपार्टमेंट के बारे में पहले कहना भूल गया इस डिपार्टमेंट का तो नाम न लिया जाय तो अच्छा रहेगा। इस प्लानिंग के अन्दर तो जो उनका काम है वह यह है कि उन्होंने लाउड स्पीकर ले लिया और प्रचार करने के लिये दो कांग्रेस वालों को खड़ा कर दिया और उनसे लेक्चर दिलवा दिया। जो लाउट स्पीकर्स हैं उनके जरिये कांग्रेस के चार आने के मेम्बर गांवों में बनाये जाते हैं। यह उससे काम लिया जाता है। खाती जी उसके सबूत हैं। मेले के अन्दर लाउड स्पीकर के जरिये इंफार्मेशन डिपार्डमेंट कांग्रेस के चार आने के मेम्बरों का प्रचार करता है। हमारे माननीय गोबर्धन तिवारी जी यहां पर मौजूद हैं वह बतायेंगे। मैंने इसके बारे में कहा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यह सारा कांग्रेस का प्रोपोगेंडा करता है। कांग्रेस से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लड़ाई नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार का प्रचार किया जाय लेकिन यह इंफार्मेशन डिपार्टमेंट, अध्यक्ष महोदय, क्या करता है। अध्यक्ष महोदय, वह खास तौर से रिपोर्ट वगैरह छापता है और यह रिपोर्ट किसी प्रेस से जो प्रेस उनका दोस्त है उनसे छपवा लेता है। लखनऊ में बड़े बड़े प्रेस हैं। जैसे नेशल हेराल्ड है, पायनियर है और भी बहुत से हैं। टेंडर क्यों नहीं काल करते। जो सस्ता छापे उनको दे दिया जाय। मैं इसके बारे में डीटेल में बतलाऊंगा और माननीय मंत्री जी से मिलूंगा लेकिन कोई सिद्धांत इसका मान लेना चाहिये और किसी को कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिये। जिस प्रेस से ईमानदारी के साथ काम हो जाय उससे काम लेना चाहिये, क्योंकि इंफार्मेशन डिपार्टमेंट एक बड़ा इम्पार्टेन्ट डिपार्टमेंट है। अगर यह ठीक तरह से चले तो मैं समझता हूं कि किसी को भी इससे किसी किस्म की शिकायत न होगी। अब अध्यक्ष महोदय, यह बातें थीं जो मैंने बतलाईं। इसी तरह से कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी का बयान है। ३ फरवरी को हमारे अल्मोड़े जिले के कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने जो लिखा है उसको मैं आपकी इजाजत हो तो एक मिनट में पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह कुछ असंगत सा मालूम पड़ता है। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—इसकी बहुत सी बातें हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कह देना चाहता हूं कि बावजूद इन खराबियों के, बावजूद इन अवगुणों के, बावजूद इस चीज के कहने के कि हम कुछ न कर पाये। मैं इस प्रांत के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी कोई प्लान, कोई भी रचनात्मक कार्य, जिससे कि जनता की कोई भलाई हो सके उसमें हमेशा साथ देने के लिये तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी इस नीति को जो वह कहती है कि सहयोग चाहिये, मदद चाहिये तो इस चीज को पूरे रूप में कार्यान्वित करना चाहिये, और उसका विस्तार करना चाहिये। यही मेरी उनसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

विशीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान— ५५९
अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—क—पुद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय, ६३—ख—सामूहिक योजनायें

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—योजना और एकीकरण—लेखा शीर्षक ६३—क—पुद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय, ६३—ख—सामूहिक योजनाओं के अन्तर्गत १,९५,६६,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ;
१२ मार्च, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९३ पर)

कर्मचारियों का विवरण	वेतन-क्रम
१—रेंजर	१२०-८-२००-१०-३००
२—डिप्टी रेंजर	७५-५-१२०
३—फारेस्टर	६०-३-९०-४-११०
४—फारेस्ट गार्ड	२५-१-४०
क्लर्क—	
चीफ कन्जरवेटर आफ फारेट्स का कार्यालय	
५—हेड असिस्टेन्ट	३००-२०-४००
६—स्टेनोग्राफर	१००-५-१५०-ई०बी०-११०-२००-ई०बी०-२०—२४०
७—नोटर ड्राफ्टर	८०-६-११०-ई०बी०-६-१४०-ई०बी०-१०-२००-ई०बी०-२०-२४०
८—रिकार्ड कीपर आदि	८०-६-११०-ई०बी०-६-१४०
९—रुटीन क्लर्क	६०-४-८०-ई०बी०-४-१००
कन्सरवेटर का कार्यालय-	
१०—हेड असिस्टेन्ट	२१५-१५-२७५
११—रिकार्ड कीपर आदि	८५-६-१४५
१२—रुटीन क्लर्क	६०-४-८०-५-१२०
१३—स्टेनोग्राफर	१००-५-१२५-ई०बी०-५-१६०-ई०बी०-१०-२००
डिवीजनल फारेस्ट आफिसर का कार्यालय-	
१४—हेड क्लर्क	१००-८-१४०-१०-१७०
१५—नोटर ड्राफ्टर आदि	८०-५-१००-६-१३०
१६—रिकार्ड कीपर, रुटीन क्लर्क	६०-३-९०-४-११०
१७—रेंज क्लर्क	६०-३-९०-४-११०

नोट—ई०बी० का अर्थ दक्षता रोक से है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६४ पर)

प्राइवेट फारेस्ट		प्रोव्स
१—साल	१३—चीड़	१—महुआ
२—शीशम	१४—सोक	२—शीशम
३—महुआ	१५—बेर	३—जामुन
४—पाम	१६—कुसुम	४—बेर
५—बबूल	१७—पांदन (सानन)	५—पमेरा पाम
६—सैन (अस्ना)	१८—घोंट (मिर्जापुर जिले के कैमूर रेंज के उत्तर के हिस्से के अतिरिक्त)	
७—जामुन		
८—इमली	१९—पमेरा पाम	
९—खैर	२०—खजूर	
१०—करधई	२१—धान (बाक्ली)	
११—नीम	२२—कदम (कैम, कैम्बा, फल्दू)	
१२—सीमल		

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९८ पर)

१—स्वर्गीय श्री रामप्रसाद बिस्मिल की माता, श्रीमती मूलमंत्री को सरकार ४० रुपया पेंशन व २० रुपया महंगाई भत्ता प्रति मास देती है।

२—स्वर्गीय श्री रोशन सिंह की स्त्री, श्रीमती पामकुंवरि को सरकार २४ रुपये पेंशन व १२ रुपया महंगाई भत्ता प्रति मास देती है।

३—स्वर्गीय श्री अशफाक उल्ला खां का विवाह नहीं हुआ था। उनके भाई श्री रियासत उल्ला खां को सैनिटरी इंस्पेक्टर बना दिया गया है।

४—स्वर्गीय राजेन्द्र लाहिड़ी का आश्रित कोई नहीं था। इनके तीन भाई अपने-अपने काम-धंधों में लगे हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८४ एल० ए०—१९५३—८५०